(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्टम् विधान सभा के प्रथम सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या 11

शनिवार

दिनांक 30 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:--

श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम हिण्डोली जिला बूंदी के रैंगर जाति के काश्तकारों की कब्जा शुदा भूमि पर गत 24 जुलाई को कुछ सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि पर कब्जा करने की नियत से हमला करने के विषय में।

श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में चोमहला से 13 किलो मीटर दूर एक हरिजन की निर्ममतापूर्वक हत्या किये जाने के विषय में।

श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा 25 जुलाई, 1977 को बिजली के खंभों व एल्युमिनियम के कण्डक्टर की खरीद के आर्डर में अनियमिततायें बरतने के विषय में।

ये स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जा रहे हैं। मैं इन प्रस्तावों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। फिर भी माननीय सदस्य इन प्रस्तावों पर संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर भूतपूर्व सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो जमीन आवंटित की थी उनकी कब्जा शुदा भूमि पर सवर्ण जाति के लोग, भूतपूर्व जागीरदार, और आर. एस. एस. के लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण मैं आपको देता हूं। ग्राम हिण्डोली जिला बूंदी के रैंगर जाति के काश्तकारों की कब्जा शुदा भूमि पर गत 24 जुलाई को कुछ सवर्ण जाति के लोग और आर. एस. एस. के लोग गये और उनके साथ मारपीट की। उन बेचारे

(श्री शंकरलाल)

हरिजन लोगों को इन सवर्ण जाति के लोगों ने कुल्हाड़ी से और लकड़ियों से पीटा। मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आज दिन तक कोई भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। रैगर जाति के वे बेचारे लोग अपने खेत पर काम कर रहे थे और उनको उस जमीन का अलाटमेन्ट आज से दो साल पहले हुआ था। अध्यक्ष महोदय, वह भी नियमानुसार अलाटमेन्ट थे, उनका कब्जा था तथा वह लोग बराबर हर साल लगान भी भर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उन लोगों को पहले से भय बना हुआ था इसलिये वह लोग पहले एस. पी. बूंदी के पास गए और उन्होंने दफा 147-447 का मुकदमा भी दर्ज कराया। पर एस. एच. ओ. हिन्डौली ने बावजूद मुकदमा दर्ज होने के कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये वह कलेक्टर बूंदी के पास भी गए। कलेक्टर ने उन्हें एस. डी. ओ. नेनवा के पास भेजा तारीख 22-7-77 को। वह लोग 23-7-77 को नैनवा एस. डी. एम. से मिले। एस. डी. एम. नैनवा ने उन्हें कहा कि सभी इन्तजाम कर दिये हैं तुम जाकर अपनी खेती शुरू कर दो। अध्यक्ष महोदय, वे बेचारे गरीब हरिजन जब अपने खेतों पर गये दिनांक 24-7-77 को और अपना खेत खड़ रहे थे तभी अचानक यह सवर्ण जाति के लोग और आर. एस. एस. के लोग वहां पर पहुंचे और उन्हें जबरन बेदखल करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके साथ कुल्हाड़ी और लकड़ियों से मारपीट की जिससे कई घायल हो गये।

अध्यक्ष महोदय, जब वह गरीब लोग कलेक्टर, थानेदार, व एस. डी. एम. सभी से मिल कर आए थे तब उन्हें सूचना दी थी, हमें भय है कि कहीं हमारे साथ मारपीट न हो जाय। पर जो जनता पार्टी की सरकार गरीब हरिजनों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हामी बनती है, उन्हें संरक्षण देने की बात कहती है उसी जनता पार्टी के राज में इन हरिजनों के साथ इतना भारी अत्याचार हो रहा है। उनके साथ कुल्हाड़ी और लकड़ियों से मारपीट की। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, कितने दुःख की बात है पुलिस ने आज दिन तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की और किसी के खिलाफ में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम हरिजनों को बेदखल नहीं करेंगे, यह झूठी बातें जनता में फैला रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से जनता पार्टी की सरकार में हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बून्दी का ही नहीं है, राजस्थान के कोने कोने में, हर गांव में हरिजनों के साथ ऐसा हो रहा है। यह और कोई नहीं है, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सवर्ण जाति के लोग हैं, आर.एस.एस. के लोग हैं जो यह अत्याचार कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस की आज ही सूचना मंगाकर एक वक्तव्य दें। साथ ही हरिजनों के साथ अत्याचार करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें दण्डित करें। इस तरह की अगर कार्यवाही जनता पार्टी की सरकार, जो हरिजनों को संरक्षण देने की बात करती है, नहीं करती है और अगर इसी प्रकार का संरक्षण जनता पार्टी की सरकार हरिजनों को देती है तो

Page No 3

(3)

(श्री शंकरलाल)

फिर मैं समझता हूं कि इस राजस्थान के अन्दर हरिजनों की सेफ्टी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आपको इस एडजोर्नमेंट मोशन को एडमिट करना चाहिये था। और इस पर मन्त्री महोदय के द्वारा सारी स्थिति का पता लगवा कर कार्यवाही कराते, हाउस में वक्तव्य दिलाते तो एक सही कदम होता लेकिन आपने यह व्यवस्था दी कि मैं इसे एडमिट नहीं कर सकता। खैर, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है पर मैं गृह मन्त्री जी से आशा करता हूं, वे एक अच्छे समाजवादी विचार के हैं। अपने आपको गरीब हरिजनों का हमदर्द बताते हैं वे इसलिये इस विषय में अधिक ध्यान देकर उन लोगों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही करायेंगे और उन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गरीब हरिजनों को उस जमीन पर वापस कब्जा दिलायेंगे। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि वे ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे उन हरिजनों को राहत मिले और वह काश्त कर सकें।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह क्या कह रहे हैं ? काश्त करने का समय तो मेव गया, अब कैसे काश्त कर सकते हैं।

श्री शंकरलाल : आपको क्या पता काश्त कब होती है। आपने कभी काश्त की है ? जानते नहीं हैं और बीच में बोल जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने बड़े जोर शोर से जनता में यह भाषण दिया कि हम हरिजनों को उनके अधिकार दिलायेंगे और उन्हें पूरी तरह से संरक्षण दिलायेंगे। उसने यह भी कहा कि जनता पार्टी हरिजनों की कठिनाइयों के प्रति जागरूक है उन्हें संरक्षण देगी। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमारे भारत के गृह मन्त्री चौधरी श्री चरणसिंह ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हरिजनों पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सब केवल भाषण ही है। इसका मैं आपके सामने एक नया उदाहरण पेश करना चाहता हूं। श्रीमान्, दिनांक 21-7-77 को एक वृद्ध हरिजन की हत्या कुछ समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ी निर्दयतापूर्वक कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, हत्यारों ने पहले तो उस वृद्ध के पांव काट डाले। फिर उसके हाथ तोड़े, और उसके बाद उसका पेट चीर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह क्यों हुआ, यह आपको निवेदन करना चाहूंगा। उस वृद्ध के बेटे की बहू के साथ इन असामाजिक तत्वों ने बलात्कार किया था। अध्यक्ष महोदय, इन गरीब हरिजनों की बहू-बेटियों के साथ बलात्कार इस जनता पार्टी के राज में होना कोई नई बात नहीं है लेकिन जो जनता पार्टी हरिजनों की हमदर्द बनती है, भाषण देती है उन्हें संरक्षण देने के उनके राज में यह हो तो थोड़ा दुःख दर्द हमें होता है।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : यह कहां हुआ ?

श्री मूलचन्द डागा : यह भी बताऊंगा, गृह मन्त्री जी, आपका विभाग आपको यह

(श्री मूलचन्द डागा)
सूचना नहीं देता है। ऐसी घटनायें तो रोजाना हरिजनों के साथ होती हैं।

श्री केदारनाथ : कितने दिन पहले की घटना है ?

श्री मूलचन्द डागा : इसी माह की है, गृह मंत्री जी, आपको पता नहीं है। आप तो जनता पार्टी की सरकार के नशे में झूम रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय सदस्य, यह कोई बीच में बोलने और हंसने की बात नहीं है, काफी गम्भीर मामला है। कत्ल हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, कत्ल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह लोग नींद में नहीं सो रहे हैं कि इन्हें जगाने की कोशिश करनी पड़े। यह तो जागते जागते ही सो रहे हैं। इन्हें उठाना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, एक गरीब हरिजन के बेटे की बहू के साथ बलात्कार हो और एक गरीब हरिजन वृद्ध की हत्या हो फिर भी मंत्री जी पूछ रहे हैं कि यह घटना कहां हुई है। यह हुई है झालावाड़ जिले में चौमहला से 13 किलो मीटर दूर एक गांव में। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि आप इस पर एक स्टेटमेंट दिलाते गृह मन्त्री जी से। अध्यक्ष महोदय, वह गरीब वहां से अपना मकान छोड़कर भाग गये हैं, अपनी जमीन छोड़कर चले गये हैं। जनता पार्टी की सरकार जो कि यह नारा देती है, जागते रहो, उस जनता पार्टी की सरकार की पैनी नजरों में यह बात नहीं आ सकी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि आप मेरे इस एडजोर्नमेंट मोशन पर हाउस के बिजनेस को एडजोर्न करते और गृह मंत्रीजी से स्टेटमेन्ट और पूरी सूचना आने तक इस हाउस को नहीं चलाते। यह हत्या का मामला है। एक हरिजन की हत्या हुई है और बलात्कार हुआ है उसके बेटे की बहू के साथ पर आपने इस पर स्टेटमेंट दिलाना, पता नहीं क्यों, जरूरी नहीं समझा। मैं माननीय श्रम मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पांच बजे से पहले टेलीफोनिक सूचना मंगावें, या वाइरलेस काल करके सूचना मंगावें कि क्यों ऐसी स्थिति वहां पैदा हुई और जो दोषी हैं, हत्यारे हैं उन्हें तुरन्त गिरफ्तार करें नहीं तो जो हरिजन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जनता पार्टी में बैठे हैं वे इन हरिजनों के साथ अत्याचार के कारण इधर आकर बैठ जावेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर गृह मंत्रीजी एक स्टेटमेन्ट दें।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, इतने समय में सिर्फ दो केस हुए हैं फिर भी माननीय सदस्य यह कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के सामने एक दो नहीं 50 केस साइट कर सकता हूं।

श्री केदारनाथ : अगर पहले सूचना मुझे मिल जाती तो मैं सूचना एकत्रित करके स्टेटमेंट हाउस में दे देता। यह तो आज सूचना दी है।

5

श्री शंकरलाल : मैंने तो आपको कल सूचना दे दी थी।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है पहले सूचना आती तो मैं स्टेटमेंट देता। हमारी सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि हरिजनों को प्रोटेक्शन दिया जावे। उनको कब्जा शुदा जमीन से उन्हें बेदखल नहीं किया जावे। सारे राजस्थान के कलेक्टर्स और एस.पी. को यह हिदायत गवर्नमेंट की तरफ से है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ कोई एट्रॉसिटीज हों तो वह स्वयं मौके पर आकर अगर उनके उस जमीन पर टाईटल है तो उनका कब्जा दिलायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक बड़े भारी घोटाले की ओर मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सीमेंट के पोल्स का 143 रु. पर किलोमीटर के हिसाब से, टेण्डर दिये गये लेकिन वास्तव में 148.50 रु. के हिसाब से पेमेन्ट किया गया। इसमें बड़ा भारी गोलमाल हुआ है, 5II) रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अधिक दिये गये हैं। यह 25-7-1977 को खरीद के आदेश दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अलवर मैटल्स ने 144 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से टेण्डर दिये जबकि अशोका मैटल्स उदयपुर ने बिजली के खम्भों के 140 रु. के टेण्डर दिये। सस्ता टेण्डर क्यों नहीं स्वीकार किया गया? इस बारे में बड़ा भारी गोलमाल है। इसलिये इस ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अलावा राजस्थान और पंजाब को केबल्स सप्लाई किये गये। इन्डो इन्जीनियरिंग कोटा ने 1701 रु. पर किलोमीटर के हिसाब से टेण्डर दिया एक्सक्लूजिव एक्साइज ड्यूटी। राजस्थान बिजली बोर्ड को 1701 रु. पर किलोमीटर पर दिया जब कि पंजाब को 1675 रु. पर किलो मीटर पर दिया। जैन केबल्स, झूंटा (रायपुर पाली) ने राजस्थान बिजली बोर्ड को 1701 रुपये पर किलोमीटर पर दिया जब कि 1675 रु. पर किलोमीटर पर पंजाब को दिया इनक्लूजिव एक्साइज ड्यूटी। राजस्थान बिजली बोर्ड से 26 रुपया पर किलो मीटर अधिक लिया। न्यू एज केबल्स जयपुर ने राजस्थान बिजली बोर्ड को 1701 पर किलोमीटर का दिया और पंजाब को 1675 रु. में दिया इनक्लूजिव एक्साइज ड्यूटी। पारस प्राइवेट लि. बांसवाड़ा ने राजस्थान बिजली बोर्ड को 1701 रु. पर किलोमीटर का दिया और पंजाब को 1800 रु. पर किलोमीटर पर। ओसवाल केबल्स जयपुर ने 1701 रु. पर किलोमीटर राजस्थान बिजली बोर्ड को दिया पंजाब को 1575 रु. पर कि. मीटर। इसके अलावा प्रेम केबल्स पिपलिया कलां ने 1651 रु. पर किलो मीटर का दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार से लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। लाखों रुपयों का इस प्रकार से गोलमाल किया जा रहा है। 9 करोड़ की खरीद हो रही है। पहली खरीद तो हो चुकी। इसके लिये आप जांच बिठाइये और तुरन्त कार्यवाही करियेगा। लाखों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का इस तरह से बरबाद किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्रीजी एक तरफ टैक्स लगायेंगे दूसरी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तरफ लाखों रुपयों का स्टेट को घाटा दिया जा रहा है। इसकी सारी फाइल मंगाकर देखिये। इसकी सही रूप से जांच हो तो लाखों की रिश्वत जिन्होंने ली है उनको वापस देनी होगी।

राजस्थान बिजली बोर्ड के द्वारा कन्ट्रैक्टर्स खरीदे जा रहे हैं। स्टेट लेवल पर आप इसको रोक सकते हैं। मैंने इस ओर माननीय मंत्री जी का आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित किया है। बार बार आपने यह घोषणा की है कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने को कटिबद्ध है। विरोधी पक्ष ने यह मामला आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इस मामले की जांच कराइये। आप कहेंगे कि यह मामला गलत है। गलत है या सही है हमने तो आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। अब आप इसकी जांच कराइये। बोर्ड के हिसाब से ही इतना डिफरैन्स है।

अध्यक्षजी, आपको ज्ञात होगा कि जयपुर में कोई ऐसी फर्म नहीं है। केवल फ्रोड है और गोलमाल का मामला है। आपने किस प्रकार से टेण्डर एक्सेप्ट कर लिया? इसलिये इस सब की जांच करके सही मामला सामने लायें कि क्या फैक्ट्स हैं। हम तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कदम ब कदम आपके साथ चलना चाहते हैं। इसलिये आप इसकी जांच करके इन्फॉर्मेशन दीजियेगा। आप अध्यक्षजी को दे दीजियेगा। किस तरह से लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है, इसके जो फैक्ट्स हमारे पास आये हैं वे हमने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं।

श्री शंकर लाल : जैसा कि सांचोर से आये माननीय सदस्य ने कहा वह बिलकुल सत्य है। 5॥ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से अधिक पेमेन्ट किया गया है। इसमें पर्चेजिंग आफिसर की साठगांठ है। 9 करोड़ की खरीद हो रही है, आप इसके कागजात मंगवा कर देखिये। एक ओर लाखों करोड़ों रुपया सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उड़ाया जा रहा है और दूसरी ओर आप जनता पर और काश्तकारों पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। काश्तकारों पर टैक्स में कमी करने की बात आती है तो उसे इन्कार करते हैं लेकिन जब लाखों करोड़ों रुपया इस प्रकार से खर्च हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, सदन की समाप्ति के पहले पहले सूचना हमको दें।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी का चुनाव हुआ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह लाखों का घाटा हुआ। बार बार कहा गया।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के चुनाव में चन्दा ले लिया इन लोगों से इसकी भी जांच करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊलाल जोशी : यह स्वप्न आया है आपको?

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है?

Page No 7

(7)

श्री गुल मोहम्मद : जयपुर के नागरिकों की एक समस्या है जो मंत्रि-मण्डल के समक्ष रखना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अन्तिम दिन है । दो मिनट बोल लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : यह एक अहम सवाल है जो आपको सुनना चाहिये । मैं बड़े अदब से कह रहा हूं कि यह प्रश्न जयपुर के नागरिकों, विधायकों, मन्त्रीगण और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जिन्दगी और मौत से जुड़ा हुआ है । जयपुर दुग्ध वितरण योजना जयपुर में दूध सप्लाई करती है । आज 5 बजे सुबह मेरे पास टेलीफोन आया । मैं मोतीसिंह भोमियों के रास्ते पर जो बूथ नं. 97 है वहां पर गया । मुझे दूध का एक ड्रम बताया गया जिसमें तीन चुहिया मरी हुई पड़ी मिलीं ।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

एक कांग्रेसी सदस्य : मन्त्रीगण की आंखें बन्द है ?

श्री गुल मोहम्मद : इस प्रकार दूध में सांप और बिच्छू भी निकल सकते हैं । जो अधिकारीगण दुग्ध वितरण योजना में हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, उनको क्यों नहीं शीघ्र निलम्बित किया जाता है ? सरकार को उनको शीघ्र ही निलम्बित करना चाहिये और जांच करनी चाहिये । इसी बूथ पर एक महीने पहले भी चुहिया निकली थी । मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा ये अधिकारी गण तत्कालीन सरकार द्वारा थोपे गये थे । ये आज हमारी सरकार और जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करते हैं इसलिए इनको शीघ्र ही क्यों नहीं निलम्बित किया जाता है ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । यह कहा गया था कि खेलियों का पानी इस दूध में मिला लेते हैं । इसलिए इसका जवाब मांगा जाय । वही की वही शिकायत है । माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं ।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने दूध की बोतल रख रहा हूं जिसमें चुहिया मरी पड़ी है । मैं सेम्पल लेकर आया हूं । यह अधिकारीगण जो कि अधिकांश कांग्रेस सरकार द्वारा लगाये गये थे, मैं फिर से आपके द्वारा मांग करता हूं, उन्हें तत्काल निलम्बित किया जाये ....

श्री मूलचन्द डागा : यह बोतल हाउस की टेबल पर रखिये और केमिस्ट से उसकी जांच करायें ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, डेयरी का महकमा माननीय मुख्य मंत्री के अधीन है । उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया फिर भी इसमें कभी खेलियों का पानी मिलाया जा रहा है और कभी मरी चुहिया निकलती है । इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(दूध की बोतल सदन की मेज पर रखी गई)

श्री रतनाराम : अध्यक्ष महोदय, इस बोतल की जांच कराई जाये और जो घोटाले हो रहे हैं उनकी भी जांच कराई जाये।

श्री गुल मोहम्मद : दो मिनट और लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

मैं आपके द्वारा सरकार से आश्वासन चाहूंगा इस सदन के अन्दर। जिन अधिकारीगण ने यह गलतियां की है उनको फौरन निलम्बित करने का वह आश्वासन दें और उनको आज ही निलम्बित करके दूसरे अधिकारियों को लगायें। मैं सरकार से यह मांग करता हूं यह हमारी जिन्दगी और मौत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरी जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है।....

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : मैं सरकार से चाहूंगा कि इसका आश्वासन दे।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बोतल रखी है वह तो....

श्री अध्यक्ष : नियमों के विपरीत दलील हो रही है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह जो चीजें लेकर आये हैं वह सदन की मेज पर आनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आ गयीं।

श्री गुल मोहम्मद : मैं इसका वह फोटो भी प्रस्तुत करूंगा जो लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार आश्वासन दे इस मामले में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हो गया।

श्री गुल मोहम्मद : मैं सरकार से चाहूंगा कि वह जवाब दे और आश्वासन दे इस बात के लिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कुछ समझ नहीं आता आप क्या चाहते हैं। स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री शंकरलाल : सरकार मौन क्यों है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह जी !

श्री गुल मोहम्मद : हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है। इस तरह से तो सांप और बिच्छू भी निकल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार से जवाब दिलाया जाये और आश्वासन भी दिलाया जाये कि जो दोषी अधिकारी हैं उनको फौरन निलम्बित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ आपको कहना था उसकी सरकार को सूचना मिल चुकी है। हो गया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह जी !

श्री किशनसिंह : मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का ध्यान एक अहम मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं....

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहती

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

हूं। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन आपने कहा कि सब कुछ हो गया। मैं समझती हूं कि ट्रेजरी बेंचेज की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एक बात भी निवेदन करना चाहती हूं कि पहले इस बोतल को ठीक से देख लिया जाये कि आया यह सील-बन्द है या इसकी सील एक बार खोल कर दुबारा लगाई गई है। इसके देखने से सारी भ्रांतियों का निराकरण हो जायेगा। इसको बहुत चतुराई से खोला भी जा सकता है और बोतल में फिर से कुछ रख कर बन्द भी किया जा सकता है। इसका तो जरा पता लगा लें और इसके बाद निश्चित तौर पर मंत्री महोदय यहां बिराजमान हैं उनसे जवाब दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत हो गया।

श्री किशन सिंह !

श्री गुल मोहम्मद : यह बहुत अहम सवाल है। इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया माननीय सदस्य। श्री किशन सिंह जी।

श्री शिवचरण सिंह : मेरा एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मैं समय दूंगा। श्री समरथलाल नहीं हैं।··

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

प्रद्युम्नसिंह जी और शिवचरण सिंह जी, आप दोनों को मैं समय दूंगा। आप जरा किशनसिंह जी को बोल लेने दीजिए।

श्री किशनसिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान राजस्थान के एक बहुत ही अहम मसले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 12 वर्षों से जैसलमेर में आयल एण्ड नेचरल गैस कमीशन कार्य कर रहा है। यह हमारे राजस्थान में पहला प्लान्ट है.....

श्री प्रद्युम्नसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर··

श्री किशन सिंह : इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, इन्टरप्शन नहीं करने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आज अन्तिम दिन है और माननीय सदस्य ने चाहा है। आप को समय दूंगा, प्रद्युम्नसिंह जी। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : आपका भी अभी टर्न आ रहा है। श्री किशन सिंह।

श्री किशन सिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के लिए बहुत अहम मसला है। पहले फ्रेन्च फेरासोल कम्पनी ने जैसलमेर में खुदाई का काम किया जिसने पाकिस्तान में भी काम किया था। यह पहला आइल एण्ड नेचरल गैस कमीशन का प्लान्ट है। इस प्लान्ट को पहले के.डी.

(श्री किशनसिंह)

मालविया जी उठाकर यू. पी. ले गए। अब इस काम को एकदम हैस्ट में बन्द किया जा रहा है। मुझे कल एक तार मिला है और बहुगुणा से इस संबंध में एक डेपूटेशन भी मिला है। उनसे कहा गया है कि इसको यहां से बन्द नहीं किया जाये। केवल एक पाइन्ट पर आधी खुदाई करके इसको यू. पी. ले जाया जा रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारे राजस्थान की प्रगति रुकती है। हमारे यहां राजस्थान में पैट्रोल और गैस निकलने की पूरी गुंजाइश है। ऐसा इम्पार्टेन्ट प्राजेक्ट राजस्थान से ले जाया जा रहा है। पहले सवाई माधोपुर से रिफाइनरी मथुरा ले जायी गयी। इसके बाद एक ही प्लान्ट जैसलमेर में है उसको भी यहां से ले जाया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट इसमें तुरन्त इन्टरवेन्शन करे और नेगी कमीशन की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाये जैसा कि बहुगुणा जी का एश्योरेन्स है तब तक इसके शिफ्टिंग को रोका जाये। इससे हमारे राजस्थान की प्रोग्रेस जुड़ी हुई है। वहां पैट्रोल और गैस निकालने की पूरी सम्भावना है। इससे हमारे प्राविन्स की इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस होने की गुंजाइश है। वहां से पैट्रोल निकलना बन्द हो जायेगा और गैस निकलना बंद हो जायेगा। पाकिस्तान में सुई गैस निकली है, उसकी बेल्ट यही है। वहां पर आप देखिये कितनी गैस मिली है। वह मुश्किल से 15 मील की दूरी पर है। यहां पर मेनुफैक्चरिंग स्टेज पर पैट्रोल निकल गया और 12 मील दूरी पर पैट्रोल है। यह प्राकृतिक गैस है। फिर भी हमारे इस जैसलमेर के प्लान्ट को यू.पी. ले जाया जा रहा है। इसलिए राजस्थान गवर्नमेन्ट अपने गुड आफिसेस को काम में ले। इस प्रश्न के साथ हमारी स्टेट का इन्ट्रेस्ट भी जुड़ा हुआ है। यह एक अहम मसला है इसलिए आपके माध्यम से चाहूंगा कि राजस्थान का आइल एण्ड नेचरल गैस कमीशन का यूनिट नेगी कमीशन की रिपोर्ट तक और दूसरी कमेटी की रिपोर्ट तक रोका जाये।

श्री शंकरलाल : मसला इम्पार्टेन्ट है।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न रखा है वह बहुत इम्पार्टेन्ट मामला है। यह बात बिलकुल सही है और पहले अखबारों में भी आया था कि जैसलमेर में पेट्रोल निकल गया है। उसके बारे में फिर कहा गया कि वहां थोड़ा ही निकला है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की ओर से एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना चाहिये क्योंकि यह कहा गया था कि इसी बेल्ट में बोरिंग हुई थी। यह मशीनें यहां से नहीं हटाई जानी चाहिए और राजस्थान के अंदर इसके लिए पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां गैस और पैट्रोल निकल सकता है। इसके यदि भारत सरकार के आदेश हुए हैं और उसके अनुसार मशीनें हटाई जा रही हैं तो इस बारे में अपना रिजोल्यूशन जाना चाहिए कि वह मशीनें यहां से नहीं हटाई जायें। जहां कहीं भी आसाम में और दूसरी जगह बोरिंग किये हैं वहां सक्सेसफुल आपरेशन हुए हैं। जब पाकिस्तान में भी ऐसी ही बेल्ट है तो यहां भी पेट्रोल और गैस निकलेगी। यदि यह

(श्री खेतसिंह)
चीज हमारे यहां रहती है तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी तरफ से भारत सरकार को आग्रह किया जाये कि वह मशीनें वहां से शिफ्ट न करें।

श्री शंकरलाल : इस बारे में प्रस्ताव आज ही भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत हो गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे राजस्थान की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। हमारे सामने जो फैक्ट्स आये हैं उनके आधार पर हम अपनी बात कहना चाहेंगे। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फैक्ट्स रखे हैं उनके आधार पर राजस्थान सरकार को बहुत ही गम्भीरता से सोचना चाहिए। जो काम करने वाले टैक्निशियन्स हैं जब उन्होंने कहा है कि वहां गुन्जाइश है तो फिर इसको ले जाया जाय इसकी कोई वजह नहीं है। अगर कोई इन्ट्रेस्टेड है और वह लोग अपने यहां से ले जाकर दूसरी स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो इस पर विस्तार से गहराई के साथ विचार करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मैंने समरथलाल का नाम पुकारा। समरथलाल जी उस समय थे या नहीं मुझे मालूम नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : थे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो बोलें।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री समरथलाल।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। मुझे बोलने का समय जाये।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैंने 25 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था बहुत जरूरी है, सारा गांव जलमग्न हो गया।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य नहीं, बहुत हो गया।

श्री माधोसिंह : पूरा गांव जलमग्न हो गया। 200 परिवार पानी में डूब गये। 25 तारीख को मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके सामने रखा था...

श्री अध्यक्ष : फ्लड के संबंध में? पूरा समय दूंगा।

श्री माधोसिंह : धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री का वक्तव्य हो जाये उसके पश्चात् जितने नाम आये हैं सब मैंने लिख रखे हैं, 13 नाम हैं। आपको समय अवश्य दूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की कठिनाई

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जितने भी यूनिवर्सिटी के और राज्य सरकार के महाविद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिये अधिकारियों द्वारा कुछ अड़चनें पैदा की जा रही हैं। जो प्रवेश के नियम हैं, उन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आर्ट्स के अन्दर, जहां आर्ट्स की फेकल्टीज हैं, 40 प्रतिशत वाले छात्रों को प्रवेश दिया गया है जब कि 36 प्रतिशत वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिये। इस प्रकार 36 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक के राजस्थान के अन्दर करीब 5 हजार छात्र ऐसे हैं जो आज प्रवेश के लिये घूम रहे हैं। मैं समझता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी, वे छात्र हैं जिन्होंने आपको इस राज में लाने के लिये, आपकी सरकार को इस राज में लाने के लिये सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से इन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तो वे क्या करेंगे। आखिर वे आवारा घूमेंगे और अपने जीवन की शुरुआत के अन्दर आवारा घूम करके जीवन को बरबाद करेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अन्दर आप कोई न कोई व्यवस्था करें। प्रवेश अधिकारियों द्वारा छात्रों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऊटपटांग जवाब दिया जाता है। अभिभावक और संरक्षक जब जाते हैं तब उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर आप अवश्य ध्यान दें। अब एडमिशन्स हो रहे हैं, शायद 1 अगस्त तक एडमिशन्स होंगे इसलिये एक अगस्त से पहिले कोई न कोई आदेश दें ताकि सभी छात्रों को एडमिशन्स की सुविधा मिल सके। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैंने भी इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है। राजस्थान में छात्रों के प्रवेश की काफी गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। मूल में जब यह सदन प्रारम्भ हुआ था यह प्रश्न उठाने की चेष्टा की गई थी कि छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। आज हजारों छात्र राजस्थान के अन्दर मारे मारे फिर रहे हैं। दूसरे प्रान्तों के छात्रों को यहां प्रवेश मिले और हमारे छात्रों को प्रवेश नहीं मिले, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। कहते हैं हिन्दुस्तान एक है, दूसरे प्रांतों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं लेकिन हरियाणा की मुझे जानकारी है, हरियाणा में, यू. पी. में अपने छात्रों को पहिले प्राथमिकता दी जाती है जब कि हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है। साइन्स के स्टूडेंट्स का हाल यह है कि पहली लिस्ट में 63 पर्सेन्ट की लिस्ट निकली है और ऐसे छात्रों को प्रवेश मिला है। यह तो गवर्नमेंट कालेजेज हैं उनकी समस्या है।

आज यूनिवर्सिटी के अन्दर भी एडमिशन्स की समस्या आ रही है। जयपुर के

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
जितने कालेजेज हैं वे यूनिवर्सिटी के हैं, गवर्नमेंट के कालेजेज नहीं हैं। जयपुर के अन्दर भी एडमिशन्स की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। मुझे डर इस बात का है कि यह समस्या हिंसा का रूप न ले ले। पोस्ट ग्रेजुएट्स कालेजेज के अन्दर भी प्रवेश की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहां पर इन्टरनल असेसमेंट सिस्टम से एक्जामिनेशन हो रहे हैं। यह बात सही है कि यूनिवर्सिटी पेपर सैट करके भेज रही है किन्तु कालेजेज के अध्यापक कापियां जांचते हैं। इससे भ्रष्टाचार की बीमारी बढ़ गई है, प्राइवेट ट्यूशन की बीमारी बढ़ गई है। जिन लड़कों की प्राइवेट ट्यूशन्स होती है उनको अध्यापक अच्छे नम्बर दे देते हैं। उनके नम्बर अच्छे आ जाते हैं और जहां जिस कालेज में ईमानदारी बरती जा रही है, नियमों के अनुसार, मेरिट के आधार पर कापियां का मूल्यांकण करते हैं, वहां छात्र पीछे रह जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड कालेज हैं उनके अन्दर ऐसा हो रहा है। उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

लड़कियों के लिये गम्भीर समस्या हो गई है। कालेजेज में जो किस्से हुए हैं मैं उन्हें कहना नहीं चाहता। लड़कियों के कालेजेज यहां कम हैं और को-एजूकेशन के कालेजेज हैं। इस सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिये।

गंगानगर के एक कालेज का नाम लेकर कहना चाहता हूं कि 128 लड़के बैठे हैं उनमें से 125 फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। क्या उसी कालेज के छात्रों को एडमिशन्स मिलेंगे बाकी के लड़कों को नहीं मिलेंगे? इसलिये आपको नियम निर्धारित करने पड़ेंगे, आपको आगे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप शिक्षा के अन्दर आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं या नहीं लेकिन जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अन्दर मैं चाहूंगा कि राजस्थान के छात्रों का एक पर्सेन्टेज फिक्स कर दिया जाये कि हर कालेज के अन्दर इतने पर्सेन्ट वाले छात्र को एडमिशन मिलेगा। चाहे आपको अलग सेक्शन खोलने पड़ें लेकिन उनको एडमिशन अवश्य दिया जाये। मुझे डर है, छात्रों में अगर गुस्से की भावना रहेगी और हिंसा का रूप धारण कर लेंगे तो इसके बड़े गम्भीर परिणाम होंगे। यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री कौशलकुमार जैन: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: आपको भी मिलेगा लेकिन इसके बाद। श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को स्कालरशिप देकर पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ कालेजेज की व्यवस्था नहीं है। जिस अनुपात में हायर सेकेन्डरी और सेकेन्डरी स्कूल खोले गये हैं उनके प्रपोर्शन में कालेजेज नहीं बढ़ाये गये हैं। मेरा निवेदन है कि इस समस्या को हल करने के लिये सबसे पहले उस प्रपोर्शन से कालेजेज की संख्या और बढ़ाई जाये जिस प्रपोर्शन में सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जा रहे हैं।

Page No 14

(14)

(श्री शिवचरणसिंह)

दूसरे मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लड़कों को हम स्कालरशिप देते हैं और एक्स आर्मी पर्सन्स के डिपेंडेंट को सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी तक स्कालरशिप देते हैं उनके लिए यह आब्लीगेटरी हो जाता है, उनका राइट हो जाता है कि गवर्नमेंट उनको कालेज में एडमिशन दे, चाहे उनका डिविजन कुछ भी आया हो, या फिर शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लड़कों के लिए आप रूल्स बना दीजिए कि कितने पर्सेन्टेज के ऊपर के लड़कों को स्कालरशिप देंगे, नीचे वालों को नहीं देंगे। तभी जाकर यह समस्या हल होगी। या यह नियम बना दीजिये, एक एम. एल. ए. को अधिकार दे दीजिये कि इनकी सिफारिश पर ही स्कालरशिप देंगे। यानि फूलप्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखेंगे कि हजारों लड़के सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी करने के बाद मारे मारे फिर रहे हैं। इसके अलावा इन्टरनल एग्जामिनेशन होता है उसमें विद्यार्थी दादागिरी करते हैं, कई कालेजों में एग्जामिनेशन के टाइम में झगड़े होते देखे गए हैं। लोकल एग्जामिनर को प्रेसराइज करके नम्बर लगवा लेते हैं। इस प्रकार जो पढ़े-लिखे विद्यार्थी हैं, भले लोग हैं उन्हें पर्सेन्टेज के कारण एडमिशन मिलता नहीं है और ऐसे लोगों को मिल जाता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय को यह सुझाव है कि जब राज्य सरकार एजूकेशन के पर्सेन्टेज को बढ़ा रही है हिन्दुस्तान में और जैसा माननीय नेता महोदय ने यहां पर दावा किया था तो जो विद्यार्थी कालेज एजूकेशन में एडमिशन लेना चाहें उनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपकी सरकार तो बड़ी प्रोग्रेसिव है। आप कालेज ओपन स्पेस में खोलिए, पेड़ों के नीचे क्लास लगाइये, थोड़ी बहुत लेक्चरार्स की तनख्वाहों का ही तो खर्चा आएगा। आप चाहे शाखाओं के तरीके पर कालेज खोलिए, ऐसे अपार्टमेंट खोलिए लेकिन (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) यदि कोई विद्यार्थी बिना एडमिशन के रहता है तो वह इस सरकार के लिए बड़ी लज्जा की बात है क्योंकि शिक्षा को बढ़ाने की बात, शिक्षा का पर्सेन्टेज बढ़ाने की बात आपकी है। चाहे वह आर. एस. एस. के पैटर्न पर हो, एतराज नहीं है लेकिन शिक्षा मिलनी चाहिये। आर. एस. एस. के केडर के आधार पर और एड देकर आप भले ही कालेज और स्कूल चलावें लेकिन एडमिशन प्रत्येक विद्यार्थी को मिलना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। मेरा सुझाव यह है कि आर. एस. एस. की शाखाओं की तरह ही हो लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को कालेज एजूकेशन मिलनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम प्रश्न है जिसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। आप इस बात पर भी गौर फर्मा लें और शिक्षा मंत्रीजी ...

श्री माणकलाल (नैनवा) : क्या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कोई लाइसेन्स

Page No 15

(15)

(श्री माणकलाल)
होल्डर हैं कि वे खड़े होते हैं तो उनको मौका दे देते हैं और इधर बैठने वालों को मौका नहीं देते ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : पोइन्ट आफ आर्डर सर । व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्य लाइसेंस होल्डर है यह मैं समझता हूं कि मोस्ट अन डिग्निफाइड, अन-पार्लियामेंट्री वर्ड है । It should be expunged.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लाइसेंस होल्डर में क्या अनपार्लियामेंट्री है....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बिलकुल बकवास है, आप इसको बकवास बन्द करें ।

श्री बाऊदयाल जोशी (टोंगोद) : श्रीमान्, जनता ने आपको हमको, सबको लाइसेंस दिया है तभी तो यहां बैठे हैं ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रद्युम्नजी से कहूंगा कि आपको हमको जनता ने लाइसेंस दिया है तभी तो यहां पर आकर बैठे हैं । जनता आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं करती तो आप यहा मौजूद नहीं होते । जनता आपको रिजेक्ट कर देती तो आप यहां नहीं होते ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : They are talking nonsense.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन अपने पैरों पर है । माननीय सदस्य ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार...

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री अध्यक्ष : एक एक करके अगर कहेंगे तो सुन सकूंगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन लूंगा, कहिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यहां पर माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने एक

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
शब्द का प्रयोग किया है कि इस हाउस में बकवास नहीं की जानी चाहिये। यह बकवास शब्द अनपार्लियामेंट्री है, इसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं सुना।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप कार्यवाही देखकर अपना निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष : मैं उसको देख लूंगा। मिनिट्स में यदि कोई एतराज काबिल शब्द होगा तो विचार करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों की भर्ती के सम्बन्ध में एक बहुत ही अहम प्रश्न है कि जिन लोगों के बच्चे और लड़कियां थर्ड डिविजन पास है उनको आर्ट और कामर्स में भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा लड़के थर्ड डिविजन में ही पास होते हैं···

एक माननीय सदस्य : आप तो थर्ड में नहीं हुए।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने सेकिंड की कोशिश ही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि चाहे यूनिवर्सिटी हो और चाहे, बोर्ड हो, इन सबके इम्तिहानों के अन्दर थर्ड डिविजन देते हैं। बोर्ड के इम्तिहान में थर्ड डिविजन दिया जाता है और यूनिवर्सिटी में थर्ड डिविजन दिया जाता है फिर जो हायर सेकेन्डरी थर्ड डिविजन में पास करके कालेज में प्रवेश लेने आते हैं तो उन लड़कों को फर्स्ट ईयर टी.डी.सी. में भर्ती क्यों नहीं किया जाता? अगर बी. ए. थर्ड डिविजन में पास कर लिया तो एम. ए. में भर्ती नहीं किया जाता। राज्य सरकार की नौकरी मे चाहे तो सैकिंड डिविजन के बिना कोई दरख्वास्त तक नहीं लेते। ऐसी स्थिति में इन थर्ड डिविजन पास का क्या किया जाये? इस बारे मे शिक्षा मन्त्री जी उत्तर देने की कृपा करें। जब ये लड़के नौकरी में नहीं जा सकते, सरकार कालेज में भर्ती करने की आज्ञा नहीं देती तो क्या होगा? यही लड़के फ्रस्ट्रेटेड होकर, डी-मोरेलाइज होकर हंगामा खड़ा करते हैं, हड़तालें कराते हैं। ये लड़के आपके लिए, हमारे लिए, सब के लिए प्राब्लम है। मेरा निवेदन यह है कि आप थर्ड डिविजन को अबालिश कर दीजिये, उस पर्सेन्टेज तक नहीं आता है तो उसको फेल कर दें, अगले साल और कोशिश कर लेगा और अपना डिविजन ठीक कर लेगा। अगर थर्ड डिविजन अबालिश न करें तो फिर थर्ड डिविजन में पास लड़के करें क्या? आप हमें यह बता दीजिये। आखिर थर्ड डिविजन से आपको क्या मोहब्बत है? राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी थर्ड डिविजन को अबालिश क्यों नहीं करती? आप सेकिण्ड डिविजन को मिनिमम मान लीजिये सरकारी नौकरियों के लिए, आगे कालेज में एडमिशन के लिए। थर्ड डिविजन को अबालिश कर दें, लड़का फेल हो जायगा तो अगले साल फिर कोशिश करेगा लेकिन जब आप थर्ड डिविजन देते हैं तो उनके लिए आगे क्या करना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीरियसली इस प्रश्न पर आप विचार कीजिये। जब तक इसमें प्रेक्टिकल चेंज

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं आती तब तक थर्ड डिविजन वाला आखिर करे क्या ? वह भी नागरिक है आपका, वह भी आपका बच्चा है, पढ़ कर आया है। अब जिसके 40 पर्सेन्ट मार्क्स आये और 45 पर्सेन्ट नहीं आये तो वह किसी काम का नहीं। 44 पर्सेन्ट मार्क्स ले आया और सिर्फ एक पर्सेन्ट से कम रह गया तो भी न तो कालेज में एडमिशन मिल सकता है, न सरकारी नौकर वह बन सकता है, तो आखिर वह क्या करे। इसलिए आप मैन्यूफैक्चर कर रहे हैं इनडिसिप्लीन को, आप मैन्यूफैक्चर कर रहे हैं फस्ट्रेशन को और उनका डी-मोरेलाइजेशन कर रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप थर्ड डिविजन को अबालिश कर दीजिये। ठीक है, अगले साल और पढ़ लेगा, डिविजन सुधार लेगा, अगले साल सैकिण्ड डिविजन में पास हो जायेगा। इससे कम वाले को आप सरकारी नौकरी में भर्ती तक नहीं करते, इसलिए इस प्रश्न पर आप गम्भीरता से सोचें। जब तक आप इसको नहीं करेंगे यह समस्या हर साल आपके सामने बनी रहेगी और कभी हल नहीं होगी। कहीं आपने पचास लड़के बढ़ा दिये, कहीं 25 बढ़ा दिये, इससे क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है...

श्री अध्यक्ष : कोई सुझाव नहीं। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं शिक्षा मन्त्रीजी से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने रेलों में एक डंडा हटाकर थर्ड से सैकिण्ड कर दिया, आप भी सदस्यों की राय ले लें, एक डंडा हटा कर थर्ड को सैकिण्ड कर दें।

श्री अध्यक्ष : आप तो मेम्बर आफ पार्लियामेंट रहे हैं, आप सहयोग दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश को लेकर ध्यान आकर्षित किया है, सरकार के ध्यान में वह बातें पूरी तौर से हैं और हम उस दृष्टि से पूरे प्रयत्नशील हैं।

राज्य सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी छात्र इस सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए यह व्यवस्था आवश्यक है कि स्थान विशेष पर उपलब्ध उच्च शिक्षा की सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाया जाये। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि पात्रता के अनुसार छात्र को अपनी रुचि के विषय का अध्ययन करने का अवसर मिले। अतः यह स्वाभाविक है कि प्रवेश के लिए नियम बनाए जाएं और जो छात्र उन नियमों में आते हों उन्हें हर सूरत में प्रवेश दिया जाये।

नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी छात्र जो प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हुआ है उसे द्वितीय या तृतीय वर्ष में अवश्य प्रवेश मिले। इसी प्रकार स्नातक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय में हर एक छात्र को, जिसे 45 प्रतिशत तक अंक प्राप्त हों, किसी न किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की गई है····

श्री मूलचन्द डागा : 40 प्रतिशत का क्या होगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसे कम्प्लीट हो जाने दीजिये।

यदि ऐसा करने के लिए अतिरिक्त सेक्शन भी खोलने पड़े तो वे भी खोले जायेंगे। यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि महाविद्यालयों में स्थान रिक्त हो तो इन संकायों में उन विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है जिन्हें 40 प्रतिशत तक अंक प्राप्त हों। कला संकाय में प्रवेश की सुविधा हर एक ऐसे विद्यार्थी को दी जावेगी जिसको 40 प्रतिशत तक अंक प्राप्त हों और यदि किसी महाविद्यालय में स्थान रिक्त हों तो 36 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

इस संदर्भ में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि छात्रों के लिए यह प्रवेश व्यवस्था केवल विश्वविद्यालय या किसी एक विशेष महाविद्यालय में नहीं हो सकती। इसके लिए जितने भी स्थानीय महाविद्यालय हैं उन सभी में व्यवस्था की जानी होगी। यह व्यवहारिक भी नहीं है कि किसी एक महाविद्यालय में तो विद्यार्थियों की संख्या उनकी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाये और उसी शहर में दूसरे विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी प्रवेश ही न लें। आवश्यकता पड़ने पर····

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय रॉटन स्टेटमेन्ट दे रहे हैं। इसकी कापी आपके सामने पेश हो गई है क्या ? यह स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। नियमों के तहत यह आपको पेश होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आवश्यकता पड़ने पर न केवल राजकीय महाविद्यालयों मे वरन् अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में भी अतिरिक्त सेक्शन खोलने की व्यवस्था की जावेगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। महाविद्यालयों के विधि संकायों में वे ही नियम लागू हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हैं।

निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए सब महाविद्यालयों को निर्देश दे दिये जायेंगे कि जो विद्यार्थी इन नियमों के अन्तर्गत आते हैं उनको प्रवेश से वंचित न रखा जावे। जो उत्तीर्ण छात्र प्रवेश नियमों में नहीं आते उनके लिए विकल्प स्वरूप पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन जारी रखने की सुविधा उपलब्ध है। पत्राचार पाठ्यक्रम से अध्ययन करने वाले स्नातक स्तरीय छात्र को एक साल में कुल

Page No 19

(19)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मिलाकर 335/- रुपये फीस देनी पड़ती है जो तीन किस्तों में ली जाती है जब कि राजकीय महाविद्यालय में नियमित छात्र को औसतन लगभग 150/- रुपये सालाना फीस स्नातक स्तर पर देनी पड़ती है। इस प्रकार राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि विद्यार्थियों को सामान्यत: उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हो। जैसा पहले कहा जा चुका है कि नियमानुसार प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या अधिक होने पर राज्य सरकार अतिरिक्त सैक्शन खोलने का भी प्रबन्ध करेगी।

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं कि छात्रों को प्रवेश निर्धारित नियमों के अनुसार दिये जायं। राज्य सरकार के पास अभी तक किसी भी महाविद्यालय के बारे में यह शिकायत नहीं आई है कि वहां प्रवेश नियमों का उल्लघंन किया जा रहा है और न ही कोई ऐसी शिकायत आई है कि प्रवेश देने वाले अधिकारी के छात्रों व उनके अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि कोई इस प्रकार की शिकायतें ध्यान में लाई गईं तो उनकी अवश्य जांच करायी जायेगी और तत्काल व्यवस्था की जायेगी।

माननीय सदस्यों का एक-दो बातों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सदस्य महोदय ने राजस्थान विश्वविद्यालय के इन्टरनल असेसमेन्ट की चर्चा की है। राजस्थान विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल, जो स्नातकोत्तर शैक्षणिक स्तर को तय करती है, मैं इस बात को रखूंगे। इसका ध्यान रख कर राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस पर विचार किया है। इस प्रकार की कोई कठिनाई उपस्थित हो रही है तो उन सब बातों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों के ध्यान में यह बात राज्य सरकार लायेगी। उनके लिए विचार करना, पुनर्विचार करना संभव हुआ तो उस नाते से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कौशल किशोर !

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह डिविजनर के लिए तो कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा हो गई है।

भीलवाड़ा नगरपरिषद् का भवन कर

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1972 से लेकर 1975 तक भीलवाड़ा के अंदर चुनी हुई नगरपरिषद् ने हाउस टैक्स को समाप्त कर दिया था परन्तु 1975 के बाद प्रशासक महोदय ने राज्य सरकार की स्वीकृति से वहां पर हाउस टैक्स पुन: लगा दिया है। यह बहुत....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली थी। मैं उसको स्वीकार करने में विवश हूं। वैसे चर्चा उठानी है तो दो मिनट....

श्री कौशल किशोर जैन : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जबर्दस्ती हाउस टैक्स वसूल हो रहा है। मेरा यह

(श्री कैलाश किशोर जैन)
निवेदन है कि चुनी हुई नगरपरिषद् ने अब यह निर्णय ले लिया था और उसके बाद चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, इसलिए जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते है, नगर परिषद् निर्णय नहीं लेती है, उस समय तक हाउस टैक्स की वसूली वहां पर स्थगित की जानी चाहिये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और है। भीलवाड़ा नगर सुधार न्यास द्वारा छोटे आदमियों के, गरीब आदमियों के मकान गिराये जा रहे हैं। यह सत्य है कि यह मकान आबादी में नहीं हैं, कृषि भूमि पर बने हुए हैं। इसलिए शीघ्र ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जाना चाहिये। प्रभावी लोगों के जो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, अवैध बने हुए हैं, वे लोग अपने प्रभाव का उपयोग कर अपने मकानों को टिकाये रखने में समर्थ हो गये हैं लेकिन छोटे, गरीब लोगों के जो छोटे छोटे मकान हैं, उनको गिराया जा रहा है। इन मकानों का गिराया जाना अविलम्ब रोका जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटी बात और है। राजस्थान में जितने भी बोर्ड, निगम बने हुए हैं, उनके अध्यक्षों ने नैतिकता के नाते त्याग-पत्र दे दिये थे किन्तु राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री यशवन्त सिंह नाहर ने अभी तक अपने पद से त्याग पत्र नहीं दिया है। मेरा निवेदन है कि···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान की जनता ने उनको ठुकरा दिया है इसलिए उनको इस पद से भी त्याग-पत्र दे देना चाहिये था। राजस्थान सरकार को उनको अविलम्ब हटा कर नयी नियुक्ति करनी चाहिये। यह राजनीतिक महत्व का विषय है। किसी प्रकार भी राजनीतिक पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। राज्य सरकार से, मंत्री महोदय से मैं यह मांग करूंगा कि वे इस पद पर अविलम्ब निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति कर के श्री नाहर को त्याग-पत्र देने के लिये पाबंद करें और राजस्थान के अंदर स्वस्थ परम्परा डालें।

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतहसिंह !

भूमि तहसील में शामलात की जमीन के सम्बन्ध में धारा 91 की कार्यवाही

श्री फतहसिंह (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मन्त्री महोदय और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, भीम तहसील 1 अप्रेल, 1938 तक अंग्रेज शासन में अजमेर जिले के अन्तर्गत थी। बाद में वह तत्कालीन मेवाड़ शासन के महाराणा को दे दी गई। इस तहसील के किसानों को शामलात का मालिक समझा जाता था। जिनका खेत था, वह मालिक थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों तहसीलों के हजारों सालों से जो किसान मालिक थे, उनको धारा 91 टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बेदखल किया जा रहा है। खास तौर से आपतकालीन स्थिति के अन्दर यह किया गया है। विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी, जिन्होंने नसबन्दी का विरोध किया था या जिन्होंने स्वयं की नसबन्दी नहीं करायी थी। इन कार्यों के बहाने राजस्व अधिकारीगण

Page No 21

(21)

(मेजर श्री फतहसिंह)

किसानों से रिश्वत ले रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। मुझे रोजाना एक न एक पत्र भीम क्षेत्र का मिलता रहता है। जनता बहुत परेशान है। जनता में शासन के प्रति असन्तोष बढ़ा है। वहां शासन भंग होने की सम्भावना पैदा हो गई है। आखिर जनता कब तक अन्याय को बर्दाश्त करेगी? इसी लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस मानवीय समस्या का हल ढूढें। जब तक कोई कानूनी हल नहीं निकाला जाता है तब तक धारा 91 की जो कार्यवाही चल रही है, उस को रोका जाए। जिन लोगों को बेदखल करने के आदेश निकाले जा चुके हैं, या जिनसे पैनल्टी वसूल करने के आदेश निकाले जा चुके हैं, वह भी रोके जायें। मैं सदन का समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं। समय रहते यदि राज्य सरकार ने जनता को सन्तोष नहीं दिया तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे बाध्य होकर 15 अगस्त, 1977 से भीम एस. डी. ओ. के सामने भूख हड़ताल करनी पड़ेगी।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी पूरी सहानुभूति है।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं भूख हड़ताल में मर जाना पसन्द करूंगा। इस प्रकार के अत्याचार को बन्द नहीं किया तो यह जो कुछ कहा जाता है, वह कार्य रूप में परिणत होगा।

श्री शंकरलाल : आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

श्री ग्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय·····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो समय दिया है, वह भी नियमों के विपरीत दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : एक मिनट श्रीमान्····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं·····

एक माननीय सदस्य : एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है····

श्री अध्यक्ष : कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं एक शब्द भी कहता हूं तो अटपटा लगता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, कल आपकी आज्ञा से इस सदन के अन्दर भरतपुर के बारे में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह हो गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने यह कहा था कि उसकी जांच करा कर सरकार को वक्तव्य देना चाहिये। इस जरूरी मसले पर, मिलावट के मसले पर सरकार ने जांच करा कर रिपोर्ट नहीं दी है तो माननीय सदस्यों का यह जो अधिकार है कि इस प्रकार के

(22)

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मसलों को लाकर रखें उसका क्या मतलब निकलता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जांच कराने की आज्ञा दें कि उसमें मिलावट है, या पोइजन है, या क्या चीज है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, प्वाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो इससे खराब और कोई बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त रूपेण जो सूचना देनी थी वह दे चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसको लेबोरेट्री में भेजा गया या नहीं। मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन अपने पैरों पर है।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो बार-बार खड़े हो जाते हैं।

सूचना

बाढ़ व अतिवृष्टि के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने के लिए इच्छुक सदस्यों के नाम

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है, अतिवृष्टि और बाढ़ प्रकोप के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य से पहले केवल वह 13 माननीय सदस्य बोलेंगे जिन्होंने सूचना दी है। उसके बाद 13 से 26 नहीं होंगे। मैं पूर्व सूचना दे देता हूं:—

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा
(2) श्री माधोसिंह
(3) श्री हरजीराम बुरडक
(4) श्री श्योपतसिंह
(5) श्री रघुनाथ विश्नोई
(6) श्री सूरजपालसिंह
(7) श्री रामनारायण चौधरी
(8) श्री रामकरणसिंह
(9) श्री समरथलाल
(10) श्री हजारीमल
(11) श्री खेतसिंह
(12) श्री रामनारायण
(13) श्री रामसिंह विश्नोई

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले लिख कर दिया है। आपने आखिर में नाम दिया है। आज से 10 रोज पहले मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम 11 वें नम्बर पर है। आपका नाम इसी तालिका में है।

श्री रतनाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : खास तौर से किसी का कंसीडरेशन नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष ।

श्री माधोसिंह ।

श्री माधोसिंह : माननीय अध्यक्षजी ....

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष, महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष : केवल सुन लीजिए। मौखिक रूप से प्रस्तुत है। जानकारी प्राप्त करेंगे तब दो एक शब्द कह सकेंगे। आप तो सरकार है आराम से कहेंगे। माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति हो तो उनकी आपत्तियां सुन लें।

श्री खेतसिंह : हां, उसके बाद जवाब दें।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान विद्युत् मण्डल द्वारा एल्यूमिनियम कण्डक्टर की खरीद

श्री सम्पतराम : मैं आपकी व्यवस्था को स्वीकार करता हूं। इससे पहले कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं। उनका उत्तर देने की इजाजत दे दें। कुछ माननीय सदस्यों ने एल्यूमिनियम को खरीद के बारे में चर्चा की है।

श्री खेतसिंह : इतनी जल्दी क्या है ?

श्री सम्पतराम : जरूरी है।

श्री खेतसिंह : डिबेट हो जाएगी।

श्री सम्पतराम : निश्चित तौर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसकी जांच की जाएगी।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा।

नेचरल गैस कमीशन के प्लान्ट का स्थानान्तरण

श्री सम्पतराम : अभी जो कमीशन को ले जाने के बारे में सवाल उठाया गया है। यदि किसी कमीशन को यहां से ले जा रहे हैं या ले जाने की सम्भावना है तो सरकार उस मामले को देखेगी। हम कोशिश करेंगे। कोई शक्तिशाली सेठ या कोई दूसरा अपने प्रभाव से न्याय मिलने से वंचित कर देगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं।

श्री किशनसिंह : नेगी कमीशन की रिपोर्ट, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आने तक उसको शिफ्ट नहीं किया जाय, इसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. के बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने के बाद कोई माननीय सदस्य बोलेंगे तो मुझे उसके बारे में स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आप कुछ मत कहिए, मैं इनको एक मिनट का समय देता हूं।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि बाहर की पार्टीज को आर्डर नहीं दिया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टेन्डर नं. 903 और टेन्डर नं. 904 एक फरीदाबाद की पार्टी को

(श्री उगमराज मेहता)

और दूसरा कोसीकला (हरियाणा) की पार्टी को दिया गया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बाढ़ व अतिवृष्टि पर विचार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (रैवदर) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ सहायता मन्त्रीजी ने···

श्री माधोसिंह कछवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर तीन माधोसिंह है, दो तो ना पक्ष में हैं और एक माधोसिंह कछवाह आपके सामने खड़ा हैं।

श्री शंकरलाल। माधोसिंह में तो हमारा बहुमत है।

श्री माधोसिंह कछवाहा :अध्यक्ष महोदय, उधर के दो माधोसिंह····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। इस बारे में आप मेरे कक्ष में आकर सूचित कर सकते हैं। इसके लिए मैं सदन में इजाजत नहीं दे सकता।

श्री माधोसिंह (रैवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष। I will not have it.

श्री माधोसिंह (रैवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं, लेकिन बाढ़ सहायता मंत्री यहां पर विराज भी नहीं रहे हैं। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम रेउआ जिला सिरोही के दो सौ परिवार साल भर से जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। गत वर्ष ग्राम रेउआ में, जो कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, रात को करीब एक बजे भयंकर बरसात हुई, इतनी बरसात हुई कि एक ही रात में 18" पानी बरस गया और पूरा का पूरा गांव बाढ़ से जलमग्न हो गया। उसमें जो मकान थे और गांव के दो सौ परिवार थे सबके सब पानी में डूब गये। सरकार ने कुछ उनकी सहायता भी की थी लेकिन इस साल वापस अतिवृष्टि होने से सारा गांव जल मग्न हो गया है। इसके लिए मेरा सरकार से, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत अनुरोध है कि वहां के जो दो सौ परिवार हैं उनको हालत बड़ी खराब है। वह इधर-उधर गुफाओं में बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, या थोड़ा बहुत घास-फूस डालकर रह रहे हैं। इस वर्ष गांव के अन्दर एवरेज से भी ज्यादा बरसात हुई। इस कारण उनके ऊपर क्या बीत रही है, अध्यक्ष महोदय, यह वे लोग ही जान सकते हैं। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव मैंने 25 तारीख को दिया था और अपनी स्पीच में भी मंत्री महोदय से अनुरोध किया था और मंत्री महोदयों ने आश्वासन भी दिया था कि इस बारे में जल्दी से जल्दी खबर करके उस गांव के लोगों के लिए उपाय करेंगे। मेरा निवेदन है वह

(श्री माधोसिंह)
गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है पांच साल में भी····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां से पानी का निकास नहीं होगा। आज से 32 साल पहले भी वह गांव पानी से भर गया था और पांच साल तक वहां से पानी नहीं निकाला जा सकता था। उस गांव की भूमि और जो वहां पर 14 बेरे हैं वह भी सब जल मग्न हो चुके हैं। इस ग्राम की····

श्री सम्पतराम : गांव का नाम क्या है?

श्री माधोसिंह : रउंआ। उस गांव में 14 बेरे हैं वह भी पानी के नीचे हैं, सारा गांव जल में है। आप अगर वहां जाकर नजारा देखें तो आपको दया आ जायगी। लोग इधर उधर पड़े हुए हैं। भयंकर वर्षा के अन्दर लोग इधर-उधर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ईश्वर ही मालिक है। इस प्रकार से वहां पर सारी फसल, जो उन्होंने बोई थी, वर्षा अधिक होने से और वज्र गिरने से नष्ट हो गई है। इस साल भी अतिवृष्टि होने से उससे भी खराब हालत हो गई है। आज स्थिति यह है कि लोग इतने परेशान और दुखी हैं, मुझे दुःख है कि उनका क्या होगा। गांव में उनके पास कोई दूसरी जमीन नहीं है। 12 महीने से वे लोग बिना अन्न के बैठे हुए हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह है, मैं यह चाहता हूं कि जो गोचर की भूमि है, वह उस गांव की जमीन के एवज में आप उनको टेम्परेरी तौर पर अलाट करावें, दो चार बीघा के हिसाब से जिससे जो दो सौ परिवार वहां पर हैं उनका जीवन निर्वाह हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिनके पास अनाज नहीं है, 70 पर्सेन्ट ऐसे लोग हैं, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के और तीस पर्सेन्ट परिवार वहां पर काश्तकार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास और कोई साधन नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सहायता दी जानी चाहिए नहीं तो उन परिवारों को बहुत बड़ा दुःख भोगना होगा। जो गोचर जमीन वहां पर है उसमें से आप उनको टेम्परेरी तौर पर अलाट कर दें और जब तक पानी नहीं निकले तब तक वहां पर उनको फसल बोने की आज्ञा दे दें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि वहां पर कुछ टेक्निशियन्स को भेज कर पानी की निकासी का इन्तजाम कराया जाना चाहिए इस गांव की स्थिति ऐसी है कि वह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए अगर उसका इन्तजाम नहीं होगा तो दो सौ परिवार हैं उनके लिये भरण-पोषण की समस्या जटिल हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री माधोसिंह : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी स्टेप इस सम्बन्ध में लेने की कृपा करें। वहां पर 12–13 तारीख को पानी भरा था और आज तीस तारीख हो गई है, 16-17 दिन हो गये हैं किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि इस ओर

(श्री माधोसिंह)
जल्दी से जल्दी ध्यान देकर उस गांव के लिए कोई व्यवस्था की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह ध्याना-कर्षण प्रस्ताव रखा है कि लाडनूं के अन्दर अतिवृष्टि से पानी भर गया है, वहां पर यातायात बिलकुल ठप्प हो गया है और आने जाने के साधन बन्द हो गये हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। किन्तु राज्य सरकार ने अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं। गत वर्ष भी वहां पर बाढ़ का पानी आया था जिसको पम्पों के द्वारा निकाला गया था फिर भी कई दिनों तक वह पानी वहां से नहीं निकाला जा सका था। अभी भी इतना समय होने के बाद कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि उस पानी को निकाला जा सके। रबर के पाइपों द्वारा पानी निकालने से कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल का समय गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया है, इसके लिए मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल जो बरसात हुई है, उससे लोग घर से बेघर हो गये हैं, और घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं, वहां पर भयंकर बीमारियां फैल रही हैं फिर भी अभी तक सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार उस पानी को निकालने के लिए स्थाई नाला बनाये और उस पानी को जल्दी से जल्दी निकालने की व्यवस्था करे। इसी प्रकार हमारे जिले मुख्यालय नागौर में जो गत वर्ष पानी भरा था वह अभी तक नहीं सूखा है, फिर भी राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस साल बरसात हुई, पानी इकट्ठा हुआ, पिछले साल आधे से ज्यादा मकान शहर के ढह गए, सरकारी इमारतें ढह गई लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए जो जन जीवन के साथ खिलवाड़ है उसके लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह !

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही सूचित कर दिया था कि 13 के पश्चात् और किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आपका नम्बर पहले था। श्री श्योपतसिंह को बोलने दीजिए उसके बाद आप बोलें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, जिसमें खरीफ की फसल बहुत बढ़िया होने के आसार बताए गए थे, मैंने कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया था कि जहां आप फसल अच्छी होने की बात करते हैं, वहां प्रदेश में अतिवृष्टि से अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। अकाल की स्थिति के साथ जो थोड़ी बहुत फसल थी सारे राजस्थान में, कातरा ने उस फसल को तबाह कर दिया। आज के इस युग में बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, दुनिया

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आगे बढ़ गई है। किन्तु निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान जैसी धरती में हर साल कातरा पैदा होता है, यह कीड़ा हर साल फसल तबाह करता है, मगर कृषि विशेषज्ञ चुपचाप कुम्भकरणी नींद में सोये हुए हैं। उनको मालूम नहीं कि किस तरह से उसको मारा जाए। अभी तक कोई कार्यवाही की गई या नहीं, यह मालूम नहीं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो अनावृष्टि से अकाल पैदा हो गया था, इस वर्ष अति-वृष्टि से पैदा हुआ है। इसलिए राज्य के सामने अनाज की भयंकर समस्या आएगी। पशुओं के लिए चारे का सवाल आएगा। अगर इसी रफ्तार से चले तो राजस्थान में भुखमरी का दौर आएगा और बुरी हालत होगी किसानों की। एक बात जरूर अच्छी हुई है, इस अतिवृष्टि की नमी को प्रयोग में ला सकते हैं रबी के लिए। जब मालूम हो गया कि खरीफ फसल तबाह हो गई तो इस नुकसान को रबी में हम पूरा कर सकते हैं। वह किस तरह? जहां तारामीरा, जौ, सरसों, गेहूं, चने की फसल बोई जा सकती है वहां उसको बोने का प्रयत्न करना चाहिये। मगर यह कौन करे? अधिकारियों की हालत यह है कि हमारी जो फसल बची हुई है उसके लिए यूरिया खाद तक उपलब्ध नहीं कराते। यूरिया खाद का कारखाना कोटा में है लेकिन हमको नहीं मिला। पंजाब के लिए कोटा है, हरियाणा के लिए कोटा है, गुजरात के लिए कोटा तय है लेकिन राजस्थान में नहीं मिले यह कितना हमारा दुर्भाग्य है? हम कहते हैं कि हमारे यहां पर यूरिया खाद का कारखाना है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिये उसके बाद जो बचे वह बाहर के लिए...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अकाल का मुकाबला किस प्रकार करें, अगर यह मन्त्री महोदय को नहीं बतायेंगे तो हालत भयंकर हो जायेगी...

श्री सम्पतराम : इस समय गंगानगर में यूरिया की कमी नहीं है, यूरिया मौजूद है। किसी स्थान पर नहीं पहुंचा हो या कमी हो तो आदेश दे दिये हैं कि जल्दी पहुंचाया जाए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप कह क्या रहे हैं आप जांच करायें। यूरिया देते समय दूसरी खाद भी देने की कन्डीशन लगाते हैं। अधिकारी आपको मिसगाइड करते हैं। आप चलिये मेरे साथ। यूरिया का एक बैग लेने के लिए किसान को दूसरी खाद भी लेनी पड़ेगी जिसका 150) रु. चार्ज होता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने भी ध्याना-कर्षण प्रस्ताव दिया था...

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी मैं बोल रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय ने कहा है इसलिए मैं खड़ी हुई हूं।

मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र में आई बाढ़ की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव दिया था। मैंने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अधिकारियों को ले जाकर स्थान स्थान पर मौका भी दिखाया है। मुख्य मन्त्री भी उन क्षेत्रों में घूम आये हैं। बार बार मैंने कहा कि जो बांध टूटने वाले हैं, वहां सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाए। ऐसे कार्य के लिए राशि कैसे भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये। एक के बाद दूसरे सदस्य कह रहे हैं। आज एक बांध टूटा कल दूसरा, फिर तीसरा टूट रहा है। इस तरह से कितनी जन धन और सड़कों की क्षति हुई है। गांवों के आने-जाने के मार्ग टूट गये। लोगों को खाना पहुंचाने के लिए आने जाने का मार्ग नहीं है। वे लोग गांवों में पड़े हुए हैं लेकिन हमारी ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। 22-23 तारीख की घटना है तब से लेकर आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे उस क्षति को रोका जाय।

नटाटा, साइवाड, बासना बांध टूट गये हैं। विलेज टैंक, भानपुर कलां नांगल तुलसीदास बांध टूट गये हैं। वहां आने जाने का मार्ग नहीं। नीबी के तीन टैंक्स टूटे हैं, लांगड़ीवास में तीन टैंक्स टूटे हैं, सुमेल में नाला आ गया है, रास्ता कट गया है जयसिंहपुरा और रामगढ़ नायला-भानपुर में सड़कें टूट गई हैं, पानी गांवों में भर गया है ढूंढना नदी के तीन नाले हैं। अगर वहां कल्वर्ट्स बनाये जायें तो आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होगी। नया-बास का नाला, गाले का नाला, रोड़े का नाला, सालेरी का बंधा, सर्सका व पानेरा है वहां कुए दब गये हैं। धऊपुरा और रामपुरा के बीच भी सड़क टूट गई है, नीमेड़ा का टैंक भी टूट गया है, ऊपवास और राहोरी में भी यही हालत है। रामगढ़ तो पर्यटकों का केन्द्र है, पर्यटक इस मौसम में उसे देखने के लिए आते जाते हैं लेकिन रामगढ़ गांव की सड़कें भी टूट गई हैं। जहां नाले पड़ते हैं, वहां पुल बांधने चाहिए, पानी की जब कमी हो जाती है तो गहरा किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा भराव हो जाये और अधिक पानी आ जाये। सरकार की ओर से इसकी पूर्ण निकालने की व्यवस्था करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सारे बांध टूट रहे हैं और टैंकों के ऊपर से पानी बह रहा है। इसकी कोई व्यवस्था तो की जानी चाहिये। लोगों के मकानों का नुकसान हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। फिर भी राज्य सरकार पैसा दे नहीं रही है। वह कहती है कि उन क्षेत्रों की पंचायतों से पैसा लिया जावे। पंचायतों ने तो, अध्यक्ष महोदय, उनके लिए पैसा नहीं देने की जैसे कोई कसम खा रखी है। वह सहयोग करती नहीं, लोगों की कोई सुरक्षा नहीं, लोगों का खाना पीना बन्द हो गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार एक राशि तय करे ऐसे कामों के लिये ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो तुरन्त ही पैसे की उन क्षेत्रों के लिए व्यवस्था हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा और बोलने का समय दिया जाय। मुझे मेरी बात कहने दी जाय, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी की यह कोई मसला आज जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का ही नहीं है बल्कि राजस्थान

Page No 29

(29)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
के सभी गांवों का है। इसलिये मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में यह निवेदन है कि आप राज्य सरकार से इस बारे में तुरन्त व्यवस्था करने के लिए कहें। राजस्थान के जिन इलाकों में बरसात अधिक होने के कारण जन-धन की हानि हुई है और बरसात से बान्ध और तालाब वगैरह टूट गये हैं उनकी रिपोर्ट मंगवायें और उसके हिसाब से तुरन्त राज्य सरकार वहां राहत पहुँचाने की व्यवस्था करे। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार को ऐसे मामलों के लिए अलग से पहले से ही राशि तय करनी चाहिये ताकि ज्यों ही सूचना मिले, जहां पर बांधों को नुकसान होने वाला है, उसे रोका जा सके, जिन लोगों का नुकसान हुआ हो उनके लिये उस राशि से व्यवस्था कर सके। अध्यक्ष महोदय, कुछ न कुछ व्यवस्था तो तुरन्त होनी ही चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या स्थान ग्रहण करें। मेरे पास 13 व्यक्तियों के नाम हैं। मैं 14वें व्यक्ति को नहीं बोलने दूंगा।

श्री खेतसिंह जारी रखें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही जरूरी मसला है। आप केवल दो मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मेरी व्यवस्था के बावजूद बोल रही हैं। आप मेरी एमबेरेसिंग पोजीशन नहीं करें। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय का इस सदन में अभिभाषण हुआ था और उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान जब यह कहा था कि राजस्थान में वर्षा अच्छी हुई है इसलिए खरीफ की फसल अच्छी होने के आसार हैं, उस वक्त भी मैंने अपना भाषण देते हुए मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि अतिवृष्टि के कारण राजस्थान के ओ-फोर्थ इलाके की खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आप रोजाना अखबारों में पढ़ भी रहे हैं कि कितनी भयंकर बरसात हो रही है। आज जयपुर के आसपास 68. कुछ सेंटीमीटर बरसात तो हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि इतनी बरसात पिछले सौ सालों में नहीं हुई है। इस वर्षा ने सौ सालों के बरसात के रिकार्ड तोड़ दिये हैं। इस अधिक बरसात के कारण खरीफ की फसल बरबाद हो चुकी है, सारी सफल गल गयी है। ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम इस विधान सभा का सत्र समाप्त कर रहे हैं इसलिए इसके पहले कि हम अपने क्षेत्रों में पहुंचें राज्य सरकार को चाहिए कि वह ऐसे आदेश निकाले जिससे काश्तकारों को कुछ राहत मिले। अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों की तबाही हो गयी है, उन्हें भयंकर नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार उनके लिए तुरन्त कार्यवाही करे। इसलिए मेरा

Page No 30

(30)

(श्री खेतसिंह)

निवेदन है कि राज्य सरकार उन गरीब किसानों के लिए तुरन्त क्या व्यवस्था कर सकती है इसका माननीय मंत्रीजी जब अपना वक्तव्य दें उस वक्त उल्लेख करें। अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकार इस तरह के मौके पर ऐसे आदेश निकाल देती थी कि हर कलेक्टर अपने एरिया में जो बरसात से नुकसान हुआ उसके लिए कन्टीनजेन्सी फन्ड में से तुरन्त ही उन लोगों को मदद दे देते थे। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार को भी यह निवेदन है कि वह भी इस तरह के आदेश राजस्थान के सभी कलेक्टर्स को दे दे, आज ही वह सर्क्यूलर इश्यू हो जावे कि कलेक्टर्स अपने अपने इलाके के अन्दर जहां बाढ़ से, बरसात से नुकसान हुआ हो उसके लिए तुरन्त अपने कन्टीनजेन्सी फन्ड में से राहत दे दे ताकि हम जब तक अपने अपने एरिया में जावें तब तक उन गरीब लोगों को कुछ न कुछ राहत तो मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और बरसात के कारण लोगों के मकान टूट जाते हैं, लोगों के आने जाने के रास्ते बन्द हो जाते हैं तथा उनके खाने-पीने की व्यवस्था गांवों में कुछ नहीं रहती है। इतने टीन शेड्स भी नहीं मिलते हैं जिससे कि वह बेचारे शेड के नीचे बैठ सकें। इसलिए मेरा राजस्थान की जनता पार्टी से मानवीय दृष्टिकोण के नाते यह निवेदन है कि आज ही इस बारे में सर्क्यूलर इश्यू कर दें ताकि राहत लोगों को मिल सके।

इसी के साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ज्यादा बरसात के कारण केवल लोगों के सामने माल का ही खतरा पदा नहीं हुआ है या लोगों के मकान ही नहीं टूटे हैं बल्कि आज गांवों में बरसात के साथ जो हवा चली है उससे कई जगह बीमारियां फैल गयी हैं, पानी भर गया है उसके कारण मच्छर फैल गये हैं। इसलिए बीमारियों की रोकथाम के लिए भी दवाइयों की व्यवस्था की जावे। इसी प्रकार बरसात में जो हवा चली है उससे कई जानवर भी जगह जगह मर चुके हैं। इसलिए जैसे कि पिछली सरकार काश्तकारों को कर्ज देती थी, रुपया अनुदान के रूप में देती थी और दूसरी तरह से मदद देती थी उसी तरह जनता पार्टी को चाहिए कि वह भी मदद दे। इसमें देर होगी तो काफी दिक्कत हो जायेगी। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसानों के लिए खाद व बीज की भी व्यवस्था करें तो उचित होगा।

अभी मेरे पास सदस्य बैठे हैं उन्होंने यह कहा है कि कोटा डिविजन में छीपाबड़ौद इलाके में बहुत भारी बरसात के कारण काफी नुकसान हुआ है, खेत बह गये हैं, लोगों के घर टूट गये हैं, फसल नष्ट हो गयी है, आने जाने के रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं। अब चूंकि खरीफ की फसल तो नष्ट हो चुकी है इसलिए मेरा निवेदन है कि रबी की फसल अच्छी हो उसके लिये आप कारगर कदम उठायें जैसे कि पिछली सरकार उठती थी। आपको उन्हें दूसरी राहत देने के साथ साथ अच्छे किस्म के बीज, और अच्छा खाद देने की व्यवस्था तुरन्त करनी चाहिए ताकि फसल रबी की अच्छी हो। इसके साथ ही मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सारे राजस्थान में जहां जहां भी अतिवृष्टि हुई है वहां जिन लोगों को नुकसान हुआ है

(श्री खेतसिंह)

उनको राहत देने के लिए तुरन्त आदेश देने की व्यवस्था करें ताकि गरीब काश्तकारों को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, जालोर जिले में हो रही लगातार बरसात से जो जन-धन की हानि हो रही है उस ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बरसात से आज जालोर जिले में दयनीय स्थिति हो गयी है। पिछले 40 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे खास तौर से सांचोर और भीनमाल तहसील में लोगों की भारी तबाही हो गयी है। करीब 40-45 इन्च बरसात हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो बंगाल की खाड़ी से मानसून आये और बरसात हो गयी। अब अरेबियन सी से मानसून आया है और भयंकर बरसात हो रही है। आपने रेडियो प्रसारण में सुना होगा कि सांचोर, भीनमाल और रानीवाड़ा भीलड़ी के पास अतिवृष्टि से लोगों के घर तबाह हो गये हैं। भीलड़ी और रानीवाड़ा के बीच में जो पुलिया थी वह टूट गई है। लोगों को हेलो कोप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा है। उनका सम्बन्ध ग्राम जनता से टूट गया है। जो रतनपुरा की पुलिया है वह भी टूट गई है। इसी नाले से नेनोल बान्ध टूट गया है। लोगों के मकान बह गये हैं लगातार बारिस हो रही है पिछले पांच छः दिन से अभी पिछले तीन दिन से तो इतनी भयंकर बरसात हो रही है कि लोगों के मकान बह गये हैं, नालों से पुलिया टूट गई हैं। फसल नष्ट हो गयी है। गरीब आदमी आज कहां पर शरण ले? वहां पर कोई जगह नहीं है। मैं खुद तो विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ तब आ गया था पर मेरे पास बराबर टेलीग्राम्स आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं। ऐसा सुना है कि राज्य सरकार ने 300 रुपये प्रति परिवार राहत देने की घोषणा भी की है। पर, अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर ने अभी तक किसी को भी कोई राहत नहीं दी है, लोग बहुत दुखी हैं। मैं समझता हूं, आपके राज की यह स्थिति है कि जो आपने आदेश दिये हैं उसकी एक भी प्रतिशत पालना नहीं हुई है। वहां पर मकान गरीब हरिजनों के हैं वे मकान तो नाले में बह गये, सारा सामान जो भी था वह भी बह गया। एक्सेसिव रैन्स के कारण सेन्ट पर्सेन्ट नुकसान हुआ है और 50 पर्सेन्ट मकान समाप्त हो चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उन्हें तुरन्त राहत दिलावें। कलेक्टर को आप इन्स्ट्रक्शन दें तुरन्त अपने कन्टीनजेन्सी फण्ड में से पैसे देने के लिए। कलेक्टर चाहते हुए भी पैसे दे नहीं सकता है। वैसे भी ऐसे कार्यों के लिए आप को केन्द्रीय सरकार पैसे देती है। आपको क्या तकलीफ है? आपको भी मानवीय दृष्टिकोण अपना कर अपनी तरफ से पैसे देने का प्रावधान रखना चाहिये। आपको कलेक्टर्स को स्ट्रिक्ट इन्सट्रक्शन्स ऐसे मामलों के लिये देने चाहिये। नहीं तो कलेक्टर इस डर से पैसा नहीं देता कि कहीं उसके खिलाफ कोई जांच नहीं खुल जाय। आपको चाहिये कि रिलीफ कमिश्नर को भेजें। वह रिपोर्ट दे और तुरन्त उन गरीब लोगों क।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

राहत पहुंचाई जाय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं जैसो कि मेरे पास सूचना है अब तक कई लोग मर चुके होंगे। इसलिये अधिक बरसात से जो जन-धन की हानि हो रही है आप उसे बचाइये। आज विधान सभा का सत्र समाप्त होने जा रहा है। हम अपने इलाके में जायेंगे तो वहां उन गरीब लोगों को हम क्या कहेंगे····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह सही है, अध्यक्ष महोदय, हो सकता है, आपके इलाके में ज्यादा भयंकर बरसात नहीं हुई है तो आप भाग्यशाली हैं पर जहां बरसात हुई है वहां तो कुछ न कुछ प्रबन्ध युद्ध स्तर पर उन गरीब लोगों की मदद के लिये होना चाहिये। सांचोर जो अन्न का भंडार है····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बहुत जरूरी मामला है। मुझे दो मिनट बख्सने की कृपा करें।

आपको बराबर रिपोर्ट मिल रही है, हैलीकोप्टर से अन्न के पैकेट गिराये जा रहे हैं और मनुष्यों को दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। आप इस ओर ध्यान दें कि लोगों को रिलीफ पहुंचाना है। रिलीफ के कार्य तो आप चला नहीं सकेंगे इस रैन के अन्दर लेकिन लोग मरें नहीं इसकी आपको पूरी कोशिश करनी होगी और आपको करनी चाहिए।

खड़ी फसल बिलकुल नष्ट हो गयी है। खरीफ की फसल जोरो है। खरीफ तो बिलकुल ही नष्ट हो गयी है। इसलिए रिकवरीज आप बिलकुल बन्द करिये। गवर्नमेंट यह निर्णय कर सकती है कि आज रिकवरीज जो हो रही हैं वे बिलकुल बन्द हों। उन लोगों को इस प्रकार से ऐसी स्थिति में परेशान न करें। मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार आयी है ऐसी हालत में इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनको रिलीफ दे। कुछ न कुछ उनको रिलीफ देना चाहिए वरना तो वे लोग मारे जायेंगे और आप बदनाम होंगे।

आगे रबी फसल के लिये आप खाद और बीज की व्यवस्था करेंगे तो बुवाई होगी वरना नहीं होगी। आपको आगे के लिये भी सोचना है। सांचोर और भीनमाल तहसील में नुकसान काफी हुआ है। जालौर में तो कम हैं। अरेबियन सी के मानसून का जोर है, गुजरात और राजस्थान का उसके साथ लगता हुआ इलाका है इसलिए उनमें लोग अधिक प्रभावित हैं। माउन्ट आबू में तो 100 इंच वर्षा हो गयी है। तलहटी के लोग तो बरबाद हो गये हैं।

अध्यक्षजी, आपकी मार्फत में चाहूंगा, स्पेशली इस प्रकार खेती में जिनका नुकसान हुआ है, उनको मदद करिये ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर आगे की फसल के लिये कुछ कर सकें। उनको आप कुछ न कुछ मदद दिलायें। पशु जो मर गये हैं उनके तो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। सांचोर एरिया में उनालू फसल होती है वह कुओं से होती है। सांचोर में तो वह बह गयी है और एक दाना भी लोगों के हाथ नहीं आया है। काफी नुकसान हुआ है? आगे को

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

फसल नष्ट हो गयी है। अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी को आप आग्रह करें कि ऐसे मामलों में कुछ न कुछ वे सक्रिय कार्यवाही करें। माननीय मंत्रीजी कुछ ऐसी बात कहें जिससे लोगों को राहत मालूम पड़े और उनको मदद मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपाल !

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य रघुनाथ विश्नोई ने बाढ़ के विषय में बताया ही है। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा, भीनमाल क्षेत्र के सम्बन्ध में। वहां पर ऐसी भयंकर वर्षा हो रही है, कहीं ऐसा न हो कि सन् 1973 में जो बाढ़ की स्थिति बनी वैसी ही दुबारा बन जाय? इस क्षेत्र में तीन बड़ी नदियां लूणी, जवाई, सूकड़ी एवं बांडी बहती हैं जिनका प्रभाव है। अधिक वर्षा हुई है और दो तीन दिन से समाचार मिले हैं कि अच्छी वर्षा हुई है और नदियों में पानी भयंकर रूप से आया है। ऐसी हालत में कहीं वैसी स्थिति पैदा न हो जाय जैसी 73 में पैदा हुई थी। उससे भीनमाल, सांचोर और रानीवाड़ा की स्थिति खराब हो जाने वाली है। सत्र समाप्ति पर हम तो अपने क्षेत्र में चले जावेंगे लेकिन राज्य सरकार के लिये एक भयंकर समस्या होगी। कई गांव ऐसे आ गये हैं जो कि नदी के किनारों पर हैं। जैसे कोमता, बांली धुम्बडिया। वे किसी भी क्षण बह सकते हैं। यह राज्य सरकार के ध्यान में है। एस. डी. ओ. को मैंने बताया है और समुचित व्यवस्था के लिये भी उनको आग्रह किया। पता नहीं उन्होंने क्या कदम उठाये। राज्य सरकार का व आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कई गांव ऐसे हैं कि जो किनारे पर आये हुए हैं और जिनके बह जाने की आशंका है। सरकार समय रहते हुए ध्यान दे। ऐसा पानी आ गया जैसा कि 1973 में आया तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। बिलकुल नदी के किनारे पर ये गांव आये हुये हैं। चारों तरफ पानी है। कहीं जाने की स्थिति नहीं है। ऐसे और भी कई गांव हैं जिनके चारों तरफ पानी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन हालात को देखते हुए उस एरिया के लिये समुचित व्यवस्था करें। हमारे क्षेत्र में 42 इंच के करीब बरसात हो गयी है। अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो चुकी है, कई मकान धराशायी हो गये हैं। राज्य सरकार कहती है कि फ्लड से मकान गिरे हैं तो हम मदद दे सकते हैं। अतिवृष्टि से जो गिर गये है उनको सहायता देंगे तो फ्लड के लिये तो सेन्टर पैसा दे रहा है। राज्य सरकार अपनी ओर से क्या देना चाहती है ?

सौ रुपये देने में भी आप अहसान जता रहे हैं। 100 रु. देने में क्या दिक्कत है। ऐसी मानवीय समस्या की ओर आप ध्यान दें, यही कहना चाहता हूं। समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो भयंकर समस्या होने वाली है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 15 दिनों से राजस्थान में और विशेष तौर से जिला झुंझुनूं, सीकर और जयपुर में अतिवृष्टि से

(श्री रामनारायण चौधरी)

हाहाकार मचा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि 300 रुपये की पीड़ितों को सहायता देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यही सरकार है कि 100 से बढ़ा कर 300 रुपये फ्लड से पीड़ित जो लोग हैं, उनको सहायता दे रही है।

अतिवृष्टि से सीकर संक्शन्सन जिसमें हरिजन, आदिवासी और गरीब किसान और गांव के आदमी आते हैं, अत्यन्त प्रभावित हुए हैं। मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को तुरन्त सहायता देने की आवश्यकता थी। लेकिन अभी तक एक पैसे की भी सहायता सीकर, झुंझुनू, जयपुर जिलों में नहीं दी गयी है। मैंने कलेक्टर को चिट्ठियां लिखीं लेकिन एक पैसे का भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था कि कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने मकान गिरे हैं और राजस्थान सरकार कितना स्वयं देगी? अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है। मेरे से पूर्व वक्ता ने जैसा निवेदन किया, कातरा नामक ऐसा कीड़ा है जिसने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है। मोठ, ग्वार डेजर्ट और सेमी डेजर्ट में एक यही फसल है। इसके चले जाने के बाद 12 महीने तक काश्तकार के पास कोई कारोबार नहीं रहता है। काश्तकार की फसल नष्ट हो जाय तो उसके पास कुछ नहीं बचता है यह आप भी जानते हैं। अतिवृष्टि से फसल होने की संभावना नहीं है। उन एरियाज को अकाल-ग्रस्त घोषित कीजिये। आप स्वयं किसान हैं। मंत्री महोदय वहां स्वयं गये हैं 1965-66 को अतिवृष्टि में पंचायतों और जिलाधीशों की मार्फत ऐसे प्रभावित लोगों को, जिनके मकान गिर गये थे; तुरन्त 100 रुपये की सहायता दिलायी गयी थी। गरीब आदमी का मकान गिरे, अतिवृष्टि से बाढ़ से प्रभावित हों उनको तुरन्त सहायता दिलाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मंत्री महोदय का आपकी मार्फत ध्यान दिलाते, हुए, यह निवेदन करूंगा कि यह जो समस्या उत्पन्न हुई है इसके लिये राज्य सरकार सहायता दिलाने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकरण सिंह!

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी मैंने माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में चर्चा की थी। बीच में जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो मैंने देखा कि वहां किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गयी। ऐसा लगता है कि आपने तहसीलदार और एस. डी. ओ. को डरा रखा है कि वास्तविक स्थिति क्या है उससे अवगत नहीं करायें। मैंने जब उनसे जिक्र किया तो उन्होंने बातचीत इधर उधर की ही की। मैं कलेक्टर से भी मिला। उन्होंने उस समय एस.डी.एम. के पास भेज दिया। जैसे पत्र-वाहक पत्र लेकर आ जाये और वापस समाचार दे दे, यह अवस्था है। इससे तो अच्छा होता कि कलेक्टर किसी व्यक्ति को भेज देते और उसके साथ समाचार भेज देते। ए.डी.एम. और कलेक्टर जायें तो अच्छा नहीं लगता। जान और माल की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है। मेरे क्षेत्र में

(श्री रामकरण सिंह)

आज एक महीने से बराबर वर्षा हो रही है। लोगों की क्या हालत है और किस तरह से लोग बेघर हो रहे हैं उसको आप देखिये तो सही। जो राज्य करते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं, आप तो व्यवहारिक अनुभव किये हुए हैं, आपकी जनता जिस प्रकार से रहती थी, वह दुखी होती थी तो आप उनको देखते थे और उनके पास जाते थे। लेकिन यह सरकार अपनी जनता की तरफ किसी प्रकार से भी निगाह नहीं पसारती। आप ताज्जुब करेंगे कि एक बांध है बाड़ी उसका एक नाला आता है, आज दो वर्ष से वहां बांध टूटा हुआ है और उस नाले से हमारे इलाके में बाढ़ आती है। इससे एक तो बांध का पानी बरबाद जा रहा है और दूसरी तरफ उस नाले के कारण से गांव के लोग बेघर हो रहे हैं और फसलें नष्ट हो रही हैं। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से दांतल का बांध है। इसकी योजना बन चुकी, एस्टीमेट्स हो चुके हैं, बजट में प्राविजन हो चुका लेकिन तीन साल से काम चालू नहीं किया जा रहा है। अगर वह काम चालू कर देते तो जो पानी कोटपूतली में मर रहा है वह नहीं भरता।

अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन आया कि दो-दो और तीन-तीन इंच पानी नेशनल हाई वे पर भरा हुआ था। इस तरह की हालत नेशनल हाई वे की थी। विदेशी लोग आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं कहूंगा, इस बरसात से ऐसी हालत हो गयी है इसलिये आप सहायता दें तो बड़ी कृपा होगी। आप साथ ही साथ मलेरिया यूनिट को भी सतर्क करें और साथ ही पशुपालन विभाग है उसको भी सतर्क करें क्योंकि इस अतिवृष्टि से लोगों व जानवरों में काफी बीमारियां फैल रही हैं। पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी है कि अपने कार्य से लोगों की रक्षा करें किन्तु क्षेत्र में पशु चाहे किसी प्रकार के हों वह मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं मलेरिया के कारण, पानी बरस रहा है और घर गिर रहे हैं, उनकी जान और माल खतरे में है। ऐसी बुरी हालत है कि देखा नहीं गया। लोगों के कपड़े भीगे हुए रहते हैं। 24 घन्टे आदमी भीगा हुआ रहे तो उसकी क्या हालत होती होगी आप स्वयं ही अन्दाजा लगा सकते हैं। ऐसी हालत में मौजूदा सरकार ध्यान नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा ?

इसके साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से यह समझ पाया हूं कि माननीय मंत्री महोदय पूरी तरह से हमारे इलाके के जानकार हैं, इसलिये तत्काल उनको किसी प्रकार की सहायता दिलायेंगे ऐसी आशा थी लेकिन पता नहीं आपके सामने कानूनी दुविधा है या क्या है ? मेरे इलाके में इतनी बार कहने के बाद भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गयी। यह अजीब हालत है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। यह दो तीन बड़े नाले हैं उनके पानी ने आठ दस मील तक जमीन की बिलकुल कायापलट कर दी है, खेतों में गड्डे डाल दिये हैं। इस कारण वहां फसलें होने की आशा नहीं है। जो मकान ढह गये हैं उनको देखा जाये। साथ ही साथ जो उनको मुआवजा दिया जाये वह तो दिया जाये लेकिन आगे के लिए राहत कार्य चालू कर सकें तो अच्छा है ताकि वह लोग अपना

(श्री रामकरण सिंह)

जीवन निर्वाह कर सकें। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, उनके पास न चारा है और न दाने ही हैं, वह कैसे जीवित रह सकेंगे ?

साथ ही वहां कुओं की हालत भी अजीब हो गयी है। कुओं से पानी बाहर निकलने लग गया और कुए चौपट हो गए हैं। जो मिट्टी आई वह उनमें भर गयी है-आप देखिये कि उनको कितनी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

परेशानी होगी। ऐसी हालत में राज्य सरकार को कोटपूतली तहसील को संभालना चाहिए। अगर नहीं संभाला तो हमारा जो वेल इरिगेटेड एरिया है जिसमें दूसरे साधन नहीं हैं, उस की क्या हालत होगी ? वे आगे क्या करेंगे वह उनकी बहुत परेशानी है। इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर मेरी तहसील में हर प्रकार की मदद दें वरना लोगों की हालत बिगड़ जायेगी और सरकार के ऊपर फिर बाद में बोझ पड़ेगा। इसलिए इस बोझ को अभी से संभाल लिया जाये तो अच्छा रहेगा। यही मेरा विशेष निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री समरथ लाल !

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान जो अभी प्रसंग चल रहा है इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष अलवर जिले के अन्दर सर्वत्र भारी तादाद में बरसात हो रही है। मैं समझता हूं कि आप अलवर जिले से आये हैं और आपको इन सब बातों की जानकारी होगी। राजगढ़ जो मेरी तहसील है और चुनाव क्षेत्र है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। मेरी जानकारी में आया है वहां पर करीब 1100 मकान, कच्चे मकान गिर चुके हैं। कच्चे मकान जिन लोगों के गिरे हैं वह अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं। इसके अलावा करीब 200 पक्के मकान थे और पुराने थे उनके बारे में भी सूचना मिली है कि वह मकान भी गिर चुके हैं। अब इस प्रकार से, माननीय अध्यक्ष जी, जहां मकान गिर रहे हों, लोग बेघरबार हो रहे हों उसके उपरान्त वहां के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की तो अधिकारियों का यह कहना है कि जो इसके नियम हैं उन नियमों में हम उन लोगों को कोई सहायता नहीं दे सकते। मैंने अधिकारियों से यह कहा कि सदन के अन्दर माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है उस घोषणा के आधार पर आपको उन लोगों की सहायता करनी चाहिए लेकिन उन्होंने अपनी विवशता प्रकट की है। मैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस ओर आप ध्यान दें और ध्यान देकर जो लोग बेघरबार हुए हैं उन लोगों को किसी प्रकार की सहायता दें जिससे कि वह अपना जीवन-यापन कर सकें। जो लोग बेघरबार हो गये हैं उनको वहां रोजगार के भी साधन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जब बरसात बन्द हो तभी तो छोटे मोटे काम करने वाले लोग एक गांव से दूसरे गांव में काम कर सकेंगे। बिना काम किए वह पड़ोसियों के मकान और दूसरे लोगों के मकानों में शरण ले रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन लोगों को अविलम्ब सहायता

(श्री समरथ लाल)
मिलनी चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीमल सारण!

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी!

श्री रामनारायण चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान राजस्थान में हुई अतिवृष्टि की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले साल हमारा गांव बाढ़ से जितना घिर गया था उतना आज भी घिरा हुआ है। बिलाड़ा और भीनमाल का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां बरसात होती ही नहीं है। अब हो रही है तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 10-15 दिनों से लगातार इतनी बरसात हो रही है कि सब जगह बाढ़ आई हुई है। पीपाड़ रोड जंक्शन से बिलाड़ा लाइन पानी से घिर जाने से गाड़ी रुकी हुई है और दूसरी तरफ से जाती है। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी फसलें बरबाद हो गई हैं। जो फसलें हैं वे कातरा की वजह से खराब हो गई है। इसी प्रकार जितने मकान हैं वे अतिवृष्टि से नष्ट हो गये। लोग वर्षा से और कातरा से पीड़ित हैं। मैं समझता हूं कि इस वर्षा से पीड़ित लोगों को आप राहत पहुंचायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मार्फत माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो सड़कें पहले टूट गई थीं वह अभी वैसी की वैसी पड़ी हैं। उनमें से जो सड़कें और ज्यादा टूट गई हैं उन सड़कों की तरफ अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिये और उन लोगों को राहत दिलाई जानी चाहियें। बी.टी. की सड़कें हैं धोती वाड़ा से मेड़ता सिटी, बिलाड़ा से आसोब तथा पीपाड़ सिटी से बोरूंदा आदि इन सड़कों की अविलम्ब मरम्मत कराई जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि से मलेरिया भी फैला हुआ है। उनाले में भी इतने मच्छर थे फिर भी वहां मलेरिया की रोकथाम का कोई इलाज नहीं किया गया। अभी मैं वहां से आया हूं वहां यह हालत है कि रात को सो नहीं सकते, दिन में काम नहीं कर सकते, लोग मलेरिया से पीड़ित हैं।

मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में अविलम्ब कदम उठायें और वहां के जन जीवन को ऊंचा उठायें।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय!

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी आपने बोला है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई!

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में अतिवृष्टि से हुई क्षति की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति की ओर केवल बाढ़ सहायता मंत्री की ही नहीं, यातायात मंत्री, विद्युत् मंत्री, खाद्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मान्यवर, पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण जोधपुर—बिलाड़ा रोड के टूटने के कारण करीब दो महीने तक यातायात बन्द रहा। लूनी नदी के अन्दर बाढ़ आने के कारण लाखों रुपये का नुकसान रेलवे मंत्रालय को हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मालूम होते हुए भी कि अतिवृष्टि के कारण रेल्वे लाइन टूटी हुई है उसकी मरम्मत नहीं हुई। पिछले वर्ष 50—60 दिन तक जोधपुर—बिलाड़ा के बीच में साठ दिन तक यातायात बन्द रहा। इतना अहम और जन हित का काम होते हुए भी सरकार ने कोई तवज्जह नहीं दी। लाखों रुपयों की क्षति जनता की हुई, राज्य सरकार को हुई लेकिन आज तक वहां कोई पुलिया नहीं बनाई गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भयंकर अतिवृष्टि के कारण जन जीवन की इतनी क्षति हो गई थी तो इतने अहम मसले के ऊपर राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि भविष्य में जो इस तरह की खराबी होती है उस खराबी को रोका जा सके।

लूनी नदी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं, उन गांवों की जनता और उन गांवों में बने हुए कुओं की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाढ़ के कारण पिछले वर्ष हजारों लोगों को क्षति हुई। बिजली के खम्भे उखड़ गये, कुए नष्ट हो गये लेकिन उनकी ओर राज्य सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया। फसल खराब हुई फिर भी राज्य सरकार ने कोई मदद नहीं दी। इस प्रकार की भयंकर स्थिति है कि लूनी नदी के किनारे जिन लोगों के कुए आये हुए हैं जिन पर बिजली लगी हुई है वहां बिजली के खम्भे उखड़ गये हैं। उन कुओं पर कनेक्शन दिया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कातरे के कारण किसानों को क्षति हुई है, अतिवृष्टि के कारण उनको क्षति हुई है। यह दोनों मामले आपके ध्यान में हैं। हमारे यहां बाजरे और ज्वार की फसल होती है, वह फसलें तो नष्ट हो गईं। किसानों के पास साल भर निर्वाह करने के लिये कुछ नहीं है। जब ज्यादा बरसात होती है तो किसानों को फायदा होना चाहिये। इसलिए कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो फसलें हो सकती हैं उनके लिये सब्सिडी दी जानी चाहिये ताकि किसान समय पर बीज की व्यवस्था करके खेती की व्यवस्था कर सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कुओं की मरम्मत कराई जाये, सड़कों की मरम्मत कराई जाये ताकि जो जन जीवन हमेशा अस्त व्यस्त रहता है वह ठीक हो सके।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 वर्षों से राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य रहा है, अनावृष्टि में लाखों लोग अकाल की चपेट में आते रहे हैं और राज्य सरकार को खर्चा करना पड़ा है। इसका असर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल पड़ा है। अभी इन्द्र भगवान की ज्यादा मेहरबानी से, अतिवृष्टि के फलस्वरूप जहां लोगों के मकान गिरे हैं, जन जीवन पर विपरीत असर पड़ा है, वहां पशुधन पर भी विपरीत असर पड़ा है। रेगिस्तानी इलाके के अन्दर जहां लगातार वर्षा हुई वहां भयंकर बाढ़ आई जैसे 1975 में आई थी, उससे हजारों

(श्री परसराम मदेरणा)
भेड़ बकरी मर गई, ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि उनके पैर उखड़ गये। जैसे जनता पार्टी की सरकार ने आश्वासन देने में दरियादिली दिखाई है वैसे ही इन्द्र भगवान की कृपा से सब जगह अतिवृष्टि के कारण नहरें बहती नजर आ रही हैं

जनता सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिस बात का उल्लेख किया था, उसका जिक्र करना मैं, अध्यक्षजी, भूल गया था, वह है कि खास तौर से फसल के क्षेत्र में, हर फसल और पशु धन का राज्य बीमा होगा। अगर इस प्रकार की कोई भी योजना बना कर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर इसका उल्लेख किया जाता तो ठीक होता। अभी भी कोई कार्यक्रम बन जाता है तो राजस्थान की और खास तौर से सीमान्त क्षेत्र की जनता आश्वस्त होगी। लेकिन आज वह ऐसा महसूस नहीं कर रही है। इस अतिवृष्टि से आपका जो दो फसली इलाका है, दो फसल जहां होती है, वहां रबी की फसल की अभी भी कुछ आशा है लेकिन एक फसल जहां होती है, वहां अति-वृष्टि से वह फसल करीब करीब नष्ट हो गई है। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं क्योंकि उनका तीन चौथाई इलाका रेगिस्तानी है कि लगातार महीने भर की बरसात के कारण बाजरा पीला पड़कर नष्ट हो गया है। यह फसल नहीं होने वाली है, दस पर्सेन्ट भी फसल नहीं होने वाली है। अगर हर फसल और पशु धन का बीमा होता तो इन लोगों को चिन्ता नहीं रहती। जो सीमान्त प्रान्त के लोग हैं उनको एक वर्ष के बाद दुबारा फसल देखने को मिलेगी इस प्रकार की भयंकर स्थिति है। इसके साथ ही एक बीमारी अपने साथ दूसरी कई तरह की कई बीमारियां लेकर आती है। अतिवृष्टि अपने साथ कई प्रकोप लेकर आती है। अब मलेरिया होगा, मास्क्वीटोज बढ़ेंगे और कई प्रकार की बीमारियां, पशुओं में बीमारियां प्रारम्भ हो जायेंगी। इसलिए मैं सरकार से और खास तौर से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आश्वासन तो आपके देख लिए, उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा। आप आश्वासनों के शाब्दिक इन्द्रजाल से बाहर निकलिये। आनकी कलई धीरे धीरे खुल रही है। कृपा कर आश्वासन तो जितने चाहें दे दें लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि इससे बाहर निकल करके आप मन में डिटरमिन होकर कुछ एक्शन लीजिए। आप और गृह मंत्रीजी कलेक्टर्स और एस.पी. को बार बार डायरेक्शन दे दें लेकिन मैं आपको कहता हूं कि डायरेक्शन में काफी स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। जो ब्यूरो-क्रेटिक व्यवस्था है इस व्यवस्था में मैंने भी काफी आदेश दिए हैं किन्तु यह देखना पड़ता है कि आदेशों की अनुपालना कहां तक हो रही है। चाहे आप डायरेक्टर को आदेश दें, चाहे आप एस.पी. को आदेश दें, चाहे कलेक्टर को आदेश दें लेकिन अगर आप आदेश देकर यह समझते हों कि उनकी अनुपालना हो गई तो यह गलत-फहमी होगी। मेरा कहना इतना ही है कि आपने न मालूम किस प्रकार के आदेश दिए हैं लेकिन आज प्रशासनिक सेवाओं में डी-मोरेलाइजेशन आया हुआ है, किस कारण से आया है मैं इसकी विवेचना अभी नहीं करना चाहता लेकिन मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान की जनता को जो परेशानी है उसका समाधान होना चाहिए।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अविलम्ब जो आदेश दे रहे हैं राहत देने के लिए वह बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मुझे याद है, पिछले साल 1976 के अन्दर जब बाढ़ आई थी, बिलाड़ा और लूनी से आने वाले माननीय सदस्य अभी बता रहे थे, उनको आदेश दिए गए थे कि फौरन उसी तरह की राहत दी जाय जैसे कि पहले दी जाती रही है। नतीजा यह हुआ है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आब्जेक्शन कर दिया और रेगुलेराईजेशन की परेशानी खड़ी हो गई। यही परेशानी आपके सामने भी आपने जो डेढ़ सौ से तीन सौ रुपये किये हैं, इसके सम्बन्ध में आने वाली है। दरियादिली से आपने परसों यहां सदन में घोषणा करके तालियां बजवा लीं लेकिन इसकी परेशानी आपके सामने आने वाली है। ऐसी ही परेशानी मेरे सामने भी आई थी और चीफ मिनिस्टर के पर्सनल रिलीफ फण्ड से रीएम्बर्समेंट कराना पड़ा था मुझे। इसलिए आप वित्तीय स्थिति को देख लीजिए। अभी वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी है। नेचरल केलेमिटी फण्ड है उसमें आपके पास 20 करोड़ और 38 लाख रुपया सुरक्षित रखा हुआ है। और इस 20 करोड़ 36 लाख रुपये से, तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए और राहत देने के लिए राज्य सरकार सक्षम है। चाहे सेंट्रल टीम आये या न आये। मैं ऐसी आशा और विश्वास लेकर चलता हूं कि मंत्री जी स्वयं ऐसे वर्ग से आते हैं जो अमीरी समाज का सबसे नीचे का तबका है। इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ गया है कि आप राहत के कार्यों को प्रारम्भ करने में देरी न करें और निश्चित आदेश दें और उसके साथ ही रबी की फसल की तैयारी अभी से प्रारम्भ कर दें। जिन आदेशों की आप बात करते हैं उनमें कई स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं उनके होते हुए जो इमर्जेन्सी पैदा हो गई है, नेचरल केलेमिटी है उससे आपको निपटना है। यही मुझे थोड़ा सा अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना है। रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने आज एक काल अटेंशन नोटिस दिया था। वहां पर दो तरह की स्थिति है। आज उनके यहां पर एक तो पेसेंजर ट्रेन हेल्ड अप हो गई है और पेसेंजर ट्रेन के यात्रियों के लिए हेलीकोप्टर से खाना डाला जा रहा है। उनके क्षेत्र में बाढ से भीषण स्थिति पैदा हो गई है। ये रानीवाड़ा के माननीय सदस्य हैं इनके निर्वाचन क्षेत्र में यह भीषण स्थिति है इसलिये दो मिनट का समय इन्हें दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय मंत्री महोदयों को निवेदन कर रहा हूं कि हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण लोगों की दुर्दशा हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप वहां जाकर देखें तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। गांवों में जो बिलकुल गरीब तबके के लोग हैं, हरिजन हैं, भंगी हैं उनके घर नीचे होते हैं। उनसे कुछ ऊपर गांव के बड़े जमीदारों के घर होते हैं और उनसे भी ऊपर बड़े बड़े जमीदारों और साहूकारों के घर होते हैं। गरीब तबके के घर

(श्री रतनाराम)

जो है वह नीचे होते हैं और गरीब तबके के खेत भी उसी जगह होते है जहां कि नदी नाले ज्यादा बहते हैं। उसी जगह उनके खेत आते हैं। मान्यवरजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में रानीवाड़ा गांव है, मेहनतो वाड़ा, आबोदरा और गांग और दईपुर, सेगावा, ओमनगढ़, रतनपुरा, मेढक वगैरह ऐसे कई गांव हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे पर आये हुए हैं। अभी मुझे सूचना मिली है कि अतिवृष्टि के कारण कई घर-किसानों, भांभी और भीलों के पानी में डूब गये हैं, कई घर ज्यादा पानी आने से बह गये हैं और उनके जो खेत थे वह बिल्कुल कट गये हैं। काश्त करने के काबिल उनकी जमीन नहीं रही है। मैं कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आप भले ही नोट कर लें कि गांग मेतरीवाड़ा गांव में कई बेरे व खेत बाढ़ से टूट गये हैं। वहां नाले नदियां आती हैं और मेडवाडा में होकर पानी निकलता है। इस गांव में 15-20 जगह पर बिल्कुल गरीबों के घर और खेत कट गये हैं। वे लोग भूमिहीन हो गये हैं। उनको दुर्दशा का अगर आप मुलाहिजा करें, मौका देखें तो आपका दिल भर आयेगा। गरीब की स्थिति जैसी होती है उसको वास्तव में वही समझ सकता है जो गरीब के घर में पला हो। ग्राम मेढक एक छोटा सा गांव है, उसमें करीब पचास पशु मर गये हैं बीमारी से। ग्राम मेडवाडा की करीब बीस तीस घरों की बस्ती है उसमें पचास पशु मर गये हैं। जब पचास पशु ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मर जावें तो आप देख सकते हैं कि उस क्षेत्र की क्या हालत होगी। उस क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण काश्तकारों ने जो फसल बोई थी वह भी खत्म हो गई। अगर आप खेतों को जाकर देखेंगे तो खेत बिल्कुल खाली मिलेंगे। एक दाना उनके खेत में नहीं है। मान्यवरजी, अतिवृष्टि हमारे क्षेत्र में इस समय है। एक तो बरसात नहीं होने के कारण अकाल पड़ता है और एक अतिवृष्टि के कारण अकाल पड़ता है। हमारे क्षेत्र में बिल्कुल अकाल पड़ गया है। इसलिए, मान्यवरजी, मैं खाद्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि उनके लिए सस्ते धान की दुकानें खोलें। जिन गरीबों के झोंपड़े डूब गये हैं व गिर गये हैं उनको सहायता दिलवाने की व्यवस्था सरकार करे। हमारे क्षेत्र में, जालोर जिले में डी.पी.ए.पी. की स्कीम सरकार ने खोल रखी है। हमारे क्षेत्र के डेढ सौ काश्तकारों ने ट्यूब वेल लगाने के फार्म भर कर दिये हैं लेकिन अभी तक एक भी ट्यूब वेल डी.पी.ए.पी. में नहीं बनाया गया है। कृपा कर आप जल्दी से आदेश दें कि जिन काश्तकारों ने फार्म भरे हैं उनके जल्दी ट्यूब वेल बनाये जावें ताकि इस अकाल के समय में लोग सियालू फसल तो ले सकें।

मान्यवर महोदय, रानीवाड़ा क्षेत्र में ए. आर. सी. की स्कीम चल रही है। कई बेरे काश्तकारों ने खोद रखे हैं किन्तु वहां सीमेंट का अभाव है। इसलिए, मान्यवर, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सीमेंट का अलाटमेंट कराया जावे। इसके अलावा वहां पर मलेरिया भी भयंकर रूप से फैल रहा है। लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। इसका भी इन्तजाम

(श्री रतनाराम)
कराने की कृपा करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उगमराज : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में सन् 1975 में जो बाढ़ आई थी उससे आज तक जो स्थिति वहां पर बन गई है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं··

श्री अध्यक्ष : Do you expect that I should pull you up ?

राज्य में बाढ़ व अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति

श्री सम्पतराम (अकाल सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, इस वर्ष जून के अन्तिम सप्ताह से राज्य के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत बहुत अच्छी हुई तथा तब से अब तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है। राज्य के कुछ स्थानों जैसे बांसवाड़ा, जयपुर इत्यादि में अब तक भारी वर्षा ने पूर्व के रिकार्ड तोड़ दिये हैं। भारी वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा पानी भर जाने के कारण कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इन जिलों में मुख्यतया बांसवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, चूरू, सीकर, कोटा, जालौर, डूंगरपुर और पाली हैं। वर्षा का अभी जोर बना हुआ है तथा राज्य के विभिन्न स्थानों से जन जीवन अस्त व्यस्त होने के समाचार बराबर प्राप्त हो रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही उपरोक्त उल्लिखित जिलों के जिलाधीशों ने पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने उनके पुनर्वास, भोजन इत्यादि की तत्काल व्यवस्था कर प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई है तथा राहत कार्य अब भी जारी है। विभिन्न जिलों से सहायता की आवश्यकता की सूचना प्राप्त होते ही राज्य सरकार ने तत्काल सहायता की राशि स्वीकृत की है और अब तक राज्य सरकार विभिन्न जिलों में 5 लाख 59 हजार 800 रुपये की राशि स्वीकृत कर चुकी है··

श्री माधोसिंह : इसमें सिरोही का नाम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसमें झुंझुनूं जिले का भी नाम नहीं है। वहां पर जयपुर से ज्यादा वर्षा हुई है।

श्री सम्पतराम : मुझे बोलने दीजिये।

जो राशि स्वीकार की है, उसका विवरण इस प्रकार है :—

बांसवाड़ा जिला 1 लाख 20 हजार रुपये, श्री गंगानगर 2 लाख 26 हजार रुपये, जयपुर 1 लाख 50 हजार रुपये, सीकर 10 हजार रुपये, जालौर 16 हजार रुपये, टौंक 10 हजार रुपये, चूरू 10 हजार रुपये, कोटा 18 हजार 800 रुपये, पाली 5000 रुपये।

राज्य सरकार का यह भरसक प्रयास है कि लोगों को तत्काल राहत मिल सके और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभागीय एवं जिला अधिकारियों के अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश मेघवाल और मैंने भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया

(श्री सम्पतराम)

है। मुख्य मंत्री महोदय एवं मैंने, सहायता आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों ने जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों का दौरा किया है। राज्य सरकार ने राज्य मंत्री श्री कैलाश मेघवाल को बांसवाड़ा व डूंगरपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा और उन्होंने मौके पर 80 हजार रुपये की तत्काल धनराशि की स्वीकृति प्रदान की। सहायता विभाग के एक अधिकारी को भारी वर्षा व बाढ़ के संबंध में स्थिति का जायजा लेने चूरू जिले के सरदार शहर में भी भेजा गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार पूर्णतया सजग है और प्रभावित लोगों की पर्याप्त मात्रा में सहायता करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सहायता की मात्रा में भी इस वर्ष वृद्धि कर दी है। अब बाढ़ के कारण कच्चे मकानों के पूर्णतया नष्ट होने की स्थिति में राज्य सरकार सौ रुपये के स्थान पर 300 रुपये की सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार आंशिक रूप से नष्ट हुए मकानों के पुन: निर्माण हेतु सहायतार्थ अधिकतम राशि की अधिकतम सीमा को 10 रुपये से 50 रुपये के स्थान पर 25 रुपये से 100 रु. तक कर दिया गया है। राज्य सरकार पूर्व की भांति अब भी प्रभावित लोगों को नि:शुल्क भोजन के रूप में 500 ग्राम आटा एवं 100 ग्राम दाल उपलब्ध कराती है। कुछ स्थानों पर इसके वितरण में कठिनाई महसूस होने के कारण अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था में अगर गम्भीर बाधा उत्पन्न हो तो संकटग्रस्त लोगों की भोजन व्यवस्था के लिये जिलाधीश अधिकतम दो रुपये नकद या अन्य किसी प्रकार से खर्च कर सकते हैं।

भारी वर्षा व बाढ़ का क्षेत्र व्यापक होने के कारण बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ण हानि का अनुमान लगाने में समय लगेगा। हानि को आंकने का कार्य जारी है तथा अब तक यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में भारी वर्षा व बाढ़ से लगभग 200 मकान प्रभावित हुए हैं तथा 1230 परिवारों के 6150 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने इन परिवारों की चिकित्सा व अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की व्यवस्था हेतु जिलाधीशों व अन्य अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 78 लाख रुपये की सम्पत्ति के नुकसान पहुंचने के समाचार मिले हैं। इसके अलावा राज्य के कुछ भागों में खास कर रेगिस्तानी क्षेत्रों में बाजरे की व खरीफ की अन्य फसलों पर हानि हुई है और यह फसलें कातरा ग्रस्त भी हैं। इस सम्बन्ध में कृषि विभाग समुचित व्यवस्था कर रहा है। राज्य के विभिन्न भागों से इस सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई है उसका विवरण इस प्रकार है:—

बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा शहर तथा जिले के खान्दू गांव में बाढ़ से नुकसान हुआ जिससे 626 मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा 300 परिवार प्रभावित हुए। कुल नुकसान जो आंका गया है, वह 74 लाख रुपये का है।

गंगानगर शहर में बाढ़ से 700 मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा इतने ही परिवार

(श्री सम्पतराम)

प्रभावित हुए। नुकसान 2.55 लाख का आंका गया है।

चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के निचले भागों में बाढ़ का पानी भर गया जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नीचे के हिस्से में लोगों के कच्चे मकान प्रभावित हुए हैं। जिलाधीश चूरू की सूचना के अनुसार सुजानगढ़ में भरे हुए पानी को निकालने हेतु 7 पम्प कार्य कर रहे हैं तथा 50 हजार गैलन पानी प्रति घंटे के हिसाब से निकाला जा रहा है।

सरदार शहर में भी भारी' वर्षा के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सहायता विभाग के अधिकारियों को मौके पर जांच से विदित हुआ है कि वहां पर समस्या बाढ़ की न होकर निचले क्षेत्रों से पानी के निकास की है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध पम्पों को पूरी क्षमता से चलाये जाने तथा पानी के निकास की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्देश दे दिये हैं।

टोंक जिले के ग्राम मन्बापुरा में अधिक वर्षा से बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे 32 मकान क्षतिग्रस्त हुए और 66 परिवार प्रभावित हुए हैं। कुल 37 हजार का नुकसान आंका गया है।

कोटा जिले के छीपा बड़ोद कस्बे में बाढ़ से 75 मकान क्षतिग्रस्त हुए और इतने ही परिवार प्रभावित हुए हैं। नुकसान के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

बाढ़ की स्थिति से जालोर जिले में भी नुकसान हुआ है। बाढ़ से 70 मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा इतने ही परिवार प्रभावित हुए हैं। जालोर जिले में अतिवृष्टि से नदी नालों ने अपना सामान्य बहाव बदल दिया जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ के कारण 5.80 लाख रुपये का नुकसान राजस्व अधिकारियों ने आंका है। इस नुकसान में भूमि, मकान एवं सार्वजनिक भवनों की क्षति भी शामिल है।

सीकर शहर तथा दांता रामगढ़ तहसील के ग्राम खोरा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे 12 परिवारों को नुकसान हुआ है।

जयपुर जिले में भी अधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके फलस्वरूप जयपुर शहर तथा आमेर, जमवारामगढ़ तहसीलों के गांवों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा। जयपुर जिले में इस प्रकार कुल 1020 मकान क्षतिग्रस्त हुए जिनमें से 584 मकान जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में क्षतिग्रस्त हुए और शेष उपर्युक्त दो तहसीलों में। जयपुर शहर में जालरोली, घाट की घूणी, वेतन कॉलोनी, आदर्श नगर की नीची बस्तियां, उनियारा गार्डन, नाहरी का नाका, अम्बेडकर बस्ती तथा सोडाला क्षेत्रों में बाढ़ से क्षति हुई है।

पाली जिले में अधिक वृष्टि और तूफान के कारण कुछ पेड़ गिरे हैं। पेड़ों के एक प्याऊ पर गिर जाने से प्याऊ क्षतिग्रस्त हो गई।

श्री मूलचन्द डागा : आपने पाली जिले में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)
बताई। केवल एक सेन्टेन्स में ही समाप्त कर दिया।

श्री सम्पतराम : मैं यह निवेदन कर दूं कि रात के 11 बजे तक की यह सूचना है। उसके बाद जितना संभव हो सका है, वह सूचना एकत्रित करके सदन के सामने पेश कर रहा हूं। आप कृपा करके यह न समझें कि यह मुकम्मिल सूचना हो गई है।

जिलाधीश नागौर से टेलीफोन पर सम्पर्क करने से यह सूचना मिली है। मैंने खुद ने टेलीफोन पर बात की है। यद्यपि जिले के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा हुई है जिला अधिकारी सहायता की व्यवस्था हेतु सतर्क हैं तथा सिंचाई विभाग के एक अधिशासी अभियन्ता को वहां पर भेज दिया गया है।

अन्त में सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं····

श्री रामसिंह विश्नोई : इसमें जोधपुर का कुछ नहीं बताया गया है। वहां पर रेल लाइन टूट गयी है। यातायात बंद है। जोधपुर का आपने कोई जिक्र नहीं किया है। तीन दिन से लाइन टूटी हुई है। बिलाड़ा-जोधपुर लाइन टूटी है। आपको यह भी ज्ञात नहीं है।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में सिरोही जिले का जिक्र भी नहीं किया है। वहां पर अब तक 40"-45" वर्षा हो चुकी है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वहां पर हुई है। यह गुजरात के नजदीक का एरिया है। वहां पर अति वृष्टि से काफी विनाश हुआ है।

श्री सम्पतराम : पहले मुझे यह पढ़ने दें।···

श्री माधोसिंह : वहां पर ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था नष्ट हो गयी है। फसलें नष्ट हो गई हैं। जीना दूभर हो गया है। मुझे अफसोस है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सम्पतराम : मैं पढ़ रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें समझना चाहिए।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने 25 तारीख को ही सूचित कर दिया था। आपने कहा था, मैं वायरलैस से खबर मंगवाऊंगा।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री दाऊलाल जोशी : शासन अपने पैरों पर खड़ा है, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : रेलवे लाइन टूट गई है। यातायात बन्द है। क्या जिलाधीश की रिपोर्ट नहीं आ सकती थी? माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? हेलीकोप्टर से उनको खाना दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय मन्त्री जी, अगर रेल लाइन टूटी होने के कारण हेलीकाप्टर भेजे गये तो आपको सदन में सूचना देनी चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपके पास पूरी सूचना नहीं है।

Page No 46

(46)

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य, सुनें तो सही।

श्री रतनाराम : अधूरी जानकारी है…

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था पहले आई थी? क्या कह रहे हैं, आप?

श्री रतनाराम : अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा और घनेरी के बीच में पुल टूट गया है। नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिससे रतनपुर गांव में भारी नुकसान व डेमेज हो गया है। बहुत से पशु मर गये हैं। बहुत नुकसान लोगों का हो गया है। वह जालौर जिले का दक्षिणी भाग है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, खास तौर से मैंने अपने स्टेटमेण्ट में जिक्र किया है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है, जहां तक आपने फर्माया, पैसेंजर ट्रेन घिर गई है, यह राजस्थान में नहीं हुआ है। यह गुजरात स्टेट में हुआ है। फिर भी राज्य सरकार ने जिलाधीश सिरोही व जालौर को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये हैं।

(व्यवधान)

यह तो कामन इन्ट्रेस्ट है।…

श्री अध्यक्ष : सरकार इसमें क्या कर रही है?

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कलेक्टर सिरोही और जालौर को आदेश दे दिये हैं, जिस जिस को सहायता पहुंचाने की जरूरत हो, उसको सहायता पहुंचाई जाये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय…

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : कितनी धन राशि का सिरोही जिले के लिए अलाटमेंट हुआ है?

श्री सम्पतराम : आपने स्टेटमेण्ट को समझा नहीं है। जो पैसा अभी तक दिया है उसका विवरण मैंने दिया है। आज जितना भी देना है, सरकार के पास काफी पैसा है, वह सरकार देगी। माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो मैं गांवों के नाम लिख रहा था। कलेक्टर को आदेश दूंगा। सदन में माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करूंगा। कहते ही हो जाय, यह तो गलत है। जहां आवश्यकता होगी वहां राहत कार्य पहुंचायेंगे। मैंने यह निवेदन किया इसको कोई कम्प्लीट सूचना मानकर नहीं चलना है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : No interruption, please.

श्री मूलचन्द डागा : जयपुर में क्या है?

श्री सम्पतराम : अतिवृष्टि व बाढ़ से जिन स्थानों पर खरीफ की फसलें नष्ट हो गई हैं उन क्षेत्रों में प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु सरकार लगान की वसूली

(श्री सम्पतराम)
स्थगित कर देगी तथा किसानों को खाद व बीज के लिये तकावी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

एक माननीय सदस्य : युद्ध स्तर पर काम किया जावे।

श्री सम्पतराम : जिन लोगों के मवेशी अतिवृष्टि से मर गये हैं और जिनके पास दूसरा कोई अन्य जीविका उपार्जन का साधन नहीं है उनको बैंकों के माध्यम से कर्ज दिलाने का प्रयत्न किया जायेगा ताकि उनकी सहायता हो सके।

श्री परसराम मदेरणा : आपका घोषणा पत्र है, पशुधन और फसलों के बीमा करने का। उसकी तरफ भी आपका ध्यान गया है?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य, एक लम्बे अर्से तक सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे हैं। जो पहले निर्धारित किया गया था और जो नीति की घोषणा की गई है, यह सम्भव नहीं है कि सारा काम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। जो घोषणा पत्र के अन्दर है, हम अक्षरश: उसे पूरा करेंगे....।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों को भावना व्यक्त करने का मौका नहीं मिला है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय से मिल लीजिए। लिखित में दे दीजिए।

श्री सम्पतराम : मैं खुद ले लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया आसन को सहयोग दें। सदन का बहुमूल्य समय है। पूरा बिज-नेस समाप्त नहीं हो सकेगा। यह आखिरी दिन है। Please take your seat.

श्री सम्पतराम : अन्त में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति के प्रति पूर्णतया सजग है और हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिये तत्पर है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। विधायी कार्य। राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977।

शिक्षा मन्त्री जी।

शासकीय वक्तव्य

जवाहर सागर बांध व माही परियोजना पर मजदूरों को छंटनी का नोटिस

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य एच. एन. शर्मा का था। अगर इजाजत दें तो उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं।

(विराम)

जवाहर सागर बांध में कार्य की कमी के कारण यह खण्ड कार्यालय बन्द कर दिया गया है और इस कार्य पर लगे श्रमिक आवश्यकता से अधिक हो गये हैं। कार्य की कमी के कारण कुछ कर्मचारी, जो मस्टर-रोल पर कार्य कर रहे हैं, को छंटनी नोटिस दिया गया था, परन्तु अब उन्हें भी अन्य

(श्री सम्पतराम)

स्थानों पर कार्य पर लगाने का प्रबन्ध कर लिया गया है और छंटनी नोटिस निरस्त कर दिया है।

चम्बल परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास क्षेत्र कोटा (सी. ए. डी.) में कार्य-रत ऐसे 250 कार्य प्रभारी श्रमिकों की, जिन्होंने एक वर्ष से 3 वर्ष तक की कार्य अवधि पूरी कर ली हो, छंटनी नहीं की जा रही है। मेण्टीनेन्स पर चल रहे कार्य प्रभारी श्रमिक यथावत कार्य कर रहे हैं। केवल किसी समय बद्ध कार्य पर लगाये जाने वाले केजुअल श्रमिकों को कार्य समाप्ति पर हटा दिया जाता है।

माही परियोजना में वर्षा ऋतु में परियोजना का कार्य बन्द हो जाता है, या कार्य में कमी हो जाती है। इसलिए हर वर्ष वर्षा ऋतु में श्रमिकों की छंटनी की जाती है। इस वर्ष भी वर्षा ऋतु के कारण कार्य में कमी होने अथवा कुछ कार्यों के पूर्ण हो जाने से 4258 श्रमिकों की छंटनी की गई है। वे सभी श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने 240 दिन से अधिक कार्य नहीं किया है, इसलिए श्रमिक कानून के अनुसार ऐसे श्रमिकों को नोटिस एवं मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त छंटनी में आये हुए 99 श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने 240 दिन से अधिक व दो वर्ष से कम कार्य किया है जिनमें से 31 श्रमिकों को एक माह का नोटिस, वेतन व नियमानुसार मुआवजा देकर छंटनी कर दी गई है व शेष 68 श्रमिकों को नियमानुसार मुआवजा देकर छंटनी कर दी जावेगी।

वर्षा ऋतु में इस प्रकार की छंटनी हर बड़ी योजना में की जाती है। माही योजना में पिछले वर्ष में भी इसी प्रकार छंटनी की जाती रही है। वर्षा के बाद जब काम वापस आरम्भ हो जावेगा तो श्रमिकों को फिर से काम पर लगा दिया जावेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्माननीय सदस्य महोदय, कृपा कर स्थान ग्रहण करें।

विधायी कार्य

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

विचारार्थ प्रस्ताव

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री मूलचन्द डागा : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। एक छोटा सा निवेदन मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए करता हूं। आपने पहले दो बार व्यवस्था दे दी है कि जो अमेन्डमेन्ट्स हैं, उनकी कम से कम दो दिन पहले सदन को सूचना देनी चाहिए। यह आपकी व्यवस्था है। आपने एक बार गलती माफ कर दी। कल भयंकर भूल की थी और आज फिर महा-भयंकर भूल की गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतनी भयंकर भूल।

श्री मूलचन्द डागा : आपके न्याय में तो मुझे विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, अभी जो टेबल पर अमेन्डमेन्ट आकर दिया है. . .

श्री अध्यक्ष : यह तो इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : इस विधेयक से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय।

श्री बाऊलाल जोशी : आपने पढ़ा ही नहीं है, पहले पढ़ तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर आपत्ति न करें।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन विधेयक तो आयेगा ही, आज ही आयेगा।

श्री अध्यक्ष : जब आयेगा तब देखेंगे।

श्री मूलचंद डागा : बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय, कुलपति और स्नातक ये नाम सुनते ही नालन्दा विश्वविद्यालय का स्मरण हो आता है। मैंने आज अपना यह संशोधन प्रस्ताव किया पेश है कि "राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

विश्वविद्यालय से निकले हुए लोगों को एक तरह से मक्खन कहा जा सकता है। यहां से जो स्नातक निकलेंगे उनके हाथों में राजस्थान का भाग्य होगा। इसलिए चाहिए तो यह था कि विश्वविद्यालय में से जो स्नातक निकलते उनमें खुशबू होती, नैतिकता और सच्चाई उनमें प्रगट होती, कर्तव्य और श्रम का उनके द्वारा पालन होता, राजनीति से उनको बिल्कुल दूर रखा जाता। एक वक्त था यहां पर जब डाक्टर मोहनसिंह मेहता, विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, उन्होंने अच्छे-अच्छे चुन-चुनकर हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट लिये और एक अच्छा काम शुरू किया था। एक वक्त था जब राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम सब तरफ फैलने लगा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक वक्त ऐसा आया कि विश्वविद्यालय पार्टीबाजी का अखाड़ा बन गया और कोई भी उपकुलपति पूरी टर्म नहीं कर पाये, शिक्षा का स्तर गिर गया, रात दिन झगड़े होने लगे और विश्वविद्यालय के अच्छे अच्छे प्रोफेसर छोड़कर भागने लगे, और जो नहीं भागे उनको निकाल दिया गया। मैं यहां पर आपके सामने कुछेक सज्जनों के उदाहरण उपस्थित करता हूं। डाक्टर श्रीवास्तव प्राणीशास्त्र के प्रोफेसर थे, बड़े शिक्षाविद् थे और सिण्डीकेट की आज्ञा से दो वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गये लेकिन उनका टर्म पूरा नहीं हुआ उसके पूर्व ही उन्हें बिना उनसे पूछे निकाल दिया गया। अब इतने बड़े शिक्षाविद् को इस प्रकार से मनमाने ढंग से निकाल सकते हैं तो आप बताइये कि विश्वविद्यालय का क्या हाल होगा ? अगर विश्वविद्यालय इस तरह से राजनीति का अखाड़ा बनने लगे तो फिर

(50)

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
शिक्षा का क्या होगा और क्या स्थिति होगी ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कांग्रेस पार्टी का राज था, आज जनता पार्टी का राज है, कभी किसी और पार्टी का राज होगा, इस तरह से अगर विश्वविद्यालय पार्टीबाजी का अखाड़ा बनते रहे तो वही स्थिति होगी जिस प्रकार से भस्मासुर और शंकर भगवान की हुई थी। शंकर भगवान आगे–आगे भागते जाते थे और पीछे पीछे भस्मासुर भागता था। वही स्थिति आज यहां पर हो रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, आज शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया है, शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि जिस विश्व–विद्यालय का हिन्दुस्तान के कोने–कोने में नाम सुना करते थे, किन्तु जब से आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली चालू हुई है तब से इतनी स्थिति खराब हो गई है कि पूछिये मत। अच्छे प्रतिभाशाली छात्र जो हैं वह यों ही रह जाते हैं और जिन्होंने लेक्चरार की खुशामद की जिस तरह से मिनिस्टर के पास चमचे होते हैं उनके चारों ओर फिरते हैं, ठीक उसी तरह से जो, छात्र प्रोफेसरों के आगे पीछे फिरते हैं और उनकी खुशामद करते फिरते हैं, इन्टरनल असेसमेन्ट में उन्हें खूब नम्बर मिल जाते हैं और प्रतिभाशाली छात्र रह जाते हैं। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टरनल असेसमेन्ट की जो प्रणाली है उसको समाप्त किया जाय। नहीं तो हालत इतनी खराब हो जायगी कि जो छात्र प्रतिभाशाली हैं और फर्स्ट डिविजन पास होने चाहिए उनको थर्ड डिविजन मिलेगा और जिनको पास नहीं होना चाहिए वह फर्स्ट डिविजन में पास हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपा करके इसको आप समाप्त करिये।

मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है मेरी राय से आपका इत्तिफाक न भी हो, लेकिन सिण्डीकेट में एम. एल. ए. और एम. पी. को स्थान नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तालाब में अगर एक तरफ भी छिद्र रहा तो पूरा तालाब टूट सकता है। शिक्षा को राजनीति से हमेशा दूर रखना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को आप चुनाव में खड़े मत होने दीजिये। अगर आप इनको खड़े होने देंगे तो कितना भी हो वे राजनीति में फंस जायेंगे। इसलिए आप उनको इस प्रकार से रखिये कि वह छात्रों का मार्ग प्रदर्शन कर सकें और जब स्नातक वहां से निकलें तो उनके चरित्र में से खुशबू निकले। ऐसी खुशबू उनके चरित्र में हो कि हिन्दुस्तान के कोने कोने में जहां पर भी वह जायं उसकी छाप हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस मामले में ध्यान रखियेगा।

आपको मालूम होगा कि आज बाहर के लोग यहां पर ज्यादा हैं और यहां के लोगों को स्थान मिलता नहीं। उनको बाहर के विश्वविद्यालयों में भी स्थान मिलता नहीं। आप बाहर के लोगों को लेते जायेंगे तो यहां के लोगों का क्या होगा ? डाक्टर मेहता ने पहले पहले चुने हुए व्यक्ति इसलिए लिये थे कि यहां के लोग तैयार हो जायं और फिर उनको स्थान मिले। इसलिए

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

आप उनको भी कायदे से लीजिये जो कि प्रथम श्रेणी के लोग हैं। आप यहां के लोगों को स्थान नहीं देंगे तो फिर उनको स्थान कहां पर मिलेगा ? इस स्थिति का आप अन्दाजा लगाइये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके जल्दबाजी न करिये। थोड़ा समय लगे तो चिन्ता मत करिये। यह ऐसा मामला है कि इस पर राजस्थान का भविष्य आधारित है। अगर स्नातक अच्छे निकले और एक भी ऐसा छिद्र नहीं रहा तो सचमुच विश्वविद्यालय में से वह खुशबू निकलेगी जो नालन्दा विश्वविद्यालय से निकली थी। आज नालन्दा विश्वविद्यालय के खंडहरों के दर्शन जो करने लोग जाते हैं यहां के विश्वविद्यालयों को देखकर शर्म से उनका मस्तिष्क झुक जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके सब बातों से ऊंचे उठकर सच्चे माइने में सब बातों को समझकर इसको नैतिकता की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से ऊंचा उठाना चाहते हैं तो निष्ठावान व्यक्तियों का प्रवेश इसमें कराना होगा। राजनीति से इनको बिल्कुल दूर रखें नहीं तो कल्याण नहीं होगा। शिक्षण संस्था तो सच्चे मायने में राज्य के अधिकार से स्वतंत्र होनी चाहिये। जिस दिन शिक्षण संस्थायें स्वतंत्र होंगी उस दिन हमारा सच्चे माइने में दर्जा ऊंचा उठेगा। जब मैं देखता हूं कि छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी को बंगला मिल सकता है, लेकिन जब डाईरैक्टर आफ एजूकेशन बिना बंगले के होता है तो आश्चर्य होता है। मकान ईयरमार्क होगा, चीफ सेक्रेटरी के लिए, कलेक्टर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए लेकिन डाइरेक्टर के लिये नहीं। शिक्षा को उच्च स्थान मिले ऐसा प्रयत्न करें। जिस देश ने शिक्षा को ऊंचा माना है, वह देश उठा है और जिस देश में शिक्षक की कद्र नहीं है वह गिरा है। आप जल्दी न करें, देर हो तो कोई हर्ज नहीं, देर हो लेकिन अंधेरे न हो। मुझे मालूम है, मंत्रीजी के मन में निष्ठा है, कर्तव्यपरायणता है। अगर देरी भी हो तो चिंता नहीं लेकिन इस तरह का कानून बने जिसमें ऐसा छिद्र न रह जाय जिसके कारण शिक्षा का स्तर नीचे गिरे। आज जो यूनिवर्सिटीज की हालत हो रही है वैसी न हो। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री मूलचन्द डागा : हम जरूर मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। यह मैंने प्रस्ताव रखा है। जो संशोधन बिल शिक्षा मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक्ट 1946 में बना है और मैं भी 10 साल से विधान सभा का सदस्य हूं। बराबर इस एक्ट में संशोधन आते रहे हैं। आज की परिस्थितियों के अनुकूल इस 1946 के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कानून में जितने भी संशोधन हो सकते हैं आप एक काम्प्रेक्ट संशोधन बिल प्रस्तुत करें ताकि इस प्रकार के विश्व-विद्यालयों के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी जो चेक हो सकता हो वह भी गहराई से सोच कर किया जा सके। इसलिये यह बिल प्रवर समिति में जाए और उसके द्वारा विश्वविद्यालयों का जो स्तर है, वह बहुत ही ऊंचा रहे उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री जी पूर्ण अध्ययन करके बजट सेशन में ऐसा काम्पेक्ट बिल प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा होगा। यह सम्भव नहीं हो तो एक साल तक भी अध्ययन करके इस बारे में काम्पेक्ट विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जो सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं उनसे मैं काफी हद तक सहमत हूं। प्रजातंत्रीय ढांचा अपने देश ने अपना लिया है तो विश्वविद्यालयों को इस प्रजातंत्रीय तरीके को अपनाने के लिए अपन मना करें, यह उचित नहीं होगा। पहले जो प्रणाली थी उसके अन्दर राजाओं का राज था। अब जब हम प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं तो यह उचित होगा कि प्रजातंत्र के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू करें। अगर इन सिद्धांतों को लागू नहीं करेंगे तो अधिनायकवाद बढ़ेगा और अधिनायकवाद की जो खराबियां हैं वे भी इसमें आ जायेंगी। अगर वाइस चांसलर डा. राधाकृष्णन व डा. मुदालियर जैसे योग्य व्यक्ति हों तो उनका अपने आप ही प्रभाव पड़ जाता है। परन्तु अपने देश का दुर्भाग्य है कि उनके कैलीबर के आदमी को लाने की कितनी भी कोशिश करें, हमारी सरकार ने भी कोशिश की फिर भी उसको ऐसा योग्य वाइस चांसलर नहीं मिला और इस कारण यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुधरा। परन्तु अपने को इस बारे में सोचना है कि अपने देश में जो भी टेलेंट प्राप्त हो सके, जो योग्य और निष्पक्ष हों, जिनमें इन्टेग्रिटी हो, जो विद्वान हों ऐसे व्यक्ति को वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति के बारे में कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि इस बारे में व्यवस्था बनी हुई है, यू.जी.सी. का एक प्रतिनिधि चयन समिति का सदस्य है, एक एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट भी सदस्य है और तीसरा सदस्य खुद चांसलर है या उनका प्रतिनिधि होता है। अब तीनों ने श्री जी.सी. पांडे को सलेक्ट किया। पांडे के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हैं, उन्होंने नियुक्तियों में अनियमिततायें की हैं इसके कारण ही उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। जिस प्रकार की चयन समिति है, उसमें इतने प्रसिद्ध व्यक्ति होते हुए भी हम कोशिश करने के बाद भी वाइस चांसलर के पद पर अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं। मैंने पहले भी यह प्रश्न उठाया था। जब जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में अपने विचार रख रहा था उस समय भी मैंने कहा था कि जो हिन्दू कालेज के प्रिंसिपल को वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति की गई है वह ऐसे कौनसे योग्य व्यक्ति हैं, किस प्रकार उनका चयन हुआ। इस बारे में भी जांच होनी चाहिए। ऐसे गौरवपूर्ण पद के लिए एक महान व्यक्ति को, जो कि उच्च कोटि का विद्वान हों, चुना जाना चाहिए। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में भी विस्तार से छानबीन की जानी चाहिए क्योंकि आपने

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सिंडीकेट और एकेडेमिक कौंसिल अच्छी बनाई परन्तु यदि उसका चेयरमेन, वाइस चांसलर है, केपेबल नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, पक्षपात से परे नहीं होगा तो प्रशासन अच्छी तरह से चल नहीं सकता। राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि

(2.00 म.प.)

(मेजर श्री फतह सिंह, सभापति, पीठासीन)

वाइस चांसलर किस प्रकार चयन करेंगे, उसी पर निर्भर है यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की सारे देश में रेपूटेशन है। पहले जो वाइस चांसलर हुए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की अच्छी प्रतिष्ठा बनाई। वह प्रतिष्ठा फिर से कायम की जाय, इस संबंध में भी सोचने की आवश्यकता है। अब इसके अन्दर आपने दो एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट रखे हैं। यह जो बात आपने रखी है उसके लिये तो मैं आपसे सहमति रखता हूं। आपने जो एमीनेन्ट स्कोलर्स के लिये वाइस चान्सलर को अधिकार दिया है कि वह गवर्नर साहब को इसके बारे में राय दे कि वह कौन होने चाहिये। फिर गवर्नर साहब दो एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट को नोमीनेट करेंगे। इसके बाद में, सभापति महोदय, आपको देखना होगा कि इसमें कोई अच्छे व्यक्ति, जो शिक्षा शास्त्री हों, आवें।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। यह जो विद्यार्थियों को आज यूनिवर्सिटी की राजनीति में घुसेड़ा जा रहा है यह बन्द होना चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आज जिस तरह से यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स को आपने छूट दे दी है नगरपालिकाओं के मेम्बर और एम. एल. ए. और एम. पी. के इलेक्शन लड़ने के लिये उससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर यह लोग इन इलेक्शन्स में पड़ गये तो मैं समझता हूं कि इनका जो दायित्व विद्या देने का है वह सही मायने में पूरा नहीं हो सकेगा। यह लोग राजनीति में पड़ जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि यह लोग चुनावों में और राजनीति में भाग नहीं लेवें ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ा सकें और उनका माइन्ड विद्या से डाइवर्ट नहीं हो। आपको इसके बारे में निर्णय लेना चाहिये। वह चाहे तो एजूकेशनल एक्टीविटीज जो है जैसे सिन्डीकेट है, सीनेट है इनमें भाग लें, यूनिवर्सिटी की दूसरी एक्टीविटीज में चाहे जरूर भाग लें पर राजनैतिक चुनावों में भाग उन्हें नहीं लेना चाहिये। आपको इस संबंध में प्राविजन्स इस बिल में रखने चाहिये। सभापति महोदय, यह बात हमारे देश के विद्यार्थियों के लिये अत्यावश्यक है। नहीं तो यह लोग विद्यार्थियों को नहीं पढ़ायेंगे और राजनीति में ज्यादा पड़ जावेंगे और अपना समय गवां देंगे व्यर्थ में ही। इसलिये इसकी व्यवस्था आप जरूर करें।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि फाइनेन्स कमिश्नर के लिए मेम्बर होने की आप जरूर व्यवस्था करें। जब राज्य सरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी को पूरी की पूरी ग्रान्ट देती है और जब आप एक कमेट

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप फाइनेन्स कमिश्नर को इसमें मेम्बर रखने को तैयार होते हैं ? आपने जब सिन्डीकेट में डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को मेम्बर रखा है तो आप फाइनेन्श कमिश्नर को मेम्बर क्यों नहीं रखने को तैयार होते हैं ? आखिर राज्य सरकार का लाखों रुपये का सवाल है। आये दिन हम यह सुनते हैं कि लाखों रुपये का दुरुपयोग वाइस चान्सलर द्वारा किया जा रहा है तो वाइस चान्सलर के द्वारा फाइनेन्स के मामलों के अन्दर गड़बड़ी नहीं हो इसको चेक करने के लिये एक रीअल रिप्रजेन्टेटिव गवर्नमेन्ट का होना चाहिये। हमारे कांग्रेस के सदस्य श्री मथुरादास जी माथुर ने इस सम्बन्ध में सुझाव भी रखा है कि इसमें फाइनेन्स कमिश्नर को भी सदस्य रखा जाना चाहिये।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि आप और हम सभी लोग इस बिल के सभी पहलूओं पर अच्छी तरह से विचार कर सकें। उसके बाद में आप जो बिल पेश करेंगे वह एक बहुत ही अच्छा बिल पेश कर सकेंगे। उससे हमारा शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और विद्यार्थियों में भी आप एक अनुशासन की भावना पैदा कर सकेंगे।

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज दो विधेयक सदन को पारित करने हैं। आसन माननीय सदस्यों को समय के लिये पाबन्द करना उचित नहीं समझता, इसलिये माननीय सदस्य खुद ही समय का ध्यान रखें तो उचित होगा। जहां तक हो माननीय सदस्य पहले कही बात को बार बार रिपीट नहीं करें तो उचित रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Strike again and again, the devil will come out, सौ बार दरवाजा खटखटाइये डेविल अपने आप बाहर आ जायेगा। The devil will comeout. सभापति महोदय, बार बार मैं इन तोनों बिलों के लिये कहता आया हूं, आप बड़े विद्वान और अनुभवी जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं आपको मैं बहुत ही अच्छी बात कहना चाहता हूं कि आपने जो यह निर्णय इन बिलों के संबंध में लिया है वह उचित नहीं लिया है। यही नहीं आपकी यूनिवर्सिटीज ने पहले जो निर्णय लिये उनके बारे में जो यूनिवर्सिटीज के वोल्यूम नम्बर 26 पेज 60 पर है, वाइस चान्सलर श्री जी. सी. चटर्जी ने इस बारे में जो बात कहीं थी वह निवेदन करना चाहता हूं।

"It is significant to note that Professor G. C. Chatterji, Ex-vice Chancellor of the University of Rajasthan, while addressing the convocation of this University in January 1960, said " I must confess that on the basis of an experience ranging more than forty years, I have to admit that the elective principle has failed dismally to yield desired results, In the vast majority of instances where represen-

Page No 55

(55)

(श्री मूलचन्द डागा)

tatives to university bodies have to be elected, whether by the general body of graduates or by electoral colleges of groups of college teachers, principals of colleges or even by the Senate it self, it is frequently the wrong persons who are elected.

"As the result of this sad experience, I have come to the conclusion that the elective element in University bodies must be cut down to minimum, That most cases, these bodies should be filled on functional consideration."

श्रीमान, मैं शिक्षा शास्त्री श्री चतुर्वेदीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आप शिक्षा शास्त्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी 28 तारीख की रात को, और इसी 28 जुलाई की रात को अन्धेरी रात में काली चादर ओढ़ कर कहां गये थे ? रात के 11 बजे से एक बजे तक आप कहां गये थे ? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब रात को हमारे जैसे लोग दस बजे बाद बाहर नहीं निकलते हैं तब आप कहां थे ? आप नहीं बतायेंगे, मैं जानता हूं आप रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में थे । आप किससे बात कर रहे थे, श्रीमान्, वह भी मैं आपको बता सकता हूं । आपको यह मालूम होना चाहिये कि दीवाल के भी कान होते हैं । रात के अन्धेरे में काली चादर ओढ़ कर आप यूनिवर्सिटी में किस किस जगह गये, किन किन से मिले, आपने क्या क्या बात की वह मैं बता सकता हूं । लेकिन यहां पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि किस व्यक्ति को वाइस चान्सलर बनायें उसके लिये आप वहां पर गये थे । आपने वाइस चान्सलर बनाते समय सीनियोरिटी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा । आपने अपने आदमी को बिना सीनियोरिटी के वाइस चान्सलर बना दिया जब कि सीनियोरिटी के अनुसार प्रोफेसर श्री जी. एस. शर्मा को एक्टिंग वाइस चांसलर का पद आपको देना चाहिये था । किन्तु आपने लॉ के उस सीनियर प्रोफेसर को वाइस चांसलर नहीं बनाया । मैं बताता हूं वह लॉ के उस सीनियर प्रोफेसर का नाम है श्री जी. एस. शर्मा ।

एक माननीय सदस्य । श्री ज्ञानस्वरूप शर्मा ।

श्री मूलचंद डागा : आप तो बड़े ज्ञानी हैं ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि वाइस चांसलर आपको श्री जी. एस. शर्मा को बनाना चाहिये था । पर आपने उसे नहीं बनाया और आपने उस व्यक्ति को बनाया जो कि आपकी जनता पार्टी का पूर्ण समर्थक है, ओमप्रकाश माथुर । सभापति महोदय, मैं यहां पर यह कहते हुए नहीं हिचकिचाऊंगा कि जो व्यक्ति खुले रूप से आज दिन तक समर्थन करता रहा है उसको आपने वाइस चांसलर बनाया है, जब कि वह श्री जी. एस. शर्मा से जूनियर है । यहां आप बैठ कर बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रिन्सीपल्स की बात करते हैं । मुझे दुःख होता है इसके लिये । यही कारण है कि जब आपने वाइस चांसलर की घोषणा की तो राजस्थान के सभी अखबारों में इसके बारे में बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया, उसकी कटिंग भी रखी गई है ।

(श्री मूलचन्द डागा)

"Rajasthan University in chaos after the V.C. quits."

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन अखबारों में क्या क्या लिखा है। उसके अन्दर लिखा है कि 28 तारीख के दिन श्री माथुर साहब होस्टल के प्रोफेसर्स और वार्डन्स से मिलने के लिये गये थे तो वहां के लड़कों ने उन्हें वाइस चांसलर नहीं माना। कौनसे लड़के थे वहां पर ? श्री सुरेश भार्गव, श्री राजेन्द्र मेहरा, सुरेश.... श्री सुरेश राठौड़। ये कौन हैं ? सभापतिजी, आपको जान कर आश्चर्य होगा कि यूनिवर्सिटी में ये विद्यार्थी नहीं हैं। किसी जमाने में विद्यार्थी थे। 28 तारीख को यह किस्सा हुआ है। इस प्रकार रोज की घटनायें हैं। जब से जनता पार्टी ने राज सम्हाला है, यूनिवर्सिटी के सब वाइस चान्सलर को हटा दिया है और हटाने के बाद वहां पर वे अपनी राजनीति को घुसेड़ने के लिये...

श्री बाऊलाल जोशी : राजनीति घुसेड़ी नहीं है। वे तो स्वयम् चले गये हैं, हटाया नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। Please cut short your debate.

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, इससे...

श्री सभापति : एक बात कहना चाहता हूं। आप उनसे क्या चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह चाहता हूं..

श्री सभापति : Please sit down.

प्रवर समिति को क्यों सुपुर्द करना चाहते हैं ? क्यों चाहते हैं, यह सदन को बतलाइये।

श्री मूलचन्द डागा : जो सभापतिजी ने हुक्म दिया है उसका अक्षरशः पालन करूंगा। मेरा यह कर्तव्य हो जाता है। जब आप आसन पर होते हैं तो मेरे मन में कर्तव्य की भावना उत्पन्न हो जाती है।

इसको क्यों सुपुर्द किया जाय प्रवर समिति के ? क्योंकि मैं मनोहरबिहारी मेहता साहब से प्रेरणा लेता हूं जो स्वयम् यह कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में राजनीति को नापाक कदम न रखने दिये जायं। क्या घोषणा की है ? उन्होंने क्या किया ? 21 मेम्बर की सिन्डीकेट मुकर्रर कर दी। 21 मेम्बर सिन्डीकेट में हैं, उसके कम्पोजिशन को आप देखिये। जहां 6 मेम्बर आते थे, कुल 8 या 9 मेम्बर होते थे वहां पर 21 मेम्बर हैं। और स्टूडेन्ट्स ? कौनसे स्टूडेन्ट्स ? जो दादा हों। जो हिंसा में विश्वास करते हों। अभी मेरे पहले बोलने वाले सम्माननीय सदस्य ने कहा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कम्पोजिशन का जिक्र कर रहा हूं। बड़ी कृपा होगी।

श्री नवनीत पालीवाल : 'दादा' की परिभाषा जानना चाहता हूं। आपके साथ बहुत रहते हैं दादा।

श्री मूलचन्द डागा : ये आपके सिन्डीकेट में घुसे हैं। आपने हुक्म दिया है, कल भाषण हुआ आपका, जब उदयपुर यूनिवर्सिटी बिल पर बोल रहे थे तब आपने कहा था कि भ्रष्टाचार के बारे में जांच कराऊंगा। आप

(श्री मूलचन्द डागा)
भी सिन्डीकेट के मेम्बर रहे हैं, राजस्थान युनिवर्सिटी में मेम्बर रहे हैं, आपके कारण से 50 लाख का घाटा हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Please ! क्लाज बाई क्लाज़ आये तब आप कह सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्लाज बाई क्लाज के वक्त आप अलाउ नहीं करेंगे।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप दो घंटे बाद उठ जावेंगे और मैं वंचित हो जाऊंगा। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं।

कौन कौन होंगे? आपने कहा, 3 टीचर्स। अब आपने अमेण्डमेन्ट किया है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, कौनसे टीचर्स? मैंने कई बार इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और आपकी भावना भी मैं यह समझ सकता हूं कि इस प्रकार के बिल को अगर प्रवर समिति को भेज दिया जाता तो, श्रीमन्, इसमें यह सुझाव आता कि कोडीफाइड एक लॉ हो, लॉ बन जाता कोडीफाइड, उसमें यह होता कि टीचर्स कैसे होने चाहिये। लेकिन इसमें अल्प संख्यकों का कोई मेम्बर नहीं है। कोई माइनोरिटी का सवाल नहीं। आप कहते हैं कि हम उनके हितों की रक्षा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : पहले था क्या?

श्री मूलचन्द डागा : कोई लेडी मेम्बर नहीं है। अल्प संख्यकों का कोई मेम्बर नहीं है। आज जनता सरकार बराबर कहती है शिड्यूल्ड कास्ट्स को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन कोई मेम्बर नहीं है। गर्दन बड़ी नीची हो जाती है। यह कैसी सिन्डीकेट है जिस सिन्डीकेट में अल्प संख्यकों का रिप्रेजेन्टेटिव नहीं, लेडीज का रिप्रेजेन्टेटिव नहीं। सब लेडीज के चेहरों पर उदासी नजर आ रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

माननीय श्री बजरंगलाल।

श्री मूलचन्द डागा : साहब, इसमें रिप्रेजेन्टेशन है....

श्री सभापति : I have already given you 12 minutes, Please help me.

श्री मूलचन्द डागा : चार मिनट।

श्री सभापति : Please help me. आप बैठिये।

[श्री मूलचन्द डागा का संशोधन प्रस्ताव : "राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 15 सितम्बर तक प्रस्तुत करे"]

श्री बजरंगलाल (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय सभापतिजी, जो विधेयक हमारी सरकार की ओर से इस सदन के सामने आया है, मैंने उस पर विचार कर उसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। "राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।"

यह विरोध की दृष्टि से नहीं किया है बल्कि इस भावना के आधार पर किया है कि किसी विश्वविद्यालय पर विचार हो तो गहराई से होना चाहिये। इसको लाने में जल्दी बरती गई। जिन बातों की तरफ गहराई से ध्यान देना चाहिये था उनकी तरफ ध्यान देने का टाइम शिक्षा मन्त्री जी को नहीं मिल पाया। यहां, घर, दफ्तर, सेक्रेटेरियट में जनता की कठिनाइयों को सुनने के कारण उनको इतना समय नहीं मिल पाया कि इस पर वे विचार कर सकते। इसलिये मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि थोड़ी गहराई के साथ बुनियादी सवालों पर विचार कर लिया जाय और इसके लिए थोड़ा समय दे दिया जाय व इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के, एफिलियेटेड कालेजेज के और दूसरी जगहों के प्रोफेसर्स से मेरी बात हुई है। उन सबने कहा यदि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं विश्वविद्यालय के विषय में चाहे वह सिन्डीकेट के कम्पोजिशन का प्रश्न हो, यूनिवर्सिटी की सेवा में लगे हुए अधिकारियों आदि के विषय में हो, तो उनकी क्या स्थिति होगी। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श लिया। मैं नहीं जानता कि भारतवर्ष में कहीं ऐसी व्यवस्था है जैसी कि निश्चित रूप से ब्रिटेन में व्यवस्था है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से हम प्रेरणा लेते हैं, वहां यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर डीन आदि से विचार विनिमय ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर किया जाता है। इसलिये इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाता है तो वहां इस पर विचार करने का अवसर मिलेगा और उसकी राय जानी जा सकेगी। बुनियादी बातों पर उसकी राय लेने के बाद ही सही निर्णय लिया जा सकता है।

यह बिल लाया गया है इसके उद्देश्यों में बात कही गयी है। मोटी बात यह कही गयी है कि पब्लिक में क्रिटिसिज्म हुआ है और सरकार को शिकायतें मिली हैं। यदि यही कुल मिलाकर इसकी बुनियाद है तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ इमर्जेन्सी के दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री गोविन्द चन्द्र पाण्डे के काल में कुछ शर्तें हुईं जिनके कारण उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। जब कि पांच वर्ष का कार्यकाल वाइस चांसलर का है, यह टर्म पांच वाइस चांसलर में से किसी ने भी पूरी नहीं की। सिन्डीकेट का वही स्वरूप था जो इस बिल के द्वारा लौटाया जा रहा है।

इस विश्वविद्यालय में लगातार पांच वाइस चांसलर रहे जो कि मामूली लोग नहीं थे, बहुत गैर मामूली लोग थे। प्रोफेसर एम.वी. माथुर, प्रोफेसर पी.एल. भटनागर, प्रोफेसर ए.वी. लाल, प्रोफेसर आर.सी. महरोत्रा और आर.पी. पाधी—इनमें से कोई भी अपनी टर्म पूरा नहीं कर पाया। तो इसके लिए दोष इमर्जेन्सी को दें तो यह उनके साथ सच्चाई और ईमानदारी का बर्ताव नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में लगातार पांच वाइस चान्सलर अपनी टर्म पूरा नहीं कर पाये तो दोष कहीं और है। पर्टीकुलर समय का दोष है और दोष है इलेक्टिव एलीमेंट्स

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

का। मैं पाण्डे जी की वकालत नहीं कर रहा हूं और वकालत करना भी नहीं चाहता हूं लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी के दौरान उस आदमी को कहा गया कि तुम आनन्दमार्गी हो। यह कह कर उसको मुट्ठी में बांध लिया गया और चाहे जैसे नचाया गया। उसके बाद यह कहा कि इमर्जेन्सी में बहुत ज्यादतियां की हैं। तो यह सब बातें देखनी चाहिये जिसके कारण यूनिवर्सिटी में लगातार गड़बड़ियां रही हैं और प्रशासन ठीक तरह से चल नहीं पाया है।

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान और माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में यह काफी कहा गया कि विश्वविद्यालयों में राजनीति नहीं लानी चाहिये। विश्वविद्यालयों में राजनीति कहां से आई? यह मैं आपको बताऊं कि सिन्डीकेट कान्स्टीट्यूट हुई और जब इलेक्टिव एलीमेंट इन यूनिवर्सिटीज में इन्ट्रोड्यूज हुआ उस समय से यह राजनीति आई और सारा प्रशासन बिगड़ा। 1974 में सिन्डीकेट की मीटिंग के बाहर प्रदर्शन होते रहे, मांगों के बारे में नारे लगाते रहे। इस तरह से इलेक्टिव बाडी से अपनी बातों को मनवाते रहे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि विश्वविद्यालय में राजनीति पालिटिकल पार्टीज के जाने से नहीं आई बल्कि राजनीति आई है सिन्डीकेट के कम्पोजिशन के स्वरूप से।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जुलाई, 1975 में यह बिल लाया गया कम्पोजिशन आफ सिन्डीकेट के बदलने का, उस समय श्री गुमानमल जी लोढ़ा यहां विरोधी पक्ष के उप-नेता थे उन्होंने यह कहा था कि इस बिल को लाने की आवश्यकता आपातकाल स्थिति के कारण नहीं हुई बल्कि उन घटनाओं के कारण हुई जो कि इलेक्टिव एलीमेंट के इन्ट्रोडक्शन के बाद की हैं। इसके कारण यूनिवर्सिटी में 40 लाख का घाटा रहा। कहां है घाटा, उसका संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपके सामने रखता हूं। एक मौका आया जब बंगला देश से लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के समय में इस सदन के एक माननीय सदस्य, जो सिन्डीकेट के भी मेम्बर थे, ने कहा कि बच्चों के नम्बर बढ़ा दो क्योंकि लड़ाई थी। उस समय डाक्टर राजकृष्ण, जो कि फाइनेन्स कमीशन के भी मेम्बर थे, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने तत्कालीन एजूकेशन कमिश्नर से कहा कि पेपर हम सेट करते हैं और रिजल्ट सेक्रेटेरियट निकालता है। जहां भी यह इलेक्टिव बाडी जायेगी वहीं अधिक लोगों को खुश करना चाहेगी और शिक्षा का क्या स्तर रहेगा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर: इलेक्टेड लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या?

श्री बजरंगलाल शर्मा: इलेक्टेड मेम्बर्स की यह जिम्मेदारी होती है, राज्य चलावें। लेकिन यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव एलीमेन्ट इस ढंग से इन्ट्रोड्यूज किया जाये तो जैसा अभी माननीय डागा जी कह रहे थे कि जो यहां वाइस चान्सलर थे उन्होंने 1969 में यहां कन्वोकेशन को एड्रेस किया था तब यह बात कही थी। मैं आपको निवेदन करूं कि शायद दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां इलेक्टिव एलीमेन्ट को इन्ट्रोड्यूज

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

किया गया हो और उनको लगातार एक्सटेण्ड किया जाता रहा हो। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी का एजूकेशन का स्टेन्डर्ड ऊंचा हो, जिसमें बढ़िया प्रोफेसर्स हों उसमें जिस प्रकार की व्यवस्थायें हैं उस तरह की व्यवस्था हमारे यहां विश्वविद्यालय में की जानी चाहिए, यह मेरा निवेदन करना है।

जो कुछ हो रहा है मैं उसके बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस बिल के जरिये यह कहा गया है कि सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई। अगर आज मैं किसी बात पर 20 हजार अर्जियां भिजवा दूं तो क्या कोई व्यक्ति, जो अपना विवेक रखता हो, यह जानने की चेष्टा नहीं करेगा कि यह शिकायत वाजब है या गैर-वाजब है? इसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा गया है कि शिकायतें आई हैं, यह कहीं नहीं कहा गया है कि शिकायतें वाजब हैं और उनका निराकरण करना जरूरी है। बिना शिकायतों की जांच पड़ताल किये जो शिकायतें आई हैं और जो क्रिटिसिज्म हुआ है उस पर ही कार्यवाही शुरू कर दी। यह मालूम करने की कोशिश नहीं की कि यह शिकायतें जायज हैं या नाजायज हैं। जब श्री मोरारजी देसाई ने पार्लियामेंट में मद्य निषेध की बात उठाई तो उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर आया तो उसका बहुत पब्लिक क्रिटिसिज्म हुआ। इसलिए जब कोई राजनेताओं को ऐसा निर्णय लेना होता है जो निर्णय आज किसी को प्रभावित नहीं करता बल्कि आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा तो उन निर्णयों को सोच समझकर लेना चाहिए। पब्लिक क्रिटिसिज्म यदि टैम्प्रेरी हो तो उसको ध्यान में रख कर ऐसी बातों पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर यूनिवर्सिटी का बिल आया, जोधपुर यूनिवर्सिटी का बिल आया और मैं नहीं बोला। इसके बारे में समय इसलिए मांग रहा हूं कि क्योंकि यहां के जो अनेक लोग इसके कान्टेक्ट में हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और दूसरे लोग हैं उनसे सम्पर्क करके मैं यहां बातें कह रहा हूं। मैं ईमानदारी से यह अपना कर्तव्य समझता हूं और उन्हीं बातों को सदन में रख रहा हूं। मुझे थोड़ा समय और दिया जाये।

सभापति महोदय, इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया कि सिन्डीकेट और वाइस चान्सलर के स्टेन्डर्ड को कर्ब करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। इसका आखिर कारण क्या है कि सिन्डीकेट इतनी आर्बीट्रेरी हो जाती है। यदि आप इसका बारीकी के साथ अध्ययन करें तो यूनिवर्सिटीज में पांच बाडीज प्रमुख होती हैं— सीनेट, सिन्डीकेट, एकेडेमिक कौंसिल, गवर्निंग कौंसिल और बोर्ड आफ स्टडीज। हमारे यहां यूनिवर्सिटी में सिन्डीकेट क्वाइट इन्डिपेन्डेन्ट है इन्टर-डिपेन्डेन्ट नहीं है। यह व्यवस्था हमारे यहां की यूनिवर्सिटी में है। इससे यहां के वाइस चान्सलर को कोई आर्बीट्रेरी काम करने

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

का मौका नहीं मिलेगा। इस बिल में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की गयी। सब बातों के लिए यूनिवर्सिटी का पूरा प्रशासन सिर्फ एक बाडी के हाथ में दे दिया जाये, जो कि टैक्निकल मैटर्स हैं वह उन कुछ लोगों के, जो कि इलेक्टिव एलीमेन्ट है, हाथ में दे दिया जाये तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का वातावरण ठीक नहीं रहेगा। डाक्टर राजकृष्ण, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, बड़े एमीनेन्ट इकानामिस्ट हैं, आर.सी. महरोत्रा हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर हैं और दूसरे इकानामिस्ट्स, प्लानर्स और दूसरी तरह के विद्वान लोग हैं जो यहां थे। जब से इलेक्टिव एलीमेन्ट इस विश्वविद्यालय में आया है, तब से शिक्षा का क्या स्तर रह गया है। हालत यह है कि लोगों के नम्बर बढ़ाकर पास किया जाता है।

मैं इसके आपको कुछ उदाहरण पेश करता हूं, उन पर आप विचार कीजिए। रीवेलुएशन का सिस्टम है। एल एल.बी. में 2 साल में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया और लोगों को पास किया सिर्फ इसलिए कि एजीटेशन हुआ। यहां ज्योग्राफी के मार्क्स एक साल के बाद बढ़ाये गये और लड़कों को पास किया गया। ज्योग्राफियां के प्रेक्टिकल में दो साल के बाद नम्बर बढ़ाये गये और पास किये गये। शिक्षा आगे, भविष्य के लिए लोगों को तैयार करती है इसलिये बुनियादी चीजों को इस तरह कमजोर करते हैं तो आप स्वयं सोचिये कि शिक्षा का क्या होगा? यह सिर्फ इलेक्टिव एलीमेन्ट के कारण हुआ। अगर ऐसा होता है तो शिक्षा का स्तर नीचे गिरेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर विषय पर विचार करने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी यदि थोड़ा समय और लें और इन विषयों में जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय और लें, जो वर्षों से शोध कार्य कर रहे हैं उनकी भी राय लें तो बढ़िया बिल दे सकेंगे जिसमें किसी तरह की कोई गलती रहने की सम्भावना नहीं होगी। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि "राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।" ताकि इस सम्बन्ध में दूसरों से बात करके अच्छा बिल लाया जा सके है।...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दो बातें ही कहूंगा।

श्री सभापति : मुझे यह निवेदन करना है कि आपने 12 मिनट ले लिए। बोलने वाले माननीय सदस्य बहुत हैं। फिर इस तरह से जो कार्यसूची है उसके अनुसार कार्य नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री जी मान लें तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! Let me say. He can speak anything Please help me.

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, यह जो रोटेशन आफ हैडशिप है इसमें मनोनीत प्रोफेसर होते हैं वे लेक्चरार्स के नीचे काम करना पसन्द नहीं करते हैं। धीरे-धीरे काफी लोग बाहर चले जा रहे हैं। इस

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

प्रकार टेलेन्ट को बाहर भेज रहे हैं। इससे एकेडेमिक लीडरशिप खत्म हो रही है। यह जो रोटेशन आफ हैडशिप का सिस्टम है उसके लिये शिक्षा मंत्री को इस तरह का बिल ला करके विचार करना चाहिये।

एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Please; I am helpless.

श्री बजरंगलाल शर्मा : Thank you very much.

श्री सभापति : माननीय श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

माननीया श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्व-विद्यालय विधेयक, 1977 आज हमारे विचाराधीन है। शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक लोकतंत्र और मानव जीवन की स्थापना करना है। यह जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, ये मां सरस्वती की साधना और ज्ञान अर्जन के स्थान हैं। यहां किसी एक व्यक्ति की मनमानी और आपाधापी नहीं होनी चाहिये। इस बात को स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने भी इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट तौर से स्वीकार किया है। उन्होंने माना है इस बात को कि यह विधेयक उन्हें इस वजह से सदन में लाना पड़ रहा है, सिण्डीकेट की पुनः रचना के बारे में उन्हें इसलिये बाध्य होना पड़ रहा है कि जनता में, शिक्षकों में, विद्यार्थियों में, विधान सभा में और सब जगह राजस्थान विश्व विद्यालय के कार्य कलाप, राजस्थान के उप कुलपति बहुत चर्चा के विषय रहे हैं। न केवल राजस्थान की विधान सभा में चर्चा हुई है बल्कि राजस्थान में और बाहर भी हुई है। काफी विवादास्पद बातें रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने बहुत कुछ सुना होगा लेकिन उन सब बातों की यहां पर चर्चा करना मैं यूं आवश्यक समझ रही हूं कि सिन्डीकेट की जो पुनः रचना आप करने जा रहे हैं, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने पिछले वाइस चांसलर के कारनामे सुने होंगे। मेरे से पूर्व वक्ता ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान फिर इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि क्या कारण है कि केवल एक व्यक्ति पर दोषारोपण कर दिया जाये। हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि यह केवल भूतपूर्व वाइस चांसलर के साथ ही नहीं हुआ है, राजस्थान विश्व विद्यालय में जो कोई भी वाइस चांसलर आये हैं, वैसे तो सारे विश्व-विद्यालयों में हुआ है, लेकिन हम केवल चर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय की कर रहे हैं इसलिये जो भी वाइस चांसलर आये हैं, कोई भी सफल होकर के और कोई भी अपना कार्यकाल समाप्त करके यहां से नहीं गये। सब असफल रहकर गये हैं। आखिर इसकी क्या वजह है ? एक आदमी असफल हो सकता है, दो आदमी असफल हो सकते हैं लेकिन यहां तो जितने आये, सारे वाइस चांसलर एक ही तरीके से असफल होकर, बदनाम होकर और जो स्वाभिमान से काम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करना चाहते हैं वे बीच में ही खुद इस्तीफा देकर चले गये, या परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। इस बारे में आप सोचें। बहुत जल्दी आप यह विधेयक ले आये। मैंने जैसा जोधपुर यूनिवर्सिटी की चर्चा करते समय कहा था, यह हिन्दुस्तान की आने वाली पीढ़ी का सवाल है। लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन जब आने वाले करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी बात है जिसके कारण इतने महत्वपूर्ण सवाल को हमने शीघ्रता के अन्दर खड़ा किया ? क्या आपत्ति है अगर प्रवर समिति को यह विधेयक सुपुर्द कर दिया जाये और उसमें विचार करें कि लोकतांत्रिक स्वरूप इस सिन्डीकेट का क्या हो। शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें क्या कोई परिवर्तन करना आवश्यक है ? जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालयों की बात और है, राजस्थान विश्वविद्यालय राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है इसलिये कि वह राजधानी में स्थित है, इसलिये कि वह सबसे बड़ा है, इसलिये कि उसकी सिन्डीकेट में सबसे अधिक व्यक्ति होंगे। लेकिन इसमें क्या अन्तर किया है ? केवल इतना ही अन्तर दिया है कि पूर्व की सिन्डीकेट में वाइस चांसलर दो व्यक्ति और ज्यादा नामीनेट करते थे इस बार दो कम नामीनेट कर पायेंगे। मैं आज भी माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि 21 की जो सिण्डीकेट है, कुल 21 सदस्यों की उसमें से 9 सदस्य अभी भी माननीय उपकुलपति के नोमीनी होंगे। जो आपका कोरम है वह कोरम पूरा करने के बाद में आप क्यों नहीं मानते कि वह जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व में किया है। हालांकि अब उन बातों को दोहराने की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी, राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति डाक्टर जी. सी. पांडे ने केवल वाइस चांसलर के पद से इस्तीफा दिया है, सिण्डीकेट में तो वे फिर भी बैठेंगे। जो आपका नया कानून है उसके मुताबिक भी बैठेंगे। इस सदन के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय की व्यापक पैमाने पर धांधली की, असंवैधानिक कार्यों की, पक्षपातपूर्ण रवैये की और स्वजन हित के हेतु किए हुए कार्यों की काफी चर्चा और आलोचना की गई है, वे आपके नोटिस में नहीं हो तो मैं इतना ही ध्यान में ला देना चाहती हूं कि पिछली बार जब विण्टर वैकेशन्स हो रहे थे, 23 दिसम्बर, 1976 को बिना विज्ञापन निकाले।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी इस बात का समापन करके समाप्त कर रही हूं।

बिना विज्ञापन निकाले, बिना प्रार्थना-पत्र दिए, बिना, जिसे कहना चाहिए, साक्षात्कार किए और बिना चयन किए अपाइन्टमेंट किये गये। मतलब चार महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि किसी को भी अपोइन्टमेंट देने के लिए जरूरी होती हैं--विज्ञापन, आवेदन, साक्षात्कार और चयन। ये चार प्रक्रियाएं हैं जिनमें से होकर किसी भी अपोइन्टमेंट लेने वाले को गुजरना पड़ता है। न विज्ञापन किया गया, न आवेदन लिया गया, न साक्षात्कार हुआ और न चयन हुआ, फिर भी अपोइन्ट-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मेंट हो गया। जवाब इसका क्या है? जवाब यह है कि प्रतिभावान स्टूडेंट थी, यू. जी. सी. की। जिसे कहना चाहिए शोध छात्रा थी और इसलिए यू. जी. सी. की छात्रवृत्ति मिलती थी। प्रतिभावान, अत्यन्त प्रतिभावान और बहुत प्रतिभावान होने के कारण इन चारों ही प्रक्रियाओं को तिलांजलि देकर उसका अपोइन्टमेन्ट कर दिया है। एक नहीं अनेक इस राजस्थान विश्वविद्यालय में असंवैधानिक, मनमाने और जिसे कहना चाहिए, अपने लोगों को फायदा देने के काम हुए। मैं विषयान्तर बोलने की आदी नहीं हूं, यह केवल सिण्डीकेट की पुन: रचना का बिल है, इसलिए मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहती। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मां सरस्वती के मंदिर में साधना और त्याग को भुला कर किसी भी व्यक्ति को मनमानी नहीं करने दी जानी चाहिए। मैं निवेदन कर रही थी, माननीय सभापति महोदय, किसी भी व्यक्ति को इतनी ओटोनोमी देकर कहने को तो ओटोनोमी एक्सरसाइज बोडी करती है, उससे आप क्या चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, क्यों इतनी छूट देना चाहते हैं सब तरह के काम करने की? यह जो आपकी मौजूदा सिण्डीकेट है क्या वह इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगी जिन उद्देश्यों के लिए हम इन यूनिवर्सिटीज को चलाना चाहते हैं? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक नहीं अनेक बातें हैं।

श्री सभापति : दस मिनट हो गए, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, चूंकि मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिए अधिक नहीं कहकर इतना ही कहना चाहती हूं कि यह तो इन सब बातों में, सौ बातों में से एक बात है। सौ बातों में से एक बात है जो उनको पुत्री से सम्बन्धित थी इसलिए यह बात मैंने यहां पर रख दी जो कि सरासर मनमानी है, आपाधापी है, असंवैधानिक है, इल्लीगल है। इस तरह की अनेकों बातें मैं कह सकती हूं. लेकिन चूंकि माननीय सभापति महोदय का आदेश नहीं है इसलिए यही निवेदन करूंगी कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र की सफलता इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस मामले में, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इतनी शीघ्रता, इतनी ताबड़तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है: "राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे" प्रवर समिति में सबसे सलाह मशवरा हो, कैसे सिण्डीकेट को पुन: रचना की जाय, इसका लोकतांत्रिक स्वरूप किस तरह से आ सके और शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर हमारे मानवीय और शैक्षणिक, लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना किस प्रकार कर सकें, उनके बारे में विचार हो सके।

श्री सभापति : This will do. माननीय श्री विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभापतिजी, यह जो तीसरा बिल यूनिवर्सिटी संशोधन बिल माननीय शिक्षा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मंत्रीजी ने सदन के समक्ष विचारार्थ पेश किया है, इसको मैंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का निम्न प्रस्ताव रखा है।

"राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय। जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

माननीय सभापतिजी, जोधपुर विश्वविद्यालय के बिल के समय भी मैंने प्रस्ताव रखा था, उदयपुर विश्वविद्यालय के समय भी प्रस्ताव रखा था और तीसरा यह बिल राजस्थान विश्वविद्यालय का आया है। इस बारे में हमने इस तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। माननीय मथुरादासजी साहब के एक संशोधन को तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया किन्तु बाकी सारे माननीय सदस्यों के संशोधनों को मंजूर नहीं किया। तो, सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी भी पहली बार यह बिल पायलट कर रहे हैं इसलिए उनके सामने भी दुविधा पैदा हो जाती है, हालांकि मन में जरूर महसूस करते हैं, विचार भी हो जाता है किन्तु क्या कोम्पलीकेशन्स होंगे, कोई अमेंडमेंट मंजूर कर लें तो वापस कौंसीक्वेंशल अमेंडमेंट क्या हों, यह मालूम नहीं रहता है इसलिए हम सदन में बैठकर अमेंडमेंट मंजूर करना बहुत कठिन होता है। सभापतिजी, आज मुख्य मंत्री जी भी दिल्ली गए हुए हैं। उनके पीछे से कोई महत्वपूर्ण सुझाव आयें और उनको मंजूर कर लें तो दूसरी बात है, बाकी तो दो दिन में टस से मस नहीं हुये हैं।

सभापतिजी, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में पहले भी बहुत सी बातें हुई हैं। यह बहुत बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है। इससे बहुत से एफिलियेटेड कालेज राजस्थान के हैं। तो जिस तरह से रिजल्ट की समस्या रही, समय पर एग्जामिनेशन नहीं हुये, लोगों को एडमीशन नहीं मिला, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमीशन की समस्या है, इस तरह के बहुत मामले हैं। परन्तु यह बिल सिण्डीकेट के री-कांस्टीट्यूशन की समस्या से सम्बन्धित ही है। इसके स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह बताया गया है कि इमर्जेन्सी में सिण्डीकेट के कुछ मेम्बरों को कट कर के बहुत छोटी बना दी, कठपुतली सिण्डीकेट बना दी वाइस चांसलर ने उनके कहने की मंशा यह है कि इमीजियेटली उनके सामने मसला यही है कि सिण्डीकेट को वापस उसी तरह से ओरिजिनल फार्म में लाया जाय तो इससे इस यूनिवर्सिटी का प्रशासन सुधरेगा। अब कितना प्रशासन सुधरेगा यह तो माननीय मंत्रीजी को साल भर के बाद ही मालूम पड़ेगा। सभापतिजी, आपातकाल में आर्डिनेन्स के जरिये, बिल के जरिये यह जो यूनिवर्सिटी की सिण्डीकेट है इसको छोटा बना दिया और इसमें से बहुत से मेम्बर्स को हटा दिया। आपातकाल में इस यूनिवर्सिटी में कितनी धांधलेबाजी हुई, कितने घोटाले हुए, कितने अपोइन्टमेंट गलत हुये, कितनी प्रशासन में गड़बड़ी हुई, कितने यूनिवर्सिटी के मुकदमें हुए, यह बतायें। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यह जो संशोधन आप लाना चाहते हैं, इसके पहले छोटी सिण्डीकेट बना दी गई तो उसके दौरान यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

घोटाले हुए ? सिण्डीकेट को वाइस चांसलर की कठपुतली बनाने से इसके प्रशासन का क्या रूप रहा क्या धांधलेबाजी हुई, यह भी मैं जानना चाहूंगा। पिछले दो सालों में यह सिण्डीकेट छोटी बनी, उसके पहले बोडी पूरी थी। पहले की हालत में सिण्डीकेट काम कर रही थी उसी फार्म में आप सिण्डीकेट बनाना चाहते हैं, तो पिछले दो सालों के दौरान जो सिण्डीकेट काम कर रही थी उस समय क्या कोई अनियमितता नहीं हुई ? क्या यूनिवर्सिटी के वर्किंग में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं हुई ? आप इस फार्म में सिण्डीकेट बना देंगे ता क्या यूनिवर्सिटी की सारी समस्याएं हल हो जायेंगी ? कोई दिक्कत नहीं रहेगी ? माननीय मंत्रीजी मुझे इसमें संदेह है। आपने कहा है कि बहुत सी बातें हैं और बजट सेशन में बिल वगैरह लायेंगे। आप भी इसमें सुधार लाना चाहते हैं, यह आपकी मंशा है। आप स्वयं शिक्षा शास्त्री रहे हैं, आप इसमें सुधार लाना चाहते हैं। आपको अवसर मिल चुका है। इन यूनिवर्सिटीज में राजनीति को नहीं घुसने देना चाहते। यह बिल्कुल आपकी नीति है कि यहां का प्रशासन सुचारु रूप से चले, अनुशासन हो, यूनिवर्सिटी में पोलिटिक्स नहीं हो, सुचारु रूप से कार्य चले। यह राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र यूनिवर्सिटी है। जोधपुर यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी है, उदयपुर यूनिवर्सिटी भी छोटी यूनिवर्सिटी है और उदयपुर यूनिवर्सिटी तो एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिवर्सिटी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राजस्थान की उच्च शिक्षा देने की है वह इसी यूनिवर्सिटी की है। इस यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास भी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बिल लाये हैं लेकिन सिण्डीकेट को बनाकर इस यूनिवर्सिटी का सारा प्रशासन सुधार सकें, इसमें मुझे शंका है। बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इधर से भी हम सुझाव दे रहे हैं। बजट सत्र 20-25 दिन में आने वाला है ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका इस सिण्डीकेट के नहीं होने से प्रलय हो जायगा ? ऐसी बात नहीं है। यदि आप कोई और दूसरे स्टेप्स लेना चाहते हैं तो उस पर आप विचार करें। बहुत से विचार अब आपके दिमाग में आ गए होंगे और अपना मानस भी बना लिया होगा कि मुझे ये-ये संशोधन करने हैं। यूनिवर्सिटी का सुधार करना है तो यह मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिये। फिर आपको अपने मन के अनुसार जो सुधार करना है वह करिये। आपकी मर्जी के माफिक वह प्रवर समिति बन जाय। इसमें जो दूसरे संशोधन लाने हैं वे भी साथ ही लायें। इस सिण्डीकेट के साथ जो दूसरे संशोधन हैं आपके दिमाग में वह भी ले आयें ताकि इसका प्रशासन अच्छा चले। राजस्थान के रहने वाले काफी अनुभवी हैं और एजूकेशनिस्ट हैं। यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जो पूर्व की शिकायतें हैं वह भी दूर हो जायें तब तो इस संशोधन की इच्छा पूरी होगी वरना जो आप अभी अमेन्डमेंट ला रहे हैं, इतना सा मामूली संशोधन करके इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो अलग बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इतने में ही सन्तोष कर लेना चाहें तो अलग बात है। वास्तव में आप यह मंजूर कर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
चुके हैं कि इसकी हालत को सुधारना है। तो मेरा संशोधन प्रस्ताव मंजूर कर के इसको हालत को सुधारिये।

सभापति जी, बार बार संशोधन लाने से क्या फायदा ? इस सिण्डीकेट के फार्मेशन के बाद जो आपातकाल में गड़बड़ियां हुई हैं, उनको रोक कर इसका सारा प्रशासन अच्छा हो जायगा, मैं इसे नहीं मान सकता हूं। सभापति जी, मैं यह आश्वासन चाहूंगा आप जब जवाब दें तब बता दें ताकि हमें सन्तोष हो सके।

मेरा निवेदन यह भी है कि अभी जन प्रतिनिधियों को सोचने का समय बहुत कम मिला है। नोमिनेशन वाइस चान्सलर द्वारा भी होता है और गवर्नमेंट के द्वारा भी नोमीनेशन होता है। तो, माननीय सभापति जी, मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को आग्रह करूंगा कि जो मेरा प्रस्ताव है इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का उसे अभी आप स्वीकार कर लें और इस विधेयक को पूरी तैयारी के साथ बजट सत्र में लायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मथुरा दास माथुर।

श्री मथुरा दास माथुर (डीडवाना) : सभापति जी, यह हमारे राजस्थान की सर्वप्रथम और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। देश की जानी मानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का विकास देखकर हमें गर्व है। अब शिक्षा मन्त्री जी इस यूनिवर्सिटी को और ठीक करना चाहते हैं। उनकी इस चिन्ता को देखकर हमें खुशी है कि वे अपना दिमाग लगा रहे हैं। इस विधेयक में, सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट के स्ट्रक्चर को बदलने का प्रावधान है। तीन सिन्डीकेट की तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक इमर्जेन्सी के पहले की, एक इमर्जेन्सी के दौरान की और अब तीसरी तस्वीर जो आप पेश कर रहे हैं वह है। अगर तीनों सिन्डीकेट को देखें तो इमर्जेन्सी के पहले जो सिन्डीकेट थी उस सिन्डीकेट में छोटी-मोटी तब्दीली के अलावा कुछ नहीं है। इलेक्टेड रिप्रजेण्टेटिव स्टूडेन्ट्स का और टीचर्स का होगा और कुछ बाहर के लोग उसमें बदले गये हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के बेसिक स्ट्रक्चर में प्री-इमर्जेन्सी और पोस्ट इमर्जेन्सी में कोई अन्तर नहीं है। अगर प्री-इमर्जेन्सी सिन्डीकेट में कोई फर्क नहीं तो, शिक्षा मंत्री जी, प्री इमर्जेन्सी की जो हालत थी, क्या उससे आपको सन्तोष है ? मुझे कतई सन्तोष नहीं है। उसमें ज्यादा पक्षपात था, उसमें ज्यादा फेवरिटिज्म था। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री बजरंग लाल जी ने काफी मिसालें यहां पेश की हैं। मैं भी 10–12 मिसालें पेश कर सकता हूं। उन्होंने एग्जामिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बातें कही हैं और मैं फाइनेन्स की बात कहता हूं। इस यूनिवर्सिटी ने 35 लाख का डेफिसिट दिया था। 150 केसेज में गवर्नमेंट के हुक्म के खिलाफ आदेश दिये गये थे। कई एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की ग्रेड्स में और अलाउन्सेज में बढ़ोतरी की थी जब कि गवर्नमेंट ने कहा था

68

(श्री मथुरादास माथुर)

मत करो। राजस्थान के वित्त मंत्री होने के नाते उस समय मैंने भी यही कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राफिसर्स के ग्रेड वही होने चाहिये जो सरकार के हैं। मगर बावजूद उसके सिन्डीकेट ग्रेड्स बदल दिये थे। आज हमारी यूनिवर्सिटियों में भी वही काम हैं जो हमारा एक यू. डी. सी. करता है। हमारे यहां जो आफिसर करता है वहीं वहां वह आफिसर करता है लेकिन उसके अलाउन्सेज और ग्रेड्स हमारे यहां से भिन्न हैं। यूनिवर्सिटी की कोई लिमिट नहीं है। हमारे भारत सरकार में लिमिट है मगर यहां कोई लिमिट ही नहीं है।

इसके अलावा मेडिकल रि-एम्बर्समेंट के फाल्स केसेज बने, उनको सिन्डीकेट दबा कर बैठ गई और आज तक फैसला नहीं किया। ये कुछ चन्द बातें मैंने इसलिये रखी हैं आपके सामने कि इस यूनिवर्सिटी की जो आप अभी तस्वीर बना रहे हैं इससे मिलती जुलती पहले भी थी। हमारी माननीय सदस्या ने एक लफ्ज काम में लिया है कि उसमें किस तरह की आपा-धापी होती थी। उसकी पूरी बात को कहने में काफी समय लग जायगा लेकिन अब जो आप तस्वीर बना रहे हैं क्या उससे यह आपाधापी कम हो जायगी ? मेरा निवेदन है, सभापति जी, आप बेसिक चीजों पर जाइये। इस यूनिवर्सिटी के दो विंग हैं-एक टीचिंग विंग है इस यूनिवर्सिटी का और दूसरा विंग है इसका एफीलियेशन का। यह यूनिवर्सिटी खुद पढ़ाई कराती है और इसके 130 या 132, मुझे याद नहीं आप देख लें कितनी एफीलिएटेड संस्थायें हैं, कुछ गवर्नमेंट के कालेज हैं, कुछ प्राइवेट कालेज हैं और कुछ ऐडेड कालेज हैं। जो कुछ प्राइवेट हैं अब उसमें यूनिवर्सिटी क्या करेगी ? और जितने कालेज गवर्नमेंट के हैं उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट देती है। आप तो यूनिवर्सिटी के लिये कानून बना देते हैं उसके बाद कोई काम नहीं। यूनिवर्सिटी इम्तिहान ले लेती है और उसकी फीस ले लेती है। बेसिक स्ट्रक्चर में उस पर कोई सुपरविजन नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि bifurcate the University, make two pieces of the University। राजस्थान यूनिवर्सिटी को आप टीचिंग यूनिवर्सिटी रखिये और बाकी इम्तिहान लेने का जो काम है, इन्सपेक्शन का काम है, वह दूसरी यूनिवर्सिटी करे। राजस्थान सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो एफीलियेटेड हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी से अलग रखा जाये। इस यूनिवर्सिटी को ख्वाह-म-ख्वाह उनसे मत मिलाइये। यह यूनिवर्सिटी जो कुछ बन गई है, जो इसका स्टेन्डर्ड बन गया है, इसमें जो फेकल्टीज हैं, यहां पर जो रिसर्च होता है, इस यूनिवर्सिटी की जो एक्स्ट्रा केरीकुलर एक्टीविटीज हैं, इसको अलग रखने से ये सब डवलप होंगी, यूनिवर्सिटी मार्केट के अन्दर यह एक अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकेगी और जैसा एक महिला सदस्या ने यहां पर कहा, यह सरस्वती का मन्दिर बन जायेगी। मगर यह नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने इसके लिए सोचा ही नहीं है, आपको समय नहीं मिला ? तो मेरा निवेदन है कि यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट को बाइफरकेट कर दीजिये। जो 135 कालेज हैं, डिग्री कालेज हैं, पोस्ट डिग्री कालेज हैं, उनके मास्टर भी इसमें आयेंगे चुन करके और जो ऐडेड इन्स्टीट्यूशन हैं, उनके

(श्री मथुरादास माथुर)
टीचर्स के प्रतिनिधि भी आएंगे। ये सब आकर के राजस्थान यूनिवर्सिटी केम्पस में जो पढ़ाई हो रही है उसमें पंचायती करेंगे। उनको कुछ नहीं मालूम कि यहां पर क्या हो रहा है और इनको यह नहीं मालूम कि वहां पर क्या हो रहा है।...

एक माननीय सदस्य : दोनों एक दूसरे के पक्ष को जान लेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : जानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहां पर यह सवाल है कि उनकी जो प्राब्लम्स हैं, उनको कैसे सुलझाया जाये। यह नहीं हो पाता है तो फिर वहां पर पोलिटिक्स चल जाती है। पोलिटिशियन की पोलिटिक्स और इनकी पोलिटिक्स में बड़ा अन्तर है। उनको तो ख्वाहम-ख्वाह की तनख्वाह घर बैठे मिलती है। वे लोग अपनी पंचायत वहां पर करते हैं। इससे विश्वविद्यालय का स्टेन्डर्ड गिरता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप दो सिन्डीकेट कायम कीजिये। इसमें कोई को-रिलेशन नहीं है। जो दूसरे एलाइड कालेजेज हैं, इन्स्टीट्यूशन हैं, उनकी आप अलग सिन्डीकेट बना दीजिये। यह सब से अच्छा काम रहेगा। यूनिवर्सिटी आप दो नहीं बनाना चाहते हैं तो दो सिन्डीकेट बना दीजिये। एक सिन्डीकेट पढ़ाई कराने के लिए और दूसरी इम्तिहान लेने के लिये, इन्सपेक्शन करने के लिये। हम यह चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से ऐसे स्टूडेन्ट भारत के नागरिक बनें, निकलें, जो अच्छा से अच्छा रिसर्च कर के समाज को दे सकें। यह दूसरा मेरा सुझाव है।

आप बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं। अमेन्डमेंट तो आप मन्जूर नहीं कर सकते किन्तु इन्क्वायरी कराने में बहुत जल्दी काम करते हैं। जब से यह सदन चला है, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि हमारी इस नयी सरकार ने इन्क्वायरी कमीशन की घोषणा न की हो। आप इस मामले में बड़े शेर हैं.....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : डर गीदड़ को हो रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : आपको तो मैंने शेर कहा है। हमें गीदड़ ही रहने दीजिये। कोई न कोई इन्क्वायरी आप बिठा रहे हैं। यहां पर दो यूनिवर्सिटी का मामला आया आपने इन्क्वायरीज बिठा दीं। आप इन्क्वायरी कीजिये, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। पाण्डे साहब को मैं शक्ल से नहीं जानता। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मंत्री महोदय से कि आपने जो यह इन्क्वायरी कराने की घोषणा की है, वह क्या इन्क्वायरी करेगी ? क्या आप इस बात की जांच करेंगे कि कितने वाइस चांसलर अपनी पूरी टर्म खत्म किए बिना ही चले गये ? क्यों चले गये ? इसके लिए कौन जवाबदार है ? यूनिवर्सिटी जवाबदार है ? सिन्डीकेट जवाबदार है ? आज के हालात जवाबदार हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसकी भी आप इन्क्वायरी करवायें। आप इन्क्वायरी करा कर क्या भावना पैदा करना चाहते हैं ? सब में भय पैदा हो गया इन्क्वायरी के नाम से। मौत से बढ़ कर मौत का डर होता है। यह इन्क्वायरी से डर पैदा होता है। एक

(श्री मथुरादास माथुर)

स्टेटमेंट दे दीजिये, इसके लिए एक दिन मुकर्रर कर दीजिये, जो इन्क्वायरी के प्रपोजल्स हैं, उनको एक दिन अनाउन्स कर दीजिये। झगड़ा खतम कीजिये। यूनिवर्सिटी के अन्दर इमर्जेन्सी के पहले और इमर्जेन्सी के दौरान कितने वाइस चांसलर बीच में छोड़ कर चले गये? क्यों एकेडेमिक स्टेन्डर्ड गिर रहा है। क्यों इसमें फेवरिटिज्म, नेपोटिज्म हो रहा है? इसका स्ट्रक्चर क्यों कमजोर हो रहा है? इसकी ठीक वजूहात क्या है? इस चीज की इन्क्वायरी की जरूरत है। व्यक्तियों के निकल जाने के बाद उसकी इन्क्वायरी करायेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेना आपको किसी न किसी को पड़ेगा। नमक की झील में, नमक में जो जाकर मिलता है, वह नमक हो जाता है। इसलिए, सभापति महोदय, यह मैंने कुछ सुझाव यहां पर दिये हैं।

यह बताया गया है कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। यह तो पहले भी हुआ है। जो सिन्डीकेट आप बना रहे हैं, वह उससे भिन्न नहीं है। सदन का समय खराब होगा। आपको फिर अमेन्डमेंट लेकर आना पड़ेगा इसलिये मेरा प्रस्ताव है :

"राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

महरबानी करके इसको सलेक्ट कमेटी में दीजिये। राउन्ड दी टेबल बैठ कर इस पर बात कर लें और उसके बाद जो आपकी मंशा है, वह करें।

श्री मंजूरअली : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : आपकी बारी नहीं है। माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) बिल, 1977 सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इस विषय में कई माननीय सदस्यों के सुझाव इसको प्रवर समिति को भेजने की दृष्टि से आये हैं। जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं और जो बातें उद्देश्य के प्रति कही गई है, वे सब वे ही बातें हैं जिनका प्रत्युत्तर पिछले दो विश्वविद्यालयों के संशोधन विधेयक के समय मुख्य रूप से मैं इस सदन के सम्मुख रख चुका हूं। मैं फिर उनको दोहराना चाहता हूं इन शब्दों में। आवश्यकता यह थी, मुझे भी लगता है, इन विश्वविद्यालयों में, इनकी गतिविधियों के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में विचार करने की दृष्टि से एक बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है। मैंने परसों भी माना था, मैंने कल भी माना था और आज भी मान रहा हूं, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जायेगा। विरोधी पक्ष से आये हुए माननीय सदस्य, और बाकी सदस्य भी शिक्षा की गतिविधि में बहुत अच्छी रुचि लेते हैं। इन सब का सहयोग इन विश्वविद्यालयों के निर्माण और इनके कारण जो समाज खड़ा होने वाला है, उसमें निश्चित रूप से लिये जाने की मन में भावना है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

किन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज भी कह रहा हूं, एक सीमित उद्देश्य को सामने रख कर इसको प्रस्तुत किया है। इसकी आवश्यकता बहुत अधिक, तुरंत है। इसमें किसी प्रकार की देरी करना, विश्वविद्यालय के चलने वाले जो कार्यकलाप हैं, उन कार्यकलापों के अन्दर निश्चित रूप से व्यवधान उत्पन्न करना होगा। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपें या जनमत जानने के लिए परिचालित करें, तो निश्चित रूप से हम विश्वविद्यालय के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यह हमारी बातचीत में आया है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने और हमारे यहां के माननीय सदस्यों ने जो कहा है कि इन कारणों से प्रवर समिति को सौंपने का और जनमत जानने के लिए परिचालित करने का सवाल है, तो उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। कार्य की अविलम्ब आवश्यकता को देखकर इस विधेयक पर अमेण्डमेन्ट देकर जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मेरा निवेदन है कि वह उन्हें वापस ले लें।

इस विश्वविद्यालय के बारे में आज के वाद-विवाद में कुछ मुद्दे भी उठाये गये हैं। मैं उनकी भी कुछ चर्चा करना चाहूंगा। चुनाव प्रक्रिया की चर्चा करते हुए ऐसा कुछ लगता है कुछ माननीय सदस्यों ने भाव प्रकट किये हैं कि चुनाव प्रक्रिया विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से राजनीति का प्रवेश हो जाता है। मेरी समझ में इस प्रक्रिया से कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए। देश में हमें प्रजातन्त्र की परम्पराएं कायम करनी हैं। केवल राजनीति में ही नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमें प्रजातन्त्र की परम्पराएं स्थापित करनी हैं। उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमको स्वतन्त्र हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है। प्रजातन्त्र की परम्पराओं का अभ्यास पड़ते पड़ते ही पड़ता है। राष्ट्रीय चरित्र बहुत बड़ा कारण होता है। इसीलिए यदि कहीं चुनाव हों तो राष्ट्रीय चरित्र की कमी के कारण उनको हम राजनीति में घुसाने की बात करेंगे तो न प्रजातन्त्र के साथ न्याय होगा और न राजनीति के साथ होगा। जिस समय पंचायतों की स्थापना राजस्थान में की गई थी, उस समय और उसके पश्चात् यह चर्चा काफी जोर शोर से हुई थी कि पंचायतों के चुनाव करा के गांव गांव में गुटबन्दी करा दी है। कुछ लोगों ने यह तर्क दिया। हो सकता है तर्क कुछ सही हो, उसमें कुछ वजन हो। किन्तु आप तो प्रजातन्त्रीय परम्परायें कायम करना चाहते हैं, प्रजातन्त्रीय परम्पराएं लाना चाहते हैं और देश में कुछ करना चाहते हैं तो अभ्यास से कमियां दूर होंगी। एजूकेशन से दूर होगी। शनैः-शनैः प्रजातंत्र बढ़ रहा है। सभी इस नाते प्रयत्नशील हों यह अच्छी परम्परा है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसा काल आया, ऐसा लगता था कि ये परम्परायें नष्ट हो जायेंगी। किन्तु जनता तो जनता है जिसने प्रजातन्त्र में बाधा डालने वालों को उठा कर फेंक दिया। यह हमारे सोचने की बात है। कई बार हम राजनीति का प्रवेश मान लेते है तो मैं कहूंगा कि यह सोचने का दृष्टिकोण नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एजूकेशन चाहिए। इसके लिए कर्तव्य की भावना जाग्रत करनी हो तो वह बात सही है। इसको रखने की भावना पैदा करनी होगी। मगर एक बारगी तो यह दृष्टिकोण अच्छा नहीं है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने चुनाव की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के, सिन्डीकेट के कान्स्टीट्यूशन के प्रावधान के बारे में चिन्ता व्यक्त की। जितनी चिन्ता उनको है, उतनी हमको भी है। किन्तु मैं चाहूंगा वह हमको सहयोग दें। सिन्डीकेट की स्थापना करने में वह हमें सहयोग दें तो आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

यह बात सही है, जो डीडवाना से आये हुये माननीय सदस्य श्री मथुरादास माथुर ने सिण्डीकेट के बारे में कही, एक सिण्डीकेट इमर्जेन्सी से पहले थी, एक इमर्जेन्सी में थी और एक जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसके अनुसार होगी। इसमें और पहले वाली में कोई अन्तर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई विशेष अन्तर नहीं है। जैसे जैसे एजूकेशन बढ़ेगी हम प्रजातन्त्र में लोगों को एजूकेट करते जायेंगे। इलेक्टेड लोग सारे के सारे विश्वविद्यालय में रहें, ऐसी मेरे मन की इच्छा है। इस पर 1972 में विचार किया था। 1974 में किया था। उस समय छात्रों का प्रतिनिधित्व था। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का प्रतिनिधित्व था। पहले से चला आ रहा था या पहले से था। उसके अन्दर मूल बाधा खड़ी हो गई इमर्जेन्सी के समय। उसका दुष्परिणाम इमर्जेन्सी में हुआ। मैं भी सिन्डीकेट का मेम्बर था। हो सकता है कि 35 लाख का नुकसान हुआ हो। उस पर चर्चा हो सकती थी। जो बात होती थी वह चौड़े आती थी। उसमें बोलने वाले का प्रयत्न होता था। किन्तु बीच में दो साल आये हैं जिसकी चर्चा की गई है और कहा गया है कि वाइस चान्सलर की इन्क्वायरी करके कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। यही कल चर्चा की गई थी। यह इन्क्वायरी यूनिवर्सिटी प्रफेसर्स के बारे में है। 5 साल की गतिविधियों के बारे में इन्क्वायरी है। वहां के चलाने वालों की जिम्मेदारी नहीं थी। वह नॉमीनेटेड नहीं थे। चलाने वाले कठपुतली थे। इसलिये माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को सौंपने और उस पर जनमत जानने की बात कही है··

श्री मूलचन्द डागा : उसको मान लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजनीति के बारे में लगातार पिछले तीन दिन से कहा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुराना डर लग रहा हो, आने वाले लोग वही नहीं करें। "करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान" मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज एक बात को बार-बार बोलकर सौ बार झूठ बोलकर सच साबित करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि सौ बार झूठ बोलेंगे तो जो जनता सरकार को बनाया है इसके द्वारा वह सच हो जाएगी। इसीलिए सदन के समक्ष यह संशोधन बिल प्रस्तुत है। इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने और इस पर जनमत जानने के बारे में जितनी बातें कही गयी हैं मैं विनम्र शब्दों में माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि वे अपने प्रस्ताव वापिस ले लें ताकि हम अच्छी परम्पराएं चला सकें और चलाकर आगे बढ़ सकें और परिवर्तन हो सके।

मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। जैसा बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य व झुंझुनूं से आने वाली

Page No 73

(73)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय सदस्या ने कहा, यह बात बिल्कुल सच्च है : केवल मात्र उसकी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई, केवल अखबारों में चर्चा नहीं हुई है। जैसा वनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी शिक्षक रहा हूं और लगातार शिक्षकों से संबंध स्थापित होता रहा है, विद्यार्थियों से भी निकट सम्पर्क रहा है, विश्वविद्यालय के सिंडीकेट के सदस्य के नाते भी सम्पर्क रहा है, सामान्य जानकारी के रूप में निवेदन करूं कि मैं जेल में था, अंडर ग्राउण्ड भी मैं रहा, वह दिन भी मुझे याद है, जिस दिन अंडरग्राउण्ड था, वारंट निकला हुआ था फिर भी सिंडीकेट की मीटिंग में गया, उसी दिन घोषणा हुई · · ·

श्री मूलचन्द डागा : अंडर-ग्राउण्ड रहने की आदत कब पड़ी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उस दिन देखा, सारा कायाकल्प हो रहा है सिन्डीकेट का। शिक्षकों के मन में जो बात पैदा हुई, विद्यार्थियों के मन में जो बात पैदा हुई वह दो साल चलती रही। इन दो सालों में जो बातें राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई हैं वे लंबी चौड़ी चर्चा का विषय नहीं हैं। उसकी जानकारी, जानकारी नहीं इन्क्वायरी जब होगी, उसके नतीजे जो आयेंगे। उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं, यह विचार किया गया है कि इन दो साल के समय में जो स्थिति बनी, इस कारण से पिछले 5 वर्षों में लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय की गतिविधियों और उसके अन्दर जो बातें हुई, उन सबकी पूरी पूरी इन्क्वायरी की जाए।

श्री मूलचन्द डागा : सभापतिजी, केवल एक मिनट। एक तरफ आप बार बार कह रहे हैं · · ·

श्री सभापति : बीच में व्यवधान न डालें। Please

श्री मूलचन्द डागा : प्रोविजन है मगर कोई · · ·

श्री सभापति : उनको अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Appointments, promotions, selections, financial irregularities, group politics, favouritism in the working, विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में जो यह बातें हुई हैं, इसी कारण पब्लिक इन्ट्रेस्ट में निश्चय हुआ है कि in the interest of the University an enquiry is to be made into these affairs in order to ascertain the true position, under sub-section (3) of Section 10 of the University of Rajasthan Act, 1946, and hereby appoint Shri Jagat Narain, retired Chief Justice of Rajasthan High Court to hold an enquiry into the following matters connected with the administration and finances of the said University during the last three years.

श्री मूलचन्द डागा : Why not from 1962.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: The terms of reference are:—

1. Appointments, promotions and selections made in the University.

Page No 74

75

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

2 Financial management of the University in general and mis-use of University funds and resources, in particular.

3 Group politics and favouritism in the Univrsity,

4 Irregularities in the matters of admissions.

5 Mis-use of power during the period of emergency be any officer or authority or employee of the University.

6, Arbitrary actions in administrative and academic matters, ignoring the provisions of the Act and Statutes.

7 Any other matter of importance which may come to or is brought to the notice of the enquiring authority.

इस बात का भी निश्चय हुआ है कि 31 अक्टूबर 1977 तक इन्क्वायरिंग आथोरिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा।

सभापति महोदय, मैंने और जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद यह चाहा है कि विश्वविद्यालयों में जो बातें चल रही थीं जिनके कारण शिक्षकों, विद्यार्थियों और जनता के विद्वत वर्ग में भयकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, निश्चित रूप से उसकी सारी जानकारी हो जाए। पिछली बार भी मैंने कहा था कि श्रीमान् पांडे साहब ने इसी प्रकार इस्तीफा दे दिया है, मुझे कुछ नहीं कहना है...

श्री मूलचन्द डागा: दिलवाया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हो सकता है कि इन्क्वायरी के डर के कारण इस्तीफा दे दिया हो...

श्री मूलचन्द डागा : आप लैटर आफ रेजिग्नेशन पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ है। उसे सदन की मेज पर रख दें।

श्री सभापति : That is not before the House,

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्रीजी जो बात कह रहे हैं उसकी सत्यता जानने के लिए मैं नियम 274 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अंत में, सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं...

श्री सभापति : अपील हो गई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लें और बिल पारित करने में सहयोग दें।

श्री मूलचंद डागा : मैं नियम 274 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता था कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे दें।

श्री सभापति : आप क्लेरीफिकेशन मांग लें।

श्री मूलचन्द डागा : कोई इन्क्वायरी कमीशन आपने बिठा दिया, खुशी की बात है। लेकिन इन्क्वायरी होने से पहले मंत्री महोदय यह कहें कि वह दोषी हैं, यह कहां तक सही है ? इन्क्वायरी रिपोर्ट नहीं, एक्यूज्ड को चार्ज

(श्री मूलचन्द डागा)

शीट नहीं और फिर कहा जाय कि दोषी पाया गया है जब कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है कि ऐसा मालूम हुआ।

श्री सभापति : That is not before the House.

श्री गुल मोहम्मद : पाइंट आफ आर्डर। अभी डागा साहब ने कहा है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि वाइस चांसलर पर लांछन लगाया गया है। हजारों रुपए यूनिवर्सिटी के थे, वह उन्होंने बरबाद किए··

श्री सभापति : What is point of order.

श्री गुल मोहम्मद : जो खर्चा किया है, अनियमिततायें की हैं वाइस चांसलर ने··

श्री सभापति : It is no point of order. Please sit down.

श्री केदार नाथ (गृह मंत्री): जो डागा साहब ने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है, उसका क्या इलाज है?

श्री मूलचन्द डागा : आप भी बोलने लग गए क्योंकि आप गृह मंत्री हैं।

श्री सभापति : प्रश्न के रूप में पूछें। I cannot compel the Government to reply to it.

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्. प्रभारी मंत्री ने जब यह जवाब दिया कि हम जांच आयोग बिठा रहे हैं उसकी जांच होगी, उससे पहले अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स और रीजन्स में ये सारी बातें लिख दीं कि वह दोषी है, यह बिल्कुल गलत बात उन्होंने कह दी है। पहला आब्जेक्ट है:

"The affairs of the University of Rajasthan have come under strong criticism both in the press and the public. The Government also have been receiving numerous complaints against authoritative and arbitrary manner in which some authorities of the University, more particularly its Syndicate, have functioned during the recent past."

उन्होंने गलत काम किया है उसकी जांच के लिए इन्क्वायरी कमीशन बैठा नहीं उससे पहले ही उनको दोषी मान रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय सभापति जी, एक प्रश्न मुझे पूछना है?

श्री सभापति : मेरे ख्याल में टाइम की कमी है। I will not allow any discussion on it.

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लूं तो कम से कम····

श्री सभापति : संशोधन प्रस्ताव वापस लेने के संबध में अब कोई डिबेट नहीं होगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने एक भी शब्द इन्टरनल असेसमेन्ट के सम्बन्ध में नहीं फर्माया है, इससे शिक्षा का स्तर गिरा है या ऊंचा हुआ है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इन्टरनल असेसमेन्ट के बारे में मैंने कहा है और

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
पहले भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय कह चुका हूं कि विश्वविद्यालय में एकेडेमिक कौन्सिल होती है वह एकेडेमिक दृष्टि से सारे निर्णय लेती है। राजस्थान की एकेडेमिक कौन्सिल ने इन्टरनल ग्रसेसमेन्ट का निर्णय लिया है ग्रौर वह भी इस पर विचार कर रहे हैं। हमको जो भी जानकारी मिल रही है वह उन तक पहुंचा देंगे। यह उनका अपना विषय है। इस बारे में सदन में कुछ कहने की ग्रावश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्री महोदय एक स्टेटमेन्ट दें ग्रौर मुकर जाय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्रब इसमें कोई प्रश्न नहीं करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने जो जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव दिया है उसके सम्बन्ध मे निवेदन है कि मन्त्री महोदय ने जो कहा उससे मुझे विश्वास होता है कि मन्त्री महोदय इसके लिए जागरूक हैं इन्टरनल ग्रसेसमेन्ट के लिए, ऐसी स्थिति में मैं ग्रपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री मनोहरसिंह मेहता ने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव पेश किया है, उसको वापस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

वापस लेने की इजाजत दी गई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं ग्रपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रस्ताव वापस लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(ग्रस्वीकृत)

प्रस्ताव ग्रस्वीकृत किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार।

खण्ड 2। प्रभारी मन्त्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सभापति महोदय, मैंने ग्राज भी कहा था, ग्रमेन्डमेन्ट पर ग्रमेन्डमेन्ट ला रहे हैं, तीन दफा ग्राप ग्रमेन्डमेन्ट कर चुके हैं। यह पद्धति गलत है, इसको रोका जाना चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, जनता पार्टी के राज में वैश्यायें सतियां बनने जा रही हैं।

श्री सभापति : खण्ड 2 में तो कोई संशोधन नहीं है. I am sorry.

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, I move that—(1) In clause (iv) of sub-section (1) of section 21 sought to be substituted, the expression "Professor/ Director / Principal of Post-graduate College" may be replaced by the word "Deans."

2. Replace clause (vii) of sub-section (i) of section 21, sought to be substituted by the following :—

"(vii) Three teachers, who have put in not less than seven years teaching experience in the institutions of higher education in Rajasthan on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Professors, Deans, Principals of affiliated/constituent Colleges to be elected by the teachers separately from amongst themselves as below:—

(a) One teacher to be elected from amongst themselves by the teachers of the University teaching departments and constituent colleges.

(b) Two teachers to be elected from amongst themselves by the teachers of the affiliated colleges."

Then clause (vii).

"Replace clause (viii) of ...."

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, यह अमेण्डमेण्ट जो मन्त्री महोदय मूव कर रहे हैं, सक्यूलेट नहीं हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, इस तरह का कोई अमेण्डमेन्ट अभी तक हमारे पास नहीं आया है।

श्री परसराम मदेरणा : No such amendment has been circulated to any member of the House.

श्री सभापति : Which is the amendment that was not circulated. I want to know

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री सभापति : यह कौनसे अमेण्डमेण्ट की बात कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका ध्यान 271 रूल की तरफ...

श्री सभापति : I am aware of it.

श्री मूलचन्द डागा : मेरी गलती हुई। मैं यही कह रहा हूं कि प्रभारी मन्त्रीजी शिक्षा मन्त्री जी हैं लेकिन विधि मन्त्री और चीफ व्हिप उनको मदद नहीं कर रहे हैं और मुख्य मंत्रीजी बाहर गये हुए हैं। यह जो अमेण्डमेन्ट लाकर दिया है मैं भी इस

(श्री मूलचन्द डागा)
पर अमेण्डमेण्ट दे सकता हूं, लेकिन हमको यह मिला नहीं है, तो यह लोकतन्त्र की दुहाई देने वाली सरकार क्या काम करेगी। इसलिए इसको नहीं लिया जाय।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सभापति महोदय, नहीं दिया गया है तो अब...

श्री मूलचन्द डागा : हां अब दे देंगे, आप तो अभी सभापति बनकर आ जाओगे।

सभापति महोदय, नोटिस ऑफ अमेन्डमेन्ट आपने क्यों नहीं दिया है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे जो सूचना विधान सभा सचिवालय से मिली है उसके अनुसार यह अमेन्डमेंट्स रात को ही सक्यूलेट हो गये थे। मगर फिर भी मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के पास किसी के पास यह अमेन्डमेन्ट्स नहीं पहुंचे हों...

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। हमें अभी लाकर दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : One at a time.

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, हमें सक्यूलेट नहीं हुए हैं। हमें तो अभी सक्यूलेट आपके सामने टेबल पर बैठे किये हैं। आपके सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने जो बात कही है उसमें थोड़ा विरोधाभास है। एक अधिकारी ने कहा कि अभी सुबह सक्यूलेट किया और इसके साथ ही आपको इस सचिवालय के बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह अमेन्डमेन्ट्स पिछली रात को ही सक्यूलेट कर दिये गये। तो इसमें कौनसी बात सही समझी जाये। दोनों बातों में विरोधाभास है। पर यह सही बात है कि मन्त्रीजी ने अमेन्डमेन्ट अभी पढ़ा था वह हमें सक्यूलेट इस बिल के संबंध में नहीं किया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिये।

श्री सभापति : जहां तक राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 1977 का प्रश्न है जिसके ऊपर कि सदन में विचार हो रहा है मुझे ऐसी जानकारी इस सचिवालय से मिली है कि अमेण्डमेंट पहले ही सक्यूलेट हो चुके है। जो अभी अमेन्डमेन्ट बोला गया था वह दूसरे बिल जैसा ही है। फिर भी सभी को कोपीज अमेंडमेंट्स की अवेलेबल करायी जानी चाहिये। What else can I do?

एक माननीय सदस्य : बिलकुल ठीक है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, आइन्दा जो भी विधान सभा सदस्यों को लिट्रेचर दिया जावे उसके साथ में एक लिस्ट आफ डाकूमेन्ट्स होनी चाहिये ताकि हमें पता लग जाय कि इसमें क्या क्या आया है। इसके साथ में सूची आनी चाहिये।

श्री सभापति : इस संबंध में आसन की ओर से यह व्यवस्था है कि विधान सभा सचिवालय आयन्दा इस बात का इत्मिनान रखे, भविष्य में सभी डाकूमेन्ट्स

(श्री सभापति)

और जो भी कागजात हों वह सभी माननीय सदस्यों को समय पर उपलब्ध कराये जाने चाहिये। इसके साथ में मैं यह सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो रूल 71 है उसमें यह बात है, स्पीकर या आसन को अधिकार दिया गया है कि वह इस प्रकार की आपत्ति को नहीं भी माने तो न्याय की दृष्टि से यह उचित है कि कम से कम एक दिन पहले तो यह कागजात, जो बिल्स के अमेन्डमेन्ट से संबंधित हों, सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंचा दिये जाने चाहिये। मैं इस अमेन्ड-को सदन की कार्यवाही में लेने की इजाजत देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, अनुमति का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि यह अमेन्डमेन्ट्स हमें सक्यूलेट नहीं हुए थे। अगर चेयर की तरफ से इजाजत दे दी गयी है तो कोई बात नहीं।

(व्यवधान)

आप बैठिये। आपकी बात नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह हमें सक्यूलेट नहीं हुआ था। चेयर अमेन्डमेन्ट मूव करने के लिये आज्ञा दे सकती है।

श्री सभापति : सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी यह कह रहे हैं मुझे कि वह पहले ही सक्यूलेट हो चुका है।

श्री परसराम मदेरणा : जो अभी बोला था वह हमें नहीं सक्यूलेट हुआ। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो पहले अमेन्डमेन्ट बोला गया था वह हमारी समझ में नहीं आया, वह क्या था। कौनसा मूव किया है।

श्री सभापति : आप विराजिये।

मुझे यह सूचना मिली है कि जिस संशोधन को लेकर यहां वाद-विवाद चल रहा है वह अमेन्डमेन्ट्स इस सचिवालय से 27 तारीख की रात को डाक से सभी माननीय सदस्यों को भेजे जा चुके हैं। पर हम इस वाद-विवाद में नहीं जाना चाहते हैं। मैं भविष्य के लिये इस सचिवालय को इत्मिनान करा देना चाहता हूं कि आयन्दा किसी माननीय सदस्य की तरफ से कोई आपत्ति इस तरह की नहीं उठायी जानी चाहिये। उन्हें सभी अमेन्डमेन्ट्स पहले ही मिल जाने चाहिये। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में सभी कागजात आपको समय पर उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मेरा इसमें निवेदन है....

श्री सभापति : पहले मंत्रीजी को अमेन्डमेन्ट तो मूव करने दीजिये। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जिन अमेन्डमेन्ट के लिये कह रहे हैं वह तो 27 तारीख को ही इस सचिवालय से सक्यूलेट हो चुके हैं।

श्री सभापति : आप इस आर्गुमेंट पर न जाइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : I move that-

In clause (iv) of sub-section (1) of section 21, sought to be

80

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

substituted, the expression "Professor/Director/Principal of Post-graduate college;" may be replaced by the word "Deans,"

सभापति महोदय, मेरा यह संशोधन है इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में 20 सदस्य सिन्डीकेट के रखे हैं और इसमें पहले दो कैटेगरी के लोगों को रखा गया था, प्रोफेसर्स और डीन आफ दी फैकल्टी। मेरा इसमें संशोधन है कि दो डीन्स में से ही इसमे लिये जाने चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे विश्वविद्यालयों में तो आपने यह नहीं किया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसमें है।

Replace clause (vii) of sub-section (1) of section 21, sought to be substituted, by the following:—

"(vii) Three teachers, who have put in not less than seven years teaching experience in the institutions of higher education in Rajasthan on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Professors, Deans, Principals of affiliated/constituent colleges, to be elected by the teachers separately from amongst themselves as below:—

(a) One teacher to be elected from amongst themselves by the teachers of the University teaching departments and constituent colleges.

(b) Two teachers to be elected from amongst themselves by the teachers of the affiliated colleges."

इसमें प्राध्यापकों में से चुनाव होना है उसके बारे में संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं। इसमें दो तो एफीलिएटेड कालेज आफ दी यूनीवर्सिटी से होंगे दो यूनिवर्सिटी के कालेजेज, टीचिंग स्टाफ में से होने चाहिये। इसमें मैंने यह किया है— .

Replace clause (viii) of sub-section (1) of section 21, sought to be substituted, by the following:—

"(viii) Two persons, to be elected by the Senate from amongst its non-teacher and non-student members who are not the employees of the University or any of the colleges affiliated to it.,,

सभापति महोदय, पिछले दो दिनों से यूनिवर्सिटीज के बारे में हाउस में चर्चा चल रही है। इसमें नोन टीचिंग स्टाफ में से दो सिन्डीकेट में लिये जायेंगे, जो कि नोन टीचिंग स्टाफ में से होने चाहिये, इसमें यूनिवर्सिटी के स्टाफ का कोई नहीं हो। स्टूडेन्ट्स मे से हो और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स मे से चुनाव होने चाहिये। यह संशोधन मैं यह समझ कर कर रहा हूं···

श्री परसराम मदेरणा : What about your another amendment.

श्री सभापति : Put all your amendments.

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने अमेण्डमेन्ट सूची नम्बर 2 का अमेण्डमेंट मूव ही नहीं किया है। सूची संख्या 3 और सूची संख्या 1 के अमेण्डमेंट तो मूव कर दिये। जो पहले दो नम्बर की सूची अमेण्डमेन्ट की थी वह क्यों नहीं मूव कर रहे हैं ? क्लाज तीन में थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह दूसरे विश्वविद्यालय से संबंधित था। वह इसमें नहीं है।

श्री सभापति : माननीय मदेरणाजी, यह दूसरे बिल से सम्बन्धित है।

Have you moved all the amendments ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Yes sir

श्री सभापति :

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977, जिस पर खण्डश: विचार हो रहा है, के सम्बन्ध में वैसे आम बात तो इतनी अधिक है कि प्रत्येक को एक एक करके कहने में बहुत अधिक समय लगेगा। आसन द्वारा मुझे भी समय तो दिया गया है किन्तु यह समय मेरी दृष्टि से उन समस्त तथ्यों को रखने हेतु अपर्याप्त है इसलिये सूक्ष्म में मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस संशोधन विधेयक द्वारा जो सिण्डीकेट का पुनर्गठन प्रस्तावित है उसमें भी पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणाली का अभाव ही परिलक्षित होता है। मैं वर्तमान सिन्डीकेट के दोषों से पूर्ण परिचित होने एवं उसका कटु अनुभव रखने के कारण कह सकती हूं कि जो भी इस अल्प समयावधि में यह संशोधन लाये गये हैं वह बहुत कुछ उपयुक्त हैं। मेरा इसमें सुझाव है कि विश्वविद्यालय से सम्बन्ध वृत्तिक महाविद्यालयों की संख्या एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या में अपेक्षाकृत अत्यधिक अन्तर है। जिन चार प्रधानाचार्यों को परस्पर ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा मनोनीत करने का प्रश्न है उसके बारे में मेरा सुझाव है कि उसी अनुपात में ज्येष्ठता के आधार पर वृत्तिक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य भी चक्रानुक्रम के कारण वैसे भी मनोनीत किये जा सकते हैं तब फिर पृथक् से उनका एक प्रधानाचार्य मनोनीत करना अवांछनीय प्रतीत होता है। अत: मेरा सुझाव है कि धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (vi) में, 11 (1) उपखण्ड (a) में प्रयुक्त शब्द 'excluding' के स्थान पर शब्द 'including' प्रतिस्थापित किया जावे, तथा (ii) उपखण्ड (b) को विलोपित किया जावे।

इसी सन्दर्भ में एक निवेदन करना चाहूंगी जिसकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया है। पिछली सरकार में जब माननीय सुखाड़ियाजी चीफ मिनिस्टर थे तब राजस्थान विश्वविद्यालय से भूगर्भ की फेकल्टी को उदयपुर ले जाया गया। सारा विभाग उदयपुर चले जाने से यहां के प्रतिभावान लड़कों को सीट नहीं मिल पाती है। 150 छात्र स्नातक की कक्षाओं में भू-गर्भ विज्ञान की शिक्षा प्राप्त

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
करके निकलते हैं किन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय में उस समय स्नातकोत्तर कक्षा में 19 सीटें थीं और सारी की सारी सीटें उदयपुर विश्वविद्यालय में चली गयीं। 9 सीटें वहां से और 10 सीटें यहां से तय होती हैं। उदयपुर में जब स्वतन्त्र विश्वविद्यालय है तो उदयपुर विश्वविद्यालय मे अलग से विभाग खोला जा सकता था। राजस्थान विश्वविद्यालय से यह सारा विभाग वहां पर ले जाने का कोई औचित्य नहीं था। इसे अविलम्ब जयपुर लाया जाये ताकि यहां के छात्रों को उचित अवसर इस विषय में दिया जाये। इसके लिए अलग से विभाग यहां कायम किया जाय अथवा वहां से इसको यहां वापस ट्रांसफर किया जाय और अधिक सीटें इसकी बढ़ायी जायं जिससे अधिक से अधिक छात्र निकल कर जीवन सम्पन्न बना सकें। आशा है माननीय शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री डागा।

श्री मूलचन्द डागा : जो अमेण्डमेन्ट दिया है वह मैं मूव कर रहा हूं।

In section 21, sought to be substituted---

1. In clause (vi), substitute the word "two" for the word "four."-

2. Delete clause (vii).

3. For clause (x) (a) substitute the following—

"(x)(a) One person to be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the students of the University teaching departments and constituent colleges on the basis of merit and academic performance;"

4. For clause (x) (b) substitute the following—

"(x)(b) One person nominated by the Vice-Chancellor from amongst the students of all affiliated colleges on the basis of merit and academic performance."

सभापति महोदय, मैंने कई बार कहा है कि सिण्डीकेट को आप मेहरबानी करके म्युनिसिपल बोर्ड न बनायें। आप वहां पर यह चीज पैदा न करदें। जो मेम्बर बना दिये, उनकी संख्या 21 है। पहले 9 संख्या थी अब 21 से भी ज्यादा कर दो। ट्रस्टेस की डेफिनेशन नहीं दी। ग्रेजुएट्स की डेफिनेशन नहीं दी। स्टूडेन्ट्स कैसे आने चाहिये उसकी डेफिनेशन नहीं दी।

यह मेहरबानी करके बताइये कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में किस प्रकार के आदमी आ सकते हैं। इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया में अकसर करके सीधे, ईमानदार और कर्मठ आदमी आयें यह संभावना कम है, कम ही आते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप जैसे कम आते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सीधे और सज्जन आदमी आने के लिए चुनावी प्रक्रिया में जायं। मैंने अभी आपके सामने वाइस-चान्सलर द्वारा किये हुए 5 वर्ष के अनुभव की बात बताई। उसको पढ़कर सुनाया जो उन्होंने लिखा है। हमारे शिक्षा मंत्री भी बड़ा अच्छा बोलते हैं। वे नयी परम्परा डालना चाहते हैं। लेकिन पुरानी परम्पराओं में से जो परम्परा अच्छी हैं स्वस्थ हैं उनको भी मानें। हमारे मंत्री महोदय नयी परम्परा डालें लेकिन कुछ अनुभव से भी सीखें। आपके पीछे बैठे बड़े अनुभवी लोग हैं। यह तरीका क्या है? जो अनुभव लिया है, अनुभव प्राप्त है, इसके बाद आप कहते हैं कि आग में कूदेंगे, जल जावेंगे लेकिन हम तो कूदेंगे। यह तरीका नहीं है परम्पराओं को स्थापित करने का। पुरानी परम्पराओं का भी आप स्वागत करें। लेकिन उनका स्वागत न करते हुए आपने क्या कर दिया? कौनसे विद्यार्थी चुनाव में आते हैं? जो नाम रोशन करते हैं देश का वे कभी चुनाव में नहीं आते। जिनमे पढ़ाई नहीं होती, जिनको किताबों से स्वाध्याय करने का शौक नहो वे ही चुनाव में आते हैं। मैंने यह देखा है और खुद भी शिक्षा शास्त्री जी जानते हैं।

Two persons will be nominated· कौनसे दो पर्सन्स? मैं जानता हूं जनता पार्टी जब से आयी है विश्वविद्यालयों में अपना हस्तक्षेप करके अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए यह सारी कार्यवाही कर रही है। मेरा निवेदन है, आप शब्दों का कोडिफिकेशन कर दीजिये। क्या कान्स्टीट्यूशन? क्या कालेज एजूकेशन? सभापति जी, जब श्री महोदय बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे, कहीं प्रतिभा का पलायन न हो जाय, बौने लोग ऊपर न आ जायें। महरबानी करके आप इन कालेजेज में चुनाव की प्रक्रिया को शुरू न करिये और कुछ क्वालिफिकेशन रखिये। क्या नयी परम्परायें? परम्पराएं कब नहीं होती है? कौनसी राय देंगे? जगह जगह बिना क्वालिफिकेशन्स के आप भेज दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इन्टरप्ट न करिये।

श्री मूलचन्द डागा : अभी दे दीजिये। यह तो हमारा अमूल्य समय ले रहे हैं। हमारा जीवन समर्पित है जनता पार्टी के लिये, राष्ट्र के लिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात न करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह कहा है सिण्डीकेट के मेम्बर कम होने चाहिये। सिण्डीकेट के अलावा एक्जीक्यूटिव कमेटी काम करती है। पिछले पांच साल का अनुभव है कि सिण्डीकेट की मीटिंग में 50-50 आइटम रखे जाते हैं और पांच आइटम भी पूरे नहीं होते। इस प्रकार तो एक महीने में दो महीने में मीटिंग होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि हजारों लाखों रुपये टी.ए., डी.ए. में खर्च होते हैं, फिर भी सिण्डीकेट में कुश्तियां होती हैं। प्रोफेसर केदार मंत्रिमण्डल में आ गये हैं। एक्जीक्यूटिव कमेटी में वे रहे है, उनको अनुभव है। एक मीटिंग में 50 में से 5 आइटम पूरे नहीं होते हैं। पिछले दस साल का रिकार्ड मैं बता सकता हूं।

Page No 84

(84)

(श्री मूलचन्द डागा)

आप भारतीय संस्कृति के बड़े पुजारी हैं....

श्री दाऊलाल जोशी : आप भी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी हूं लेकिन हमारे ऋषि मुनियों....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, Limit the debate to the amendments only.

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो आपकी आज्ञा को मानता हूं।

श्री सभापति : उसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो आपका आभार मानता हूं।

आपने प्रावधान रखा है कि स्टूडेन्ट कोई मेरिट में हो, स्पोर्ट्समेन हो, पढ़ने में प्रथम आया हो। तो कौन से स्टूडेन्ट्स आ जायेंगे? आजकल कौन आता है? वह स्टूडेन्ट्स आते हैं जो कॉफी हाउस में बैठकर रात को भी नशे में झूमते हैं। ऐसे विद्यार्थी आयेंगे....

श्री दाऊलाल जोशी : यह आपके ही जमाने में हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : अब नये आयेंगे।

श्री सभापति : And those still continue.

श्री मूलचन्द डागा : आपने अमेन्डमेन्ट दिया है :

"To be elected by the Senate from amongst the persons who are elected as its other members".

अब उसका आप अमेन्डमेन्ट देखिये। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। इस प्रकार आपने जो कमेटी बनाई है, सिन्डीकेट बनाई है उससे आपका जो पर्पज है वह सर्व नहीं हो सकेगा। इसलिए मैंने कहा कि मेरे अमेन्डमेन्ट को...

श्री सभापति : स्वीकार किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : हां, अनुभव के आधार पर और नयी परम्पराएं मत डालिये, पुरानी परम्परायें हैं वह भी अच्छी हैं।

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तम मंत्री!

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: सभापति महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट को मूव नहीं करता क्योंकि यह बात मान ली गयी है।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैंने जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किये हैं, जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं उनके बिलकुल विरोध में हैं। मैं इलेक्शन का ज्यादा समर्थन करता हूं क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीका हमने देश में अपनाया है और हम प्रजातंत्र को मानते हैं तो फिर बाद में नॉमिनेशन की प्रवृत्ति क्यों? मैंने जो संशोधन दिये हैं पहले तो मैं उन संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं :

In sub-section (1) of section 21 sought to be substituted—

(1) Clauses (iv), (v) and (vi) shall be replaced by the following:—

"(iv) Two deans of faculties to be elected by the teachers of the University and affiliated Colleges;

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(v) Two professors of University departments to be elected by the teachers of University;

(vi) Two Principals to be elected by the teachers of the affiliated colleges excluding the University colleges."

(2) Clause (ix) be substituted by the following :—

"(ix) Three members of State Legislature, two from ruling party and one from opposition to be nominated by the Speaker."*

(3) past (iii) of the Explanation appearing after clause (x) shall be deleted."

आज अगर प्रोफेसर्स के अन्दर से इलेक्शन के बेसिस पर दो प्रोफेसर्स को इलेक्ट किया जाये तो प्रोफेसर्स तो सभी योग्य हैं। मैं यह समझता हूं कि रोटेशन की जो पद्धति है उसमे तो यह स्थिति पैदा होगी कि इस यूनिवर्सिटी में 24 प्रोफेसर्स हैं और इनमें रोटेशन सिस्टम से अगर एक टर्म 3 साल का होता है तो जो सीनियर मोस्ट पांच प्रोफेसर्स है उनको 15 साल के अन्दर आप हैडशिप दे सकेंगे। इस तरह से 10 प्रोफेसर्स को ही लाइफ टाइम में चान्स मिलेगा और 14 प्रोफेसर्स को फिर भी चान्स नहीं मिलेगा। जो 14 प्रोफेसर्स हैं उनमें काबिल नहीं हों और सीनियर मोस्ट में ही ज्यादा केलीबर हो यह बात नहीं है। सीनियोरिटी से ही काबलियत आती हो ऐसी बात नहीं है। नये प्रोफेसर्स भी केलीबर के हो सकते हैं लेकिन इस रोटेशन की पद्धति से उनको लाभ नहीं मिल सकेगा जो कि ज्यादा केलिबर के हैं। अगर ऐसा होता है तो वह वंचित रह जायेंगे क्योंकि अकसर 45 साल की एवरेज एज में प्रोफेसर्स होते हैं। अब 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो यंग जो प्रोफेसर्स हैं उनको किसी तरह से अवसर नहीं मिलेगा। अगर अवसर मिल सकता है तो इलेक्शन के बेसिस पर ही मिल सकता है। अगर प्रोफेसर का इलेक्शन करवायें, एक इलेक्टोरल टीचर्स का रखें और जिसकी पापूलेरिटी ज्यादा टीचर्स में है और जो योग्य हैं वह चुन कर आये और सीनियर मोस्ट चुनकर नहीं आये तो यह डेमोक्रेटिक तरीका भी होगा और इससे आप योग्य से योग्यतम प्रोफेसर को इसके अन्दर ला सकेंगे। जैसा प्रोफेसर्स का है वैसा ही डीन्स का भी है और प्रिंसिपल्स का भी वही है। अगर वास्तव में योग्य प्रोफेसर्स, डीन्स और प्रिन्सिपल्स को चुनना है तो यही अच्छा तरीका है। इसमें यंग, स्मार्ट प्रोफेसर्स, प्रिन्सिपल्स और डीन्स को अवसर मिलेगा, नहीं तो वही स्थिति होगी जैसे श्री जी.सी. पाण्डे के बारे में इन्क्वायरी करने के लिए निर्णय ले लिया, लेकिन श्री जी.सी. पाण्डे सीनियर मोस्ट हैं तो रोटेशन के हिसाब से पाण्डे साहब फिर से सिन्डीकेट के सदस्य हो जायेंगे, जो बिलक सीनियर मोस्ट की बनी हुई है उनके कारण वह फिर आ जायेंगे और जिस उद्देश्य की पूर्ति आप करना चाहते हैं वह नहीं होगी। आपके उद्देश्यों की पूर्ति तो इसी से हो सकती है कि इलेक्शन के बेसिस पर वह आयें। इसलिए मैंने यह सुझाव प्रस्तुत किया है। दूसरी यूनिवर्सिटीज का जो बिल आया था उसके अन्दर भी मैंने सुझाव रखा था कि यूनिवर्सिटीज के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अन्दर एक की जगह दो एम. एल.ए. हों। चूंकि यह यूनीवर्सिटी बड़ी है और इसके जो एफीलियेटेड कालेजेज हैं वह भी बहुत अधिक हैं इसलिए इस यूनिवर्सिटी में तीन एम.एल.ए. होने चाहिए। जब जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी में दो है तो तीन को इसमें लिया जाना चाहिए और तीन में से दो गवर्नमेन्ट बैन्चेज के और एक अपोजीशन पार्टी का लिया जाना चाहिए। यही मेरे अमेन्डमेन्ट्स हैं। मैं सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे जो अमेन्डमेन्ट्स हैं यह बहुत ही डेमोक्रेटिक हैं इसलिए इनको अवश्य ही स्वीकार करें।

श्री सभापति : Thank you. माननीय श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, इमर्जेन्सी से पहले जो सिन्डीकेट का कम्पोजीशन था, वह भी हमने देखा और उसके बाद जब इमर्जेन्सी आई उस समय का जो कम्पोजीशन है वह भी हमारे सामने हैं। हम सुबह 11 बजे से इस पर विचार कर रहे हैं और विपक्ष में बैठने वाले सदस्य इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। इस पर विचार किया जाये तो जो यह संशोधन आया है इसमें और इमर्जेन्सी के बाद जो कम्पोजीशन था उसमें कोई अधिक अन्तर नहीं है लेकिन लगता है कि दो साल तक इन माननीय सदस्यों ने अधिनायकवाद को जन्म देकर, तानाशाही में पड़कर, देश में प्रजातंत्र को समाप्त कर जो एक आनन्द का अनुभव किया था, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे थे, अब प्रजातंत्र के नाम से इनको घृणा हो गई है। आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन जब प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को, प्रजातांत्रिक मान्यताओं को रखा जाता है तो उसका विरोध शुरू कर देते हैं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने सदन में माफी चाही थी, अपनी गलतियां स्वीकार की थी और कहा था कि हम आगे से प्रजातांत्रिक तरीकों को अपनायेंगे, गलतियां नहीं करेंगे और हर सहयोग जनता पार्टी को देंगे। लेकिन लगता है यह बात केवल कहने के लिये है, इनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं है...

श्री ईश्वरचन्द : माननीय सभापति, एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पर पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : No interruptions please

अभी विधायी कार्य बहुत बाकी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने यह संशोधन बिल पेश कर विश्वविद्यालय में प्रजातांत्रिक तरीकों की स्थापना की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि इमर्जेन्सी के दौरान इस विश्व-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विद्यालय में, बदले हुए कानून के कारण जिस प्रकार का मनमाना भ्रष्टाचार किया गया है इस संबंध में मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की है। लेकिन हमारे माननीय सदस्यों को ज्यादा चिन्ता इस बात की रही है कि विश्वविद्यालय में राजनीति का प्रवेश न हो। माननीय श्री मूलचंद जी डागा ने कई बार यह कहा है कि कहीं आप विश्वविद्यालय में राजनीति का प्रवेश न कर दें। मैं आपका ध्यान····

श्री सभापति : आपने अपने अमेंडमेंट मूव कर दिये हैं क्या ? माननीय श्री मूलचंद जी डागा ने क्या कहा है उसका जवाब प्रभारी मंत्री जी देंगे।

You move your amendments. No general discussion.

श्री मूलचन्द डागा : इनकी मेरे ऊपर विशेष कृपा है।

श्री सभापति : आप अपने अमेंडमेंट पर बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : राजनीति के प्रवेश का उस समय इनको ध्यान नहीं आया जब यह पार्लियामेंट के मेम्बर थे और इन्हें सिन्डीकेट में मनोनीत किया गया था। इस सदन में श्री ऋषि कुमार मिश्रा नहीं है इसलिए उनका नाम तो नहीं ले सकता···

श्री मूलचन्द डागा : ले तो लिया आपने।

श्री सभापति : New member. कन्टीन्यू करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनका नाम लेना उचित नहीं है किन्तु उन्होंने जो कहा वह छिपा हुआ नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया, अगर हम उसके संबंध में विश्वविद्यालय में रूटा नाम की संस्था से जानकारी करें तो पता लगेगा कि इन पिछले दिनों में राजनीति का प्रवेश न होने देने वाले···

श्री परसराम मदेरणा : On a point of Order, Sir यह क्लाज बाई क्लाज वाचन चल रहा है। माननीय सदस्य ने अभी तक अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं किए।

श्री सभापति : That is what I had asked,

श्री परसराम मदेरणा : यह भाषण क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं ?

श्री सभापति: I had already cautioned the Hon'ble member.

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज बाई क्लाज चल रहा है। न अमेंडमेंट मूव किये हैं, न अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो कोई भी अपने अमेंडमेंट के संबंध में बोलना चाहें पहले अपने अमेंडमेंट को प्रस्तुत करें। फिर उसके समर्थन में कुछ बोलें।

श्री मूलचंद डागा : यह तो राजनीति घुसेड़ना चाहते हैं।

श्री बाबूलाल जोशी : जो आपने घुसेड़ी थी उसको वापिस निकाल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने अमेंडमेंट मूव करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा क्लाज '(b)' में यह अमेंडमेंट है :

In sub-section (i) of section 21, sought to be substituted (i) in clause (iii) after the words 'educationists' the words not having interest in the University shall be added

तो, सभापति महोदय, जहां यह लिखा है कि इसमें शिक्षाविद् लिया जायेगा तो मेरा यह निवेदन है कि शिक्षाविद् इस प्रकार के होने चाहिये....

श्री सभापति : Please move all your amendments at one time में क्षमा चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई बात नहीं। After clause (v) the following provisos shall be added—

"Provided that no person who has been a member of the Syndicate before the commencement of this Act shall be eligible for nomination."

"Provided further that no member shall be nominated for more than one term."

मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में इसे पेश करना उचित नहीं समझता हूं। इसलिए मैं इसको प्रेस नहीं करना चाहता हूं।

(iii) in clause (vii),

(a) Words "five years" shall be substituted for the word "seven years"; and

(b) The following words shall be inserted between the words 'by the Senate' and 'from amongst its members'.

"out of these three teachers at least one from the constituent colleges and two from affiliated Colleges".

तो, माननीय सभापति महोदय, यही मेरा क्लाज 3 में संशोधन है।

इसके अलावा मैंने कुछ संशोधन और दिये हैं...

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, क्लाज (vii) (b) में जो संशोधन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे हैं यह क्लाज (vii) (b) रहा ही नहीं। अब मिनिस्टर महोदय ने क्लाज दूसरा मूव कर दिया है। आप 'सीनेट' वर्ड जिसमें बढ़ाना चाहते हैं। जो आपने अमेंडमेंट पेश किया है वह पहले का है।

श्री सभापति : I understand the point.

गवर्नमेंट की तरफ से जो दूसरा संशोधन आया है उस पर है या पहले वाले पर है?

श्री भंवर लाल शर्मा : पहले वाले पर है।

श्री सभापति : अब रहा ही नहीं। I have not to advise what the Hon'ble member has to do.

श्री परसराम मदेरणा : इसमें वर्ड 'फाइव ईयर' है ही नहीं।

श्री सभापति : Which amendment.

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके आगे का जो अमेंडमेंट है।

श्री परसराम मदेरणा : पहले वाला क्लाज (vii) (b) मिनिस्टर साहब ने पेश नहीं किया है। वह (vii) (a) पेश ही नहीं किया। मिनिस्टर साहब का (vii) (a)-(b) दूसरा आ गया। श्री भंवरलाल शर्मा का है : The following words shall be inserted between the word 'By the Senate' and "from amongst its members." उसमें यह 'सीनेट" वर्ड बिल्कुल ही नहीं है। इसको आप कहां डालोगे ?

श्री भंवर लाल शर्मा : इसके आगे अमेंडमेंट है वह क्लाज (vi) में है।

In sub-section (1) of the section 21 sought to be substituted—

(a) after clause (ii) the following new clause (ii-a) shall be inserted—

"(ii-a) President of the Rajasthan University Student Union;"

Clause (iv)-I don't press it.

For Clause (vi) the following clauses shall be substituted:—

श्री सभापति : What about clause (v)

Why do you not move your amendments one by one. You take sometimes from the end and sometimes from the middle. पहले क्लाज पास कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : In clause (v) the words "in accordance with their *inter se* seniority as Professors" shall be deleted;

For clause (vi) the following clause shall be substituted:—

"(vi) Four Principals to be elected in their respective categories as mentioned below:—

(a) One to be elected from amongst themselves, by the Principal of Post-Graduate colleges affiliated to the University-excluding professional colleges;

(b) One to be elected from amongst themselves by the Principal of the professional colleges affiliated to the University;

(c) Two to be elected from amongst themselves by the Principal of the degree colleges affiliated to the University excluding the professional colleges.

Explanation—

For the purposes of this clause professional colleges shall mean, 'the colleges affiliated to the University in the Faculties of Engineering and Technology, Medicine and Pharmaceutic, Ayurveda, Law and Education;

(श्री भंवरलाल शर्मा)

Provided that such colleges are affiliated exclusively in the aforesaid Faculties'

(a) in clause (viii) the figures '16' shall be substituted by the figures '18' (f) (i) in the explanation (ii) part (b) shall be omitted;

2. In sub-section (3) of section 21 the word 'two' shall be replaced by the word 'one'.

3. After sub section (3) of section 21 sought to be substituted the following new section (4) shall be added:—

"(4) The student member shall continue to be a member of the said body if he remains a student in the immediately preceding session till the next member takes over."

Now amendment No. 13—

After sub-clause (1) a following new sub-clause...

श्री परसराम मदेरणा : That is clause 4.

We are moving the clause 3 only. The Hon'ble member will now request the Hon'ble Minister to accept the amendments moved by him in clause 3.

श्री सभापति : Have you finished.

श्री मूलचन्द डागा : स्पीच देनी बाकी है। काफी टाइम है।

श्री सभापति : I take your amendments as moved.

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, पहला जो अमेण्डमेंट है वह है : not having interest in the University, shall be added. इसमें मेरा निवेदन यह है कि शिक्षाविद् जो चुने जायें, उनका विश्वविद्यालय से कोई लाभ का सम्बन्ध नहीं हो। यदि विश्वविद्यालय से किसी प्रकार का लाभ उनको मिलता हो और ऐसे लोगों को सिण्डीकेट में लिया गया तो सम्भावना यह रहेगी कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर लाभ उठा सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है इसको इसी तरह से किया जाय कि जिनका विश्वविद्यालय से कोई लाभ का सम्बन्ध नहीं हो।

श्री सभापति : Thank you.

श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊलाल जोशी।

श्री दाऊलाल जोशी (दौगोद) : सभापति महोदय, मैं आसन से निवेदन करूंगा कि मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : मूव ही नहीं किया। ठीक है।

श्री समरथलाल।

Page No 91

(91)

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं आपकी मार्फत क्लाज 3 के अन्दर यह अमेण्डमेंट प्रस्तुत करता हूं :

"After clause (x) of sub-section (1) of section 21, sought to be substituted, the following new clauses (xi) and (xii) be added, namely:—

"(xi) any one of the Ex-Education Minister to be nominated by the Chancellor;

(xii) any one of the Ex-Vice-Chancellors to be nominated by the Chancellor."

माननीय सभापति जी, माननीय मन्त्री महोदय ने जो हमारे सामने सिण्डीकेट का कम्पोजिशन पेश किया है, इस तरह के कम्पोजिशन कई बार इस विधान सभा में पेश हो चुके हैं। ये पेश होते रहे लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों के अन्दर किसी प्रकार का सुधार नहीं आया। मैं समझता हूं यह हमारे लोगों के लिए गम्भीर विषय है। मैं यह जो जोड़ रहा हूं इसका अभिप्राय यह है कि अतीत के जो अनुभव हैं वे शिक्षा मन्त्रियों को रहे हैं, पुराने जो वाइस चांसलर रहे हुए हैं, उनको रहे हैं। वे भी अगर इसके अन्दर सिण्डीकेट में आयें तो मैं समझता हूं हमारी सिण्डीकेट में चार चान्द लगते हैं। आपने इसके अन्दर क्लाज (b) के अन्दर उपखण्ड (x) बनाये हैं, मैं समझता हूं यह (xi) और (xii) भी जोड़ा जाय। इस प्रकार से हमारी यह जो सिण्डीकेट बनेगी इससे, मैं समझता हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय से जो हम आशा करते हैं वह आशायें हम शायद पूरी करा सकें और पिछले समय के अन्दर इन लोगों के जो कटु अनुभव रहे हैं उन अनुभवों का हम लाभ उठा सकें।

इस संदर्भ में मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि अपोजीशन की ओर से माननीय मंत्री महोदय को जो सुझाव दिए जाते हैं वह सुझाव विश्वविद्यालय की बहबूदी के लिए दिये जाते हैं। जिस प्रकार का शिक्षा का स्तर है उसको हम गिरा हुआ मानते हैं। अब शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है, किस प्रकार से वह ऊंचा उठ सकता है इसके लिए हम सुझाव देना चाहते हैं। लेकिन अपोजीशन को किसी भी बात को शिक्षा मंत्रीजी या मंत्रिमण्डल के दूसरे सदस्य न मान कर चलें तो मैं समझता हूं कि यह हमारे सदन की अच्छी परम्परा नहीं है। विरोधी दल जो सुझाव दे उन सुझावों में से जो सुझाव अच्छे हों, जिस प्रसंग में सुझाव देते हैं, वह उसकी पुष्टि करते हैं तो उन सुझावों को मान लेना चाहिए।

पिछले समय के अन्दर हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ अनियमिततायें हुई, उन अनियमितताओं के संदर्भ में मैं एक साधारण सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेडिकल कालेज के अन्दर श्रीमती सुषमा शर्मा बायो-केमिस्ट्री की लेक्चरार हैं। बायो-केमिस्ट्री के लेक्चरार के लिए निर्धारित योग्यता है। उसके लिए निर्धारित योग्यता क्या होनी चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ? या तो एम.बी.बी.एस. हो या एम.डी. हो या बायो-केमिस्ट्री में एम. एस. हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह लेक्चरार महोदया केवल एम.एस सी. हैं और इन्हें

(श्री समरथलाल)

रिलेक्सेशन दिया है। योग्यता के बारे में कोई रिलेक्सेशन नहीं होता है। और बातों में रिलेक्सेशन हो सकता है लेकिन योग्यता में कभी भी रिलेक्सेशन नहीं होता है। उनको योग्यता में रिलेक्सेशन दे करके मेडिकल कालेज के अन्दर लेक्चरार बनाना, बायो-केमिस्ट्री का लेक्चरार बनाना, मैं-समझता हूं, यह बिल्कुल नियमों के विपरीत है। यह नियमों का खुल्लमखुल्ला एक प्रकार से मखौल हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के गलत कार्य, इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण कार्य हमारी यूनिवर्सिटी के अन्दर न हों इसके लिए जरूरी है कि मैंने जो संशोधन दिया है वह सब-क्लाज (xi) और (xii) के रूप में स्वीकार किया जाय। यही मैं आपसे कहना चाहता था।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, कुछ संशोधन क्लाज 3 में माननीय सदस्यों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में मेरी क्या राय है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। माननीय सदस्य श्री भंवर लालजी शर्मा क्लॉज में डायरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन के बाद चाहते हैं,

after clause (ii) the followling new clause (ii-a) shall be inserted:—

"(ii-a) President of the Rajasthan University Student Union;"

विद्यार्थियों का अलग से प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय में हो इसलिए यह क्लॉज है। इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री सभापति: What?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

क्लाज(iii) में श्री भंवरलालजी शर्मा का संशोधन है: in clause (iii) affer the words "educationists" the words "not having interest in the University" shall be added;

दो एमीनेंट एजूकेशनिस्ट की चर्चा की गई है। एजूकेशनिस्ट और एमीनेंट हो। यहां जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह है:

"Not having interest in the University shall be added.

इसके कोई मायने नहीं रह जाते। हो सकता है कि कभी रहा हो। लेकिन आखिर कहीं तो हमें रेखा खींचनी होगी। इस कारण से इस संशोधन को भी मैं मानने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मूलचन्द डागा : उनको ठेस पहुंच रही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपको क्या हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : मुझको दर्द है।

श्री सभापति : आपके दर्द से हमको हमदर्दी है।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी कृपा से ही तो हम जी रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्लाज (iv) हैं।

"Two Deans of faculties, to be nominated by the Vice Chancellor, in rotation..

क्लाज (ii)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

श्री भंवरलाल जी शर्मा ने इसको प्रस्तुत नहीं किया है।

क्लाज (v) है :

"Two Professors of University departments to be nominated by the Vice-Chancellor in rotation, in accordance with their inter-se seniority as Professors;"

माननीय सदस्य श्री भंवरलालजी शर्मा का इसमें संशोधन है : In clause (v) the words "in accordance with their inter-se seniority as Professors" shall be deleted;

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रोटेशन को जब स्टे किया है, इण्टर-सीनियोरिटी किस तरह होगी इसका भी कल निर्धारण हो गया है। इसके कारण मैं श्री भंवरलालजी शर्मा का संशोधन मानने की स्थिति में नहीं हूं। यह संशोधन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसमें दूसरा संशोधन श्री भंवरलालजी शर्मा ··

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय, आप मंत्री महोदय को समझाइये कि इस प्रकार से नाम लेने की कभी परम्परा नहीं है। इनको निर्वाचन क्षेत्र का नाम लेना चाहिए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपका नाम नहीं ले रहे हैं।

श्री सभापति : आप कन्टीन्यू रखिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य····

श्री सभापति : मैं केवल प्रभारी मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए आप इन संशोधनों में से किस को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, अगर डिबेट वहीं तक लिमिट हो जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नम्बर 6 में····

श्री सभापति : नम्बर 6 किस का ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिनको नहीं मानना है उनको छोड़ देता हूं। जिन्हें मानने की स्थिति में हूं उन्हीं को बता देता हूं। क्लाज (vi) है :

Four Principals to be nominated by the Vice-Chancellor in rotation in accordance with their inter-se seniority in their respective categories as mentioned below.:—

यह जो क्लाज (vi) है इसमें हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य श्री भंवरलालजी शर्मा का जो संशोधन है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या है वह ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्होंने दिया है for clause (vi) the following clause shall be substituted:—

'(vi) Four Principals to be elected in their respective categories as mentioned below—

(4. 38 म.प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(a) one to be elected from amongst themselves, by the Principal of Post-Graduate colleges affiliated to the University excluding professional colleges;

(b) one to be elected from amongst themselves by the Principal of the degree colleges affiliated to the University:

(c) Two to be elected from amongst themselves by the Principal of the degree colleges affiliated to the University excluding the professional colleges.,'

इस संशोधन को मैं स्वीकार कर रहा हूं। शेष संशोधन मैं स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं, उनको स्वीकार नहीं कर सकता। आप बोलें तो नाम बोलूं।

(व्यवधान)

मैंने श्री भवरलाल का संशोधन स्वीकार किया है। "16" व "18" कुछ नहीं है।

मैंने यह संशोधन किया है।

"16" व "18" कुछ नहीं है

श्री परसराम मदेरणा : वह एक्सप्लेनेशन भी स्वीकार किया है ?

श्री ललीत किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

(vi) में भंवरलालजी शर्मा ने जो संशोधन दिया है और इसका एक्सप्लेनेशन है।

श्री परसराम मदेरणा: He has defined the Professional Colleges. This is the defination of the Professional Colleges. Do you accept this ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं।

हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह क्लॉज 3 में संशोधन दिया है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। शेष कोई भी संशोधन स्वीकार करने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि श्रीमती उजला अरोड़ा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि माननीय श्री मूलचन्द डागा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

Page No 95

(95)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि माननीय श्री भंवरलाल शर्मा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो दिए हैं। एक एक्सेप्ट किया है।

श्री सभापति : जो संशोधन प्रस्ताव हैं, उनको स्वीकार किया जाये ?

श्री खेतसिंह : आप तो पढ़ कर सुना दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति जी, जो संशोधन मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है उसके अलावा जो मेरे संशोधन प्रस्ताव हैं, मैं उनको वापस लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल जी, आपने ये संशोधन मूव नहीं किये हैं, 3 (a) (b) व नम्बर 11 (b) 1 (c) में है :

Inter-se senioirty as Professors. . .

इनको वापस लेना चाहते हैं। इनको वापस लेने की अनुमति दी जाये, यह प्रश्न है।

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय श्री भंवरलाल शर्मा ने क्लॉज 3 के सब-क्लाज (vi) में जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने यह पूरा स्वीकार नहीं किया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी । पूरा किया है। आप जरा देख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह एक्सप्लेनेशन स्वीकार किया है क्या ? इसके नीचे जो प्राविजन किया है सेक्शन 16 व 18 में, इसको आपने स्वीकार नहीं किया है। इसका सीरियल नम्बर (xi) दिया है।

श्री सभापति : यह क्लाज (vi) में नहीं है। वह क्लाज (viii) में है।

प्रश्न यह है कि माननीय श्री समरथ लाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 3 को, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खंड 3, संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 4

प्रश्न यह है कि श्री भंवरलाल शर्मा ने जो संशोधन खंड 4 में संशोधन पेश किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य से कहिये कि वे इनको मूव तो करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मेरा जो संशोधन प्रस्ताव है, उसको मुझे वापस लेने की अनुमति दी जावे।

श्री सभापति : यह तो आपने मूव नहीं किया है, इसलिए इसको वापस लेने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 4 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 4 स्वीकार किया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि-इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति जी,..

श्री सभापति : पहले मूव तो करने दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एज अमेण्डेड पारित किया जाये ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 पर कुछ विचार, कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यह जानते हुए कि हमारे मंत्री महोदय ने अपनी पार्टी के सदस्यों की राय को भी अहमियत नहीं दी है, मेरी राय को अहमियत दें या न दें, मैं सदन के सामने कुछ सवाल रखूंगा।

सभापति महोदय, बीमार यूनिवर्सिटी, बीमार राजस्थान विश्वविद्यालय, जो विरासत में मिला है यह सदन और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय उस को स्वस्थ करना चाहते हैं। मगर एक बड़ी अजीब चीज यहां पर हो रही है। बीमार को बिना पूछे चाहे कोई कितना ही अच्छा डाक्टर हो वह तन्दुरुस्त नहीं कर सकता। यह जो विधेयक यहां पर लाया गया है, यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में है, ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में है जो लगातार पिछले 15 सालों से बड़े अजीबो गरीब माहौल में से गुजर रहा है। इसके बारे में, मैं ठीक समझता, यदि आराम से विचार किया जाता। विद्यार्थियों से पूछा जाता। यूनिवर्सिटी के टीचर्स से पूछा जाता। आखिर यह गड़बड़ी क्यों है ? जो लोग यूनिवर्सिटी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

में हैं, वहां लोग वास्तव में इसका समाधान बताने के लिए उपयुक्त हैं लेकिन उनसे समाधान जानने की कोशिश हमारे शिक्षा मन्त्रीजी को नहीं है। लगातार सुन रहा हूं। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

सदन की कार्यवाही
विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री केदारनाथ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का बिजनेस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आज का बिजनेस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1977 पर अग्रेतर विचार

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, यह कहा गया है कि राजनीति का अखाड़ा विश्वविद्यालय को नहीं बनाया जाये। आखिर राजनीति है क्या ? हम लोग चुनाव लड़कर आये हैं। विधान सभा में बैठे हैं। राजनीति कोई बीमारी नहीं है जिससे कि आप विश्वविद्यालय को दूर रखना चाहते हैं ? आखिर आप क्यों दूर रखना चाहते हैं। आप विद्यार्थियों को क्या बनाना चाहते हैं ? आप उनको आवारा बनाना चाहते है ? राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। राजनीति आचरण सिखाती है। स्प्रिट पैदा करती है। राजनीति नयी सूझ देती है, नयी दिशा देती है। इसलिए अगर हमारी यूनिवर्सिटीज और कालेजेज को राजनीति से दूर रखा गया तो, सभापति महोदय, हम उन लोगों को पढ़ा लिखा जानवर ही बनायेंगे। राजनीति देश का भविष्य बनाती है। अगर राजनीति विश्वविद्यालय में नहीं पनपेगी तो और कहां पनपेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय में राजनीति आनी चाहिए। टीचर्स में सूझ आनी चाहिए। मेरी मान्यता है कि विश्वविद्यालय में राजनैतिक विचार-धारा प्रकट करने की, राजनैतिक विचार-धारा पर बहस करने की आजादी होनी चाहिए। पूरी आजादी होनी चाहिये जिस की विचारधारा पुष्ट होगी, उसी को विद्यार्थी मानेंगे।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा,

(पल्प विराम)

इस विधेयक में प्रोफेसर्स के बारे में कहा गया है। हम चुनाव के द्वारा नोमिनेट करेंगे सीनियोरिटी के लिहाज से। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिन हमारे वाइस चांसलर महोदयों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, मैं शिक्षा मंत्री महोदय के सामने एक सवाल प्रस्तुत करता हूं, मान लीजिए सीनियोरिटी के लिहाज से आप लायेंगे और सीनियोरिटी के लिहाज से उन्हीं मि. पाण्डे का नम्बर आ जाता है तो आप क्या करेंगे ? जवाब दीजिए ? हमारे प्रोफेसर हैं उनमें मि. पाण्डे सीनियर हैं इसलिये वही आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे ? बोलिए ! इसलिए क्यों नहीं चुनाव करायें प्रोफेसर्स का ? इसलिए इस सीनियोरिटी की बीमारी को छोड़ें। चुनाव कराइये प्रोफेसर्स का।

दूसरे टीचर्स के बारे में 7 साल के एक्सपीरियन्स की बात रखी है। जो अपने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को इजाजत दी है

Page No 98

(९८)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कि वह चुनाव लड़कर आ सकता है तो टीचर को क्यों नहीं यह अधिकार देते? उसको पढ़ाने का एक्सपीरियेन्स है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है इसलिए 7 साल का नहीं रखें। जो भी टीचर हैं, उनको आने दिया जाये। वहां क्या कोई टीचिंग क्लास लगा रहे हैं जो 7 साल का एक्सपीरियेंस चाहिए? इसके साथ-साथ छात्रों के बारे में कहा गया है कि जो लगातार 3 साल पास होगा वह आ सकता है। यदि दो साल पास होने वाले आ जायें तो क्या दिक्कत है? इसलिए सारे जो नियमित छात्र हैं, उन सबके लिए यह होना चाहिए। जो भी नियमित छात्र हैं, उन सब को आने दिया जाये। इसमें यह बंदिश नहीं लगायें।

दूसरा है प्रिंसिपल का. . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं बहुत कम टाइम ले रहा हूं।

श्री सभापति: समय का ख्याल रखें, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर: वह तो हो गया। पांच बजे तक तो हम ख्याल रखेंगे। उसके बाद तो खुली छूट है।

अब दूसरा प्रिंसिपल की बात है। नम्बर सबसे कम रिप्रेजेन्टेशन सब से ज्यादा।

एक और मेरा सुझाव है कि सिण्डीकेट में आपने किसी महिला को नहीं रखा है।

एक माननीय सदस्य: एम.एल.ए. रख दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर: सदन में कोई ऐतराज नहीं है। आप महिला-पुरुषों की बराबरी की घोषणा करते हैं। जब उनका नाम आता है तो घरों में रखना चाहते हैं। इस बीमारी को छोड़िये। आखिर महिलाएं क्यों नहीं आगे आयें। उन्हें आगे आना चाहिए। जब विद्यार्थी आते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं आयें? महिलाएं आयेंगी तो हमारा क्या होगा, यही तो डर है आपको। आप इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। आपकी बीमारी ला-इलाज है। आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए एक तो महिला सदस्य हो। दूसरे आपने पेरेन्ट्स का कोई स्थान नहीं रखा है। प्रिन्सिपल का रखा है। असेम्बली के एम. एल. एज. का रखा है। पेरेन्ट्स का रिप्रेजेण्टेशन कौन करेगा? लाखों पेरेन्ट्स हैं, मैं उनका रिप्रेजेण्टेशन जरूरी मानता हूं जो हजारों रुपया खर्च करते हैं। इसलिए पेरेन्ट्स का नाम रखना चाहिए।

दूसरा मैं

(विराम)

खैर यह रेलेवेण्ट मुद्दा नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षा मन्त्रीजी को इस विधेयक के पास होने से पहले निवेदन करूंगा कि वह मेरे सुझावों पर गौर करें। मेरे सुझाव वाजिब हैं। मैं यह आदमी हूं जो झगड़ा नहीं चाहता है आपके साथ। आपने अगर जल्दबाजी में यह किया तो ठीक नहीं होगा। जनता ने 30 साल के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया है। जनता अब बहुत समझदार हो गई है। जनता ने 30 साल के शासन को भी उखाड़ कर फेंक दिया है तो हमारी जड़ तो अभी बहुत ऊपर है। जनता ने 30 साल की सरकार को धक्का देकर गिरा दिया है।

(श्री ब्योपतसिंह मकासर)

इसलिए शिक्षा मन्त्री जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमें जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। जनता वह जनता नहीं है जो तीस साल पहले थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : जनाबे सदर,....

श्री मूलचन्द डागा : आपको तो नहीं बोलना चाहिए।

श्री मन्जूर अली : जनाबे सदर, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 की ताईद में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे पाली से आने वाले इज्जत-ए-मुकाम ने यह कहा कि इन यूनिवर्सिटी की पुरानी परम्परायें हैं उनको क्यों नष्ट करते हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अच्छी परम्परा हो।

श्री मन्जूर अली : मैं बहुत ही अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हम पुरानी परम्पराओं को नष्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि....

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी मेहरबानी है, इनायत है।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री मन्जूर अली : मुझे दो मिनट दिये जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह थर्ड रीडिंग है, इसके हिसाब से बोलें।

श्री मन्जूर अली : वाइस चान्सलर्स के खिलाफ इन्क्वायरी 1959 से अब तक की खोली जाय। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी 1947 में कायम हुई है उसके बाद 1959 तक डाक्टर चटर्जी इसमें रहे। डाक्टर मोहनसिंह मेहता भी इसमें रहे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले रह चुके हैं उनके नाम भी इन्क्वायरी खोली जाय।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अपना भाषण थर्ड रीडिंग तक ही सीमित रखें और समय का ख्याल रखें।

श्री मन्जूर अली : इतना कह कर मैं तरमीमी बिल की हिमायत करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदय, मैंने पहली बार यह सुना है कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय जो स्टेटमेन्ट देते हैं और जो आब्जेक्ट्स देते हैं उनमें विरोधाभास की बात करते हैं। बिल के अन्दर कुछ है और स्टेटमेन्ट और आब्जेक्ट्स में कुछ और। मैं कहता हूं इस बिल में एक बड़ी ही अजीब बात है कि स्टेटमेंट एण्ड आब्जेक्ट्स में कुछ....

श्री दाऊलाल जोशी : आप बार-बार एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं, सदन का समय बरबाद नहीं करें।

श्री मूलचन्द डागा : आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आप इन्क्वायरी करायें। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने पुरजोर शब्दों में बड़े साफ दिल से कहा है कि हम इन्क्वायरी करायेंगे। मुख्य मंत्री

(श्री मूलचन्द डागा)
जी ने कहा कि 1962 से सारे भ्रष्टाचार की इन्क्वायरी करायेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आज मुख्य मंत्री जी नहीं होने के नाते आपने तीन साल ही क्यों रखे? आप भी शुरू से ही इन्क्वायरी करवायें–एक बात!

दूसरी बात यह है कि जांच के लिए आपने कमीशन बनाया है तो एक हाउस की भी कमेटी बनाइये जिसमें हम भी सदस्य हों। आपका दिल तो पहले से ही बन चुका है कि यूनिवर्सिटी ने पाप किये हैं लेकिन मैंने नहीं देखे। माननीय मंत्रीजी, आप बराबर जांच कराइये। आपने अपने स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में ही लिख दिया है कि उन्होंने कुकर्म किये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह तो आप पहले कह चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा: सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जैसे सज्जन उस कमेटी में सभापति होने चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की भी एक कमेटी बनानी चाहिए। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की दुहाई····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य एक मिनट और बोल लें।

श्री मूलचन्द डागा: देने वाली सरकार है इसलिए लोकतन्त्र के द्वारा जो माननीय सदस्य चुने गये हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाय।

दूसरे मैंने बार–बार यह कहा है फिर भी अभी तक शिक्षा मन्त्रीजी ने कुछ नहीं कहा कि जो माइनोरिटी क्लास हैं, अल्प संख्यक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको इसमें कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। महिलाओं का तो प्रतिनिधित्व हो ही नहीं सकता क्योंकि आर.एस.एस. में ज्यादा लोग शादी नहीं करते, इसका मुझे दुःख है। इन्होंने शादी की या नहीं, यह पता नहीं है। इसलिए इनको महिलाओं के प्रति कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि आर.एस.एस. के मेम्बर रह चुके हैं, महिलायें भी यहां पर अपना सिर नीचे किये हुए बैठी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। माननीय प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री चिरंजी लाल गर्ग: माननीय सभापति जी,····

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति जी, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने फिर कुछ मुद्दों को उठाया है, उन्होंने कुछ कान्ट्रेडिक्शन की बात कही। पहली बात तो यह कही कि 9 से 21 हो गये हैं और कुछ नये सदस्य लिये जायेंगे। इसके लिए उन्होंने चिन्ता प्रगट की। मूल रूप से विद्यार्थी, शिक्षक, प्रिन्सिपल, विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखने वाले लोग यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हों, इसी दृष्टि से सिन्डीकेट का निर्माण होता है।

श्री मूलचन्द डागा: महिलाओं की बहुत जरूरत है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां विश्वविद्यालय में महिलायें प्रोफेसर हैं, महिलायें लेक्चरार हैं, स्टूडेन्ट्स के रूप में भी आ सकती हैं, सब प्रकार से आ सकती हैं इसलिए इस केटेगरी के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चुनकर नहीं आये तो प्रावधान कर दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक बात का जिक्र मैंने कल भी किया था, वह स्टूडेन्ट्स के बारे में है। माननीय सदस्य जरा सीनेट के कान्स्टीट्यूशन को भी पढ़ने की कृपा करें। उसमें वहां चुने हुए विद्यार्थी रहते हैं वहां कान्स्टीट्यूएन्ट कालेजेज से, डिपार्टमेंट्स से और एफीलियेटेड कालेजेज से मेरीटोरियस विद्यार्थी भी सीनेट में आते हैं। कुछ चुने हुए विद्यार्थी भी आते हैं। उन सब विद्यार्थियों में से सिंडीकेट में आने वाले विद्यार्थियों का चुनाव होता है। जिस बात की उन्होंने चिंता व्यक्त की, मेरा निवेदन है कि मेरिट वाले नहीं आयेंगे ऐसी बात नहीं है, उनके आने के अधिक चांसेज हैं। पिछली बार मैं सिंडीकेट का सदस्य था, उसमें मेरिटोरियस आदमी आए थे...

श्री मूलचन्द डागा : आपके साथ महिला थी या नहीं ?

विधेयक का पारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 1977 एज अमेंडेड पारित किया जाए।

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह से तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलायें पीछे रह जायेंगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है, कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 संशोधित रूप में पारित किया गया।

शासकीय वक्तव्य

सुन्दर डाकू की हत्या के मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच व सी. बी. आई. द्वारा राज्य सरकार से मांगे गये रिकार्ड की उपलब्धि

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से सुन्दर डाकू के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक काल अटेंशन नोटिस यहां पर मूव किया धारा 127 के तहत और अध्यक्ष महोदय ने उसको मूव करने की इजाजत नहीं दी अथवा दी। अपने रीएक्शन्स पेश करते हुए उन्होंने दो चार बातें कहीं।

सभापति जी, यह सुन्दर डाकू के अलेज्ड लिक्वीडेशन के बारे में या मौत के बारे में सी.बी.आई. जांच कर रही है। राज्य सरकार के पास जो रिकार्ड्स हैं, न उनको कोई टैम्पर किया है न कोई डेमेज किया है, न सप्रेस किया गया। राज्य सरकार पूरी मदद कर रही है और पूरी मदद की है। आयन्दा भी सी. बी. आई. को किसी भी प्रकार का रिकार्ड चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, किसी आफिसियल को इन्टेरोगेट करना चाहेंगे तो राज्य सरकार पूरी मदद देगी।

102

(श्री केदारनाथ)

सिम्पल फैक्ट्स यह हैं कि 31-8-76 को मिलिट्री कैम्प में सस्पीशियस सरकम्स-टान्सेज में सुन्दर डाकू को पकड़ा गया। उसने अपना नाम उस समय जंग बहादुर बताया। उसके पास एक पिस्तौल, 16 राउन्ड्स की थी, उसको उसी समय भोंवाड़ा पुलिस स्टेशन को हैण्ड ओवर किया गया। उसके बाद सदर पुलिस स्टेशन को हैण्ड ओवर किया गया। इसके अलावा एक ग्रेनेड जिस प्लेस पर उसने बताया वहां से लोकेट करके रिकवर किया गया। इसका इन्ट्रोगेशन कैम्प सेन्टर में तत्काल किया गया। जो उससे जानकारी मिली, सारी की सारी सेन्टर इन्टेलिजेंस डिपार्टमेंट को दी गई। उसके बाद 23-9-76 को चालान पेश किया गया। हमारे पास आर्म्स एक्ट व एक्सप्लोजिव्स एक्ट में केसेज रजिस्टर हुए। दोनों रिकार्ड्स सी. बी. आई. को दिये गये।

तीसरी बात जो सबसे अधिक महत्व-पूर्ण है वह यह है कि इस बारे में अलग-अलग इन्फरेन्सेज लगाये जा रहे हैं। 12-9-76 को संजय गांधी यहां पर आये। उसकी इत्तला 11-9-76 को क्रेश मैसेज द्वारा रात को साढ़े ग्यारह बजे एस. पी. सिक्योरिटी दिल्ली से मिली हमारे यहां डी. आई. जी., सी. आई. डी. को। सुबह उनका इन्तजाम कर दिया गया। उनका जहाज ट्रेनिंग एअर क्राफ्ट था जिसका नाम एम.ओ. था। इस एअर क्राफ्ट में संजय गांधी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी व मि. सक्सेना सिक्योरिटी आफिसर पहुंचते हैं। 9.45 को यहां पर लैंड करते हैं और 10.45 पर यहां से चले जाते हैं। इस बीच में जहाज का रीफ्यूअलिंग होता है। उस समय के माननीय मुख्य मंत्री वहां पर गये। उनके साथ उनका लड़का दिनेश जोशी भी था। ये वहां पर एक घण्टे तक बी.आई.पी. लांज में बातचीत करते रहे। क्या बात हुई, रिकार्ड से उसका कोई वेरि-फिकेशन नहीं होता। क्या कॉन्सपायर हुआ, उसकी जानकारी नहीं। बी.आई.पी. लांज में सुन्दर डाकू का उस दिन 12-9-76 को आना हमारे रिकार्ड से साबित नहीं हुआ, न कोई मकसद था। पेश किया जाता तो रिकार्ड बोल देता। कोई कान्सप्रेसी हैच नहीं की गई, न उनसे हमारा मकसद था, न रिलेशन था। इसलिए क्या हुआ, किस मक-सद के लिए आया, हमें मालूम नहीं। उस समय के भूतपूर्व मुख्य मंत्री गये, जहां संजय गांधी थे। मगर राज्य सरकार की ओर से, आफिसियल्स की ओर से कोई भी चीज सप्रेस नहीं की गई, कोई चीज छिपायी नहीं गई, जो चीज मांगी गई, वह दी गई। उसके बाद, सभापतिजी, उसका चालान 23-9-76 को आर्म्स एक्ट व एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत पेश किया गया। उसको जुडिशियल लॉक अप में भेज दिया और 25-9-76 को दिल्ली मेट्रोपोलिटन मजि-स्ट्रेट ने वारण्ट इश्यू किये, जिसके तहत उसको दिल्ली भेज दिया। यह सिम्पल फैक्ट्स है।

बाद में कहा गया कि 12-9-76 को बी. आई. पी. लांज में सुन्दर डाकू उनसे मिला और आपस में बातचीत हुई, हाट वर्ड्स एक्सचेंज हुए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कहा गया—यह रिकार्ड से साबित नहीं हुआ। इसकी पूरी-पूरी जो इत्तला है,

(श्री केदारनाथ)
इस बात का एक रिकार्ड और है। तेजसिंह एम.एल.ए. यू.पी. के थे, वह यहां पर आते हैं 16 तारीख को और उसका उनसे कन्फण्टेशन होता है। उसमें हमारी ओर से तीन सी. आई. डी. के आफिसियल और एक यू. पी. का, और एक दिल्ली का—कुल पांच आदमियों का आपस में कन्फण्टेशन हुआ। एक एडिशनल आई.जी.पी. इन्टेलिजेन्स यू. पी. सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स आफिसर, डी.आई.जी. इन्टेलिजेन्स राजस्थान, एडिशनल एस.पी., सी. आई. डी. और एस.पी. स्पेशल ब्रांच। यह सारा टेप रिकार्ड सी. बी. आई. के पास में है और सी.बी.आई. का लैटर हमारे पास में है कि जो रिकार्ड मांगा, राजस्थान सरकार ने दे दिया है।

सभापति जी, आपके मार्फत मैंने सिम्पल फैक्ट्स निवेदन कर दिये हैं। अब तक जो कोई भी रिकार्ड मांगा है, दिया है। जो कोई जानकारी मांगी जायगी, या किसी आफिसियल की सेवा मांगी जायगी, इन्ट्रोगेशन होगा, राजस्थान सरकार से बिलकुल खुशी के साथ सतर्कता के साथ सारी चीज उपलब्ध करायेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : बहस नहीं होगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इस बात को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। आप मेरे खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहें ले लें। यह मेरा अधिकार है कि बोलूं, उत्तर दूं। आप मेरे अधिकार को कर्टेल नहीं कर सकते।

श्री केदारनाथ : सरकार पूरी तरह से तैयार है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप नियमों की तरफ देखें, इस तरीके से मेरे हक को मार नहीं सकते।

श्री केदारनाथ : नियमों में नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापतिजी, अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में मुझे अनुमति दे दी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे इस पर निवेदन करने की आज्ञा है। जो स्टोरी गृह मंत्री ने बताई है, उसके अन्दर हो सकता है कुछ तथ्य सही हों। हो सकता है गलत तथ्य बताये गये हों। कोई कोरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप मुझे अपना वक्तव्य देने की इजाजत दें।

श्री सभापति : दो मिनट।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दो मिनट में तो बात पूरी नहीं होगी।

सभापतिजी, मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, वह यह सोच कर दिया कि जिस समय यह घटना घटी, उस समय यही सरकार चल रही थी। मैं विशेष रूप से इस सदन में आरोप लगा चुका हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि उस समय जो सरकार थी उसके द्वारा उस समय श्री संजय गांधी की जयपुर यात्रा के सम्बन्ध में जो पुलिस के महत्वपूर्ण डॉक्यूमैंट्स थे, वे तबदील हुए हैं, बदले गये हैं, उनको जलाया गया है। सभापति महोदय, आज जो अभी सदन में गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है उसके बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह फाल्स है,

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

फेब्रीकेटेड है क्योंकि यह सूचना मन्त्री महोदय को उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने दी है जो कि इस जरायम में शामिल थे। यह वही आफिसर हैं जो कि इसमें इनवॉल्व्ड थे और उन्होंने इस तथाकथित सुन्दर डाकू के केस के बारे में जो भी यहां पर डाक्यूमेन्ट्स थे उन्हें जला दिया। इतना ही नहीं, सभी दस्तावेज दुबारा फर्जी बनाये है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत गृह मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुरानी कांग्रेस सरकार के कुकर्मों और पापों को अपने ऊपर, अपने कंधे पर क्यों ले रहे है? कोई यह सरकार तो थी नहीं, इसमें आप इनवॉल्व्ड नहीं थे, फिर क्या कारण है कि इस बारे में मन्त्री महोदय सही तथ्य नहीं बता रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इसके बारे में निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि यह सूचना गलत है। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता हूं बाकी मुझे सदन के बाहर ऐसे व्यक्ति से सूचना मिली है। अगर मैं आपको वह बता दूं तो पता नहीं यहां सदन में क्या का क्या हो जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य यहां पर फैक्ट्स को छुपा रहे हैं। यह खुद गलत सूचना सदन में दे रहे हैं। यह क्यों सही तथ्यों को छिपा रहे हैं? आप इन्हें कहिए कि सही तथ्यों को छिपाये नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं बोलने वाले माननीय सदस्य को बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, यह मामला सदन में आ चुका है। माननीय सदस्य को चाहिए कि सही बात बतावें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन में क्या बोलें और क्या नहीं बोलें इस बारे में वह स्वयं ही तय कर सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह कह चुके हैं कि मैं ऐसे तथ्य पेश कर सकता हूं। उन्होंने सदन के बाहर क्या सुना?

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन पुलिस के अधिकारियों ने यह तथ्य माननीय गृह मन्त्री जी के सामने रखे हैं उन्हें शायद इस बात का डर है कि अगर हम सही तथ्य बता देंगे तो हम कहीं फंस न जायें। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप गुमराह कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, बड़ी अजीब बात है यह संजय गांधी उस समय क्या थे इनके बारे में सही सूचना...

श्री श्योपतसिंह मकासर : बता दीजिये, खुला बता दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य आप मुझे बोलने दें। मुझे बोलने का तरीका आता है। मैंने सारी उम्र वकालत की है। मैं जो बोलूंगा उससे आप खुश हो जायेंगे।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने यहां पर कहा कि दिल्ली से एक क्रेस मैसेज आया था। आपने वहां पर सी. आई. डी. के डी. आई. जी. को किस हैसियत से भेजा? आखिर यह संजय गांधी कौन थे? क्या थे? सरकार में मंत्री थे, या कोई देश के बड़े नेता थे, या कांग्रेस के कोई चोटी के व्यक्ति थे, या देश के कोई बड़ी अहमियत रखने वाले व्यक्ति थे? उनकी सिक्योरिटी के वास्ते राज्य सरकार ने क्यों भेजा? आप पुरानी कांग्रेस सरकार के कुकर्मों को क्यों छिपा रहे हैं? उनके पापों पर क्यों पर्दा डाल रहे हैं? आपने अपने सरकारी अधिकारियों को यह क्यों नहीं पूछा, आप इस बारे में मौन क्यों रहे, आप चुप क्यों रहे, आपने यह जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि किस कानून के अन्तर्गत उसे सिक्योरिटी प्रदान की गयी? यह इन्तजाम क्यों राज्य सरकार की तरफ से किया गया? बरहाल यह सभी बातें, मैं समझता हूं, आपने पुलिस अधिकारियों से नहीं पूछी जो कि पूछनी चाहिये थी। जो आरोप मैंने यहां पर इस सदन में लगाये हैं, उनसे यहां के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हैं। आपको उसकी जांच करनी चाहिये थी, पता लगाना चाहिये था कि क्या रिकार्ड बदला तो नहीं गया? आपने इसकी निष्पक्ष रूप से सूचना नहीं मंगायी।

सभापति महोदय, तारीख 12 सितम्बर को संजय गांधी यहां पर क्यों आये? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को जानने की कोशिश की? उन्होंने क्या क्या जानकारी प्राप्त की? इसके पहले तथाकथित सुन्दर डाकू 31 तारीख को ही गिरफ्तार हुआ। आपके पास में 12-9 को ही क्रेस वायर लेस का मैसेज आता है कि संजय गांधी 12 सितम्बर को यहां आ रहे हैं। यह सब रिकार्ड यहां के पुलिस अधिकारियों ने छिपा लिया है। सभापति महोदय, मैं सदन में स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि संजय गान्धी सिर्फ सुन्दर डाकू के पास आये थे और वह सुन्दर से प्रतिशोध लेना चाहते थे। मैं मानता हूं यही कारण है कि उसे दिल्ली ले जाया गया और उसकी दिल्ली ले जाकर हत्या कर दी गयी।

सभापति महोदय, संजय गांधी 12 तारीख को आते हैं हवाई जहाज से। हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री उनसे मिलने के लिये जाते हैं और आपस में दोनों की गुफ्तगू होती है, उसका कहीं भी कोई रिकार्ड तक नहीं रखा। इस बात की जांच होनी चाहिये। रिकार्ड कहां गया? भूतपूर्व मुख्य मंत्री संजय गांधी से किस केपेसिटी में मिलने गये थे? न तो संजय गांधी कोई मंत्री थे, न ही कोई राज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे और न कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता थे। वह उनसे मिलने क्यों गये?

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे द्वारा सदन में आरोप लगाने के बाद राजस्थान पत्रिका में अभी दो दिन पहले कुछ समाचार छपे हैं जिसमें यह दिया गया है कि सुन्दर ने यह कहा था कि मुझे दिल्ली की पुलिस के पास मत भेजना। मेरी जान को

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

खतरा है, मुझे हरियाणा की पुलिस के पास भेजना, नहीं तो मुझे जान से मार दिया जायेगा। पर उन दस्तावेजों को गायब कर दिया गया है। आपने इसकी कोई जांच की? आज ऐसा भी अखबारों में आया है कि कुछ कागजात गायब हो गये हैं। इसको आप इतना लाइटली ले रहे हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके ऊपर कोई केस तो चलने वाला है नहीं।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर गृह मंत्री महोदय का यही स्टेण्ड पुरानी कांग्रेस सरकार को बचाने के लिये रहा तो मैं समझता हूं कि इमर्जेन्सी के दरमियान जो एट्रोसिटीज हुई है, जो जो अत्याचार इस देश में हुए हैं उनके लिये कोई इन्साफ आप नहीं कर सकते। इमर्जेन्सी के दरमियान जो भी मामले हुए हैं उनकी आपको खुली जांच करानी चाहिये। मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आप क्यों उन अत्याचारियों को बचा रहे हैं? आपको तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिये। जो गलतियां उन्होंने कीं, जो भूलें उन्होंने की हैं उनके लिये आपको उन्हें सजा दिलानी चाहिये। आज वही अधिकारी, जिन्होंने इमर्जेन्सी में एक्सेसेज किये थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। आपको चाहिये कि उन लोगों को तुरन्त उन पोस्ट्स से हटावें। इसके लिये यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जो जो लोग या अधिकारी इस बारे में सही सूचना देते हैं आपको उनके प्रति थोड़ा सोचने की जरूरत है।

सभापति महोदय, यहां पर यह मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां के बड़े बड़े चोटी के लोग, जिसमें एक हमारे मुख्य मंत्री भी थे, के सुन्दर डाकू की हत्या करने में शामिल होने बाबत बात बतायी थी। पर आज इस प्रकार के दस्तावेज गायब कर दिये गये हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जो भी रिकार्ड सी.बी.आई. को दिया गया है वह सही रिकार्ड नहीं है। तथ्यों को जला दिया गया है, चेन्ज कर दिया गया है और चेन्ज किये हुए तथ्य सी.बी.आई. को दिये गये हैं। जिन लोगों ने सुन्दर को मराने और उसे दिल्ली भेजने का काम किया था आज वही लोग आपको मिस गाइड कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने सी.बी.आई. को सूचना दी। यह वही अधिकारी हैं इसलिये सही सूचना कैसे दे सकते हैं। आप उनसे गायड हो रहे हैं। मैं सदन से यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जो जो आफिसर कोई तथ्यों की बात बतावें उन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। उन बेचारों को इम्यून किया जाना चाहिये। उनका प्रोसीक्यूशन नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, सुन्दर की हत्या का कारण नहीं बताया गया। वह क्यों मरा? कहां मरा? किस सरकम्सटान्स में मरा? यह आपने जानकारी करने की कोशिश ही नहीं की।

श्री ज्योपत सिंह मकासर : तथ्यों की बात बतावें।

श्री मूलचन्द डागा : सुनो सुनो, रामायण का पाठ हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। दो मिनट में।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, दो मिनट में तो समाप्त हो नहीं सकता, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, इनको बार बार रोका क्यों जा रहा है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि इस सारे हत्याकाण्ड पर किसी प्रकार की लीपा पोती नहीं होनी चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापतिजी, हमारी माननीय सदस्यां, जो जयपुर देहात से चुन कर आयी हैं, ने आपको तेजसिंहजी का प्रकरण बताया। आखिर वह जयपुर में गिरफ्तार था। उनका आमना सामना क्यों होना चाहिये था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसीलिये गिरफ्तार किया गया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उन श्री तेजसिंहजी की मार्फत उन बयानात की पुष्टि करने की कोशिश की जिससे मनगढ़न्त आरोप राष्ट्रीय नेताओं पर लगाये जायं। अमुक अमुक व्यक्तियों, नाम ले लेता हूं, श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी की हत्या करने का कन्फेशन कराया जाय, इस बात के लिये उनको लाया गया। वह बयान जला दिये गये। बदल दिये गये। मुझे पता नहीं, पिछली वाली सरकार ने क्या किया ? वह बयान खत्म कर दिये गये। सारे के सारे रोजनामचे गायब कर दिये गये। उसके लिये तेजसिंह जी को लाया गया। आई. जी. पी. और डी. आई. जी. पी. बैठ कर कुचक्र करें और वे लिख कर जो दे दें वह सदन के सामने आप पढ़ दें, वक्तव्य दे दें उससे पहले फैक्ट्स के बारे में विचार कीजिये। सुन्दर को ले जाया गया। बाकायदा कन्फ्रन्टेशन हुआ है। 200 सी. आई. डी. के आदमी हवाई अड्डे को घेर कर खड़े हो गये। एनकाउन्टर हुआ है। ये सारी बातें आपको रिकार्ड में नहीं मिलेंगी। क्या जरूरत थी 15-20 दिन का रिमाण्ड लेने की ? छोटा सा मामला था आर्म्स एक्ट का। अदालत के रिकार्ड में से उसकी एप्लीकेशन ही गायब है। जब अदालत के रिकार्ड की कोई चीज गायब हो सकती है तो पुलिस के रिकार्ड की तो यह परम्परा बन गयी है।

मैं आपको बताऊं, बद की गढ़ी आमेर, पुराना किला यहां जबर्दस्त इन्टेरोगेशन हुआ है। यह तो अच्छा हुआ कि इमर्जेन्सी हट गयी। हम सब के लिये अच्छा हुआ। आपके लिये भी अच्छा हुआ। तेजसिंहजी को वहां लाया जा सकता है, रात भर रखा जा सकता है, सुन्दर को वहां ले जाया जा सकता है और कई दिनों तक रखा जा सकता है। न जाने कितनी उसको यातनायें दी होंगी यहां से सुन्दर को ले गये। निश्चित स्थान बता रहा हूं। आप चाहेंगे तो मैं आपको जो लोग ले गये हैं उनके नाम भी बता दूंगा, फहरिस्त दे दूंगा। मेरा आप पर कोई आक्षेप नहीं है, इस सरकार पर कोई आक्षेप नहीं है। भगवान के नाम पर जो कुकर्म कांग्रेस सरकार से हो गया उसने अंग्रेजों के सारे काले कारनामों को भी पीछे रख दिया है। जिन पर डिपेन्ड होकर ये कारनामे किये गये हैं उनसे वेरिफाई

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

करके सही फैक्ट्स को सामने लाने का प्रश्न है। यह भी आरोप है कि सी.बी. आई. से कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। सी. बी. आई. के सुपरिन्टेन्डेन्ट और दूसरे अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की पुलिस कोआपरेट नहीं कर रही है। लीपा पोती क्यों कर रहे है ? कीजिये कोआपरेट। रोजनामचा बदल दिया तो स्पष्ट कीजिये कि रोजनामचा बदला, रिकार्ड बदला। नया बनाया उसके लिये स्पष्ट स्वीकार कीजिये।

मैं निवेदन करूंगा, सभापतिजी, इस प्रश्न पर पुनः विचार करें। मेरा प्रोफेसर केदार, गृह मंत्री, अथवा इस सरकार पर कोई आरोप नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी को यह प्रशासनिक सेवायें विवेक से और सतर्कता से काम करने देगी, इसमें मुझे संदेह है। इसीलिये ऐसी चीज सदन में नहीं आने देना चाहती है। आप देखेंगे, दिल्ली में अदालत में मुकदमा कैसे किया गया। उसमें साफ बताया गया, उनको थ्रेटन किया। संजय गांधी को मारना है। कहां थे वे ? आसमान पर। उनकी क्या हालत थी ? आप हम सब जानते हैं। वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या संजय गांधी की मांग थी कि जल्दी से जल्दी दिल्ली भेजा जाकर सुन्दर को लिक्वीडेट किया जाय ? इसमें राजस्थान को निष्पक्ष रूप से सहायक होना चाहिये जिससे मामला सुलझे, मसला सुलझे। मेरी मंशा नहीं है कि निर्दोष को इसमें फांसा जाय। संजय गांधी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये सब बातें स्वाभाविक हैं। इन सब बातों का अनुसंधान करना जरूरी है। जयपुर में बैठे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, जो कि इमर्जेन्सी में तैनात थे यहां पर, को यहां से हटाइये। जब तक उनको नहीं हटायेंगे तब तक तथ्य सामने नहीं आयेंगे। इसलिये सरकार इस पर पुनर्विचार करे और किसी निष्पक्ष व्यक्ति को, जो इससे सम्बन्धित न हो, इस जांच के लिये लगायें। अगले सत्र में उसकी जो कुछ भी रिपोर्ट हो प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आपकी मार्फत गृह मंत्रीजी से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय······

श्री सभापति : और सदस्य नहीं बोल सकेंगे। बहस नहीं होगी।

श्री रतनलाल वर्मा : बहस नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : जिन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने विचार रख दिया।

श्री रतनलाल वर्मा : भूतपूर्व मुख्य मंत्री सदन में आयें और बतायें कि क्यों गये थे वहां पर ? उनकी बातचीत क्या हुई ? वे सदन को बतायें। वे जनता के चुनिन्दा थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तीन चार बिन्दु पर आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से क्लेरिफिकेशन चाहूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापतिजी, ये क्यों बोल रहे हैं फिर ?

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता हैं वे बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : सभापतिजी, यह कहा गया कि 16.9.76 को तेजसिंहजी एम.एल.ए. और सुन्दर डाकू का कन्फ्रन्टेशन हुआ, सीनियर आफिसर मौजूद थे और कोई वार्ता का टेप रिकार्ड हो चुका था। वह टेप रिकार्ड जैसा आपने बताया सी.बी.आई. जांच के दौरान ले जा चुकी है। क्या संजय गांधी जब जयपुर में 12-9-76 को आये तो बी.आई.पी. लॉज में गये थे? संजय गांधी बी.आई.पी. लॉज में गये थे तो मुख्य मंत्री और उनके सुपुत्र के अलावा और कोई वरिष्ठ मंत्री भी था? और था, तो कौन था?

कई माननीय सदस्य : आप ही बता दें?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा न करें।

श्री परसराम मदेरणा : संजय गांधी जिस दिन जयपुर आये क्या उनके यहां पहुंचने को खबर राजस्थान के दैनिक अखबारों में 13.9.76 को छपी? क्या आपके अनुसंधान और आपकी खबर और आपकी जांच से संजय गांधी को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया था?

कई माननीय सदस्य : अब करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : सुन्दर डाकू को अरेस्ट किया था? सुन्दर डाकू जिस दिन यहां अरेस्ट किया गया और जिस रोज दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया गया इस पीरियड का कोई भी रिकार्ड या रोजनामचा है? उसमें फेर बदल किया गया या उस रिकार्ड को कोई एलीमिनेट किया गया, क्या ऐसा कोई तथ्य आपके ध्यान में आया है?

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : सभापति जी, जो मैंने स्टेटमेन्ट दिया, न तो उसमें कोई गलती है, न भूल है और न मैंने कोई चीज छिपाने की कोशिश की। सभापति जी, यहां नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ एप्रीहेन्शन्स पेश किये। यह कोई इनवेस्टीगेशन की स्टेज तो है नहीं। उनको आधार नहीं मानते हुए मैं उनका जवाब देने में असमर्थ हूं। सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि संजय गांधी के लिए क्यों सिक्योरिटी मैजर्स लिए गए? उस समय सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के इस प्रकार के इन्सट्रक्शन्स थे और उनके तहत यह मैजर्स लिए गए।

माननीय सभापति जी, न मुझे पिछली सरकार के मिसडीड को एप्रोच करने का और न उस पर जो इन्सीनुएशन्स हैं उनको स्पष्ट करने का अधिकार है और न मैं कोई सफाई दे रहा हूं। देश की जो हाइएस्ट आर्गेनाइजेशन सी. बी. आई. है उसके तहत यह इनवेस्टीगेशन चल रहा है। अगर कोई क्लू मिलता है तो यह सरकार एक्शन लेने में कभी नहीं हिचकिचाएगी चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जो अभी और भी बातें कही गयी कि यहां उनके आने का क्या मकसद था और कहां क्या बातें हुईं इनके बारे में रिकार्ड स्पीक नहीं करता है कि उनका मकसद पालिटिकल था या पर्सनल था या सुन्दर के साथ मुलाकात का था। रिकार्ड के अन्दर कोई चीज मेन्शन नहीं है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि अगर संजय गांधी को कोई मुलाकात करनी होती तो लॉज में क्यों करते। इस मकसद के लिए लॉज जैसी ओपन प्लेस, जहां चारों

(110)

(श्री केदार नाथ)

तरफ लोगों का एक्सेस है, को कोई भी व्यक्ति यूज नहीं करेगा....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बन्द कमरा है।

श्री केदारनाथ : Accessable to all है, जहां तक मेरी जानकारी है। इसलिए माननीय सदस्य की जो मन्शा है मुझे उसके बारे में डिस्प्यूट नहीं है, मैं उसके बारे में कोई आब्जेक्शन भी नहीं करता। उनकी मन्शा साफ है कि जो अलेज्ड लिक्वीडेशन है सुन्दर डाकू का उसकी जांच की जाये और जो जो व्यक्ति हैं, दिल्ली पुलिस के भी पकड़े गये और जो इतने ऊंचे आफिसियल्स डी. आई. जी. रेन्ज के हैं वह भी पकड़े गये और भी होंगे सी. बी. आई. जिसको भी कहेगी तो पकड़े जायेंगे। श्री हरिदेव जी जोशी गये थे और केबिनेट के और मंत्री गये थे यह हमारे रिकार्ड में नहीं मिलता....

श्री बाऊलाल जोशी : प्राइवेटली गये होंगे।

श्री केदारनाथ : अब सिविल वर्दी में गये तो यह रिकार्ड से साबित नहीं होता। माननीय सभापति जी, यह मेरे पास रिकार्ड है उससे यह मालूम होता है कि एक कम्पनी पूरी श्री संजय गांधी के एस्कोर्ट के लिए और इन्तजाम के लिए रखी गयी थी। इसलिए ऐसा व्यक्ति लॉज में आये, सुन्दर के हथकड़ी हो या नहीं हो, वहां पर 25–50 आदमी आयें और उनके साथ वहां लॉज में जाये तो यह मामूली सी घटना नहीं होती। इसके बारे में विवाद करना और इन्फ्रेंस निकालना मेरा ख्याल है कि जो फौजदारी के वकील हैं वह जानते होंगे कि वह अच्छी तरह से साबित नहीं हो सकता।

तीसरी बात कही गयी कि यहां पर तेजसिंह को क्यों लाया गया। माननीय सभापति जी, जब वह गिरफ्तार हुआ तो लगातार दो तीन दिन तक इन्ट्रोगेशन चला उसके बेसिस पर और हमारे आई. जी. ने जो रिपोर्ट भेजी उसकी बिना पर मैं वह चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। पब्लिक इन्ट्रेस्ट है उसके पीछे इसलिए डिसक्लोज नहीं करना चाहता। सी. बी. आई. के पास सारा रिकार्ड है इसलिए ऐसी चीजें, जो इन्वेस्टीगेशन में बाधा डालें मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप नहीं पूछें। इसलिए उस रिपोर्ट की बिना पर जिन जिन का नाम सुन्दर डाकू ने इन्ट्रोगेशन के वक्त दिया उनको पकड़ा गया और लाया गया। उनमें से एक आदमी केवल यहां का है। आपस में कोई कन्फन्ट्रेशन हुआ और 7 कैसेट्स भरे गये वह सी. बी. आई. के पास हैं। आडीबल है या अनआडीबल वह उनके पास है। एक्सप्लोजिव एक्ट के बहुत सारे रोजनामचे में 7 कैसेट्स हुई और टेप रिकार्ड है और बाकी 12 तारीख की रिपोर्ट सी. बी. आई. के पास है। सी. बी. आई. के लोग मुझे मिले हैं और रिकार्ड हमारे पास और भी है। जो भी आफिसियल्स इन्ट्रोगेट करना चाहते हैं वह ले जायें। उसके लिए हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी घटना है और इसके बारे में जांच की जा रही है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप किसी निष्पक्ष व्यक्ति से जांच करवाने का आश्वासन देने की स्थिति में हैं?

Page No 111

(111)

श्री केदारनाथ : सी. बी. आई. से ज्यादा अच्छी और बड़ी एजेन्सी और कौन सी हो सकती है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : राजस्थान के प्रकरण के संबंध में आखिर मैंने भी जिम्मेदारी के साथ कहा है। जो भी मैंने आरोप लगाये हैं उसके संबंध में आप अपने किसी उच्च निष्पक्ष अधिकारी, जो कि उस समय जयपुर में तैनात नहीं हो या इससे संबंधित नहीं हो, जांच कराने की स्थिति में हैं ? आपको भी मालूम है, आपने खुद ने आरोप लगाये हैं बैरी कमीशन के बारे में। तो यह कोई अनहोनी घटना नहीं है। प्रोफेसर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके सदन को आप आश्वासन दें।

श्री केदारनाथ : अगर सी. बी. आई. इस नतीजे पर पहुंचे कि यही रिकार्ड टैम्पर किया गया है या बदला गया है तो लाजिमी उसकी जांच करवाने के लिए हम सक्षम हैं।

श्री सभापति : Next item,

श्री एच. एन. शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर सर...

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापति : इस पर बहस नहीं होगी। जिन्होंने प्रश्न उठाया था वह बोल लिए और विरोधी दल के नेता बोल लिए। अब इस पर कोई दूसरे माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : दोनों आप बैठे वहां मौजूद थे।

श्री एच. एन. शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर सर, सभापति महोदय, आज सुबह सिचाई मंत्री महोदय ने कर्मचारियों की छंटनी के बारे में अपना एक वक्तव्य दिया था। यह आज की कार्यसूची में संलग्न नहीं था। इस कारण मैं अनुपस्थित था। यह 4500 कर्मचारियों की छंटनी का मामला है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे उसका स्पष्टीकरण करने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाये...

श्री सभापति : जवाब दे दिया है।

श्री एच. एन. शर्मा : जवाब तो दिया है लेकिन वह जवाब सही नहीं है इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाये ताकि मैं मंत्री महोदय को सही हालात की जानकारी करा सकूं।...

श्री सभापति : बिराजिये। जब समय था तब तो आप गैरहाजिर थे।

श्री एच. एन. शर्मा : लेकिन, सभापति महोदय, यह आज की कार्यसूची में ही नहीं था तो मुझे कैसे मालूम होता कि यह प्रश्न आज आ रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजें।

श्री एच. एन. शर्मा : सभापति महोदय, आज आखिरी दिन है और मुझे इसका स्पष्टीकरण करना जरूरी है। मंत्री महोदय ने जो तथ्य दिये हैं वह सही नहीं हैं। इसलिए आप मुझे थोड़ा समय दें।

श्री सभापति : मैं नहीं दूंगा। आप अनुपस्थित रहें इसमें कसूर किस का है ? बाद में समय मिला तो दे दिया जायेगा।

Page No 112

(112)

श्री एच. एन. शर्मा : आज की कार्य-सूची में संलग्न नहीं था। मैं पांच मिनट से छठा मिनट नहीं लूंगा।

श्री सभापति : बाद में, अभी मैं समय नहीं दूंगा।

प्रभारी मंत्री जी!

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977

विचारार्थ प्रस्ताव

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के विश्व-विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदय,····

श्री सभापति : आपके अमेन्डमेन्ट्स नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अमेन्डमेन्ट्स तो नहीं हैं लेकिन मैं बोल रहा हूं···

श्री सभापति : आपने अमेन्डमेन्ट मूव किया है क्या?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं।

श्री सभापति : फिर नहीं। श्री मनोहर-सिंह मेहता!

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, मैंने अमेंडमेंट मूव किया है।

राजस्थान के विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

सभापति महोदय, यह मामला महत्व का है क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ 134 कालेजेज हैं लेकिन हालत यह है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय की सर्विस करते हैं और जो कालेजेज में प्रध्यापक हैं, उनमें बड़ा अन्तर है। जैसे आई. ए. एस. तथा आई. पी. एस. आफिसर की सर्विस 58 साल तक चलती है और आर. ए. एस. की 55 साल। इसी तरह जो विश्वविद्यालय में काम करते हैं उनकी 60 वर्ष और जो कालेजेज में काम करते हैं उनकी 55 वर्ष है। आप अन्दाजा लगाइये कितना बड़ा अन्तर है। इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ग्रेड मिला लेकिन 134 कालेजेज में जो काम कर रहे हैं उनको अब तक वह ग्रेड नहीं मिला। यहां पर बाहर से बराबर भर्ती किये जा रहे हैं और जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको यूनिवर्सिटी में स्थान नहीं मिलता यहां पर विश्वविद्यालय में चयन का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिन्होंने लम्बे समय तक अच्छी सेवा की है फिर भी उनकी तरक्की नहीं होती। यह सब मामले महत्व के हैं इसलिये मैंने यह निवेदन किया है कि कृपा करके इतनी जल्दी में पास न करिये। अगर आई. पी. एस. और आर. ए. एस. में इतना फर्क रखते हैं तो समझ में आ सकता है लेकिन शिक्षा में काम करने वालों में इतना फर्क हो तो मैं आपको मार्फत

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

पूछना चाहता हूं कि जो कालेजेज में काम कर रहे हैं क्या उनकी 55 साल की आयु के बाद बुद्धि कुण्ठित हो जाती है और जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे है उनका दिमाग चलता रहता है ? अच्छा तो यह होता कि वे खुद कहते कि जिस तरह कालेजेज में जो काम कर रहे हैं उनकी सेवा निवृत्ति की आयु 55 साल है उसी तरह हमारे लिए भी सेवा निवृत्ति की आयु 55 की जाये। वे कहें न कहें, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूं कि 134 कालेजेज में जो प्रोफेसर काम कर रहे हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, बिना नौकरी के फिर रहे हैं उनके बारे में जानकारी करने के लिये आप कृपा करके एक महीने तक इसे आप रोकिये और इसे जनमत जानने हेतु परिचालित करिये ताकि सबको न्याय मिल सके और 134 कालेजेज में जो असंतोष फैला हुआ है वह दूर हो सके। इसी लिये मैंने यह मूव किया है। मुझे आशा है कि आप इसे मन्जूर करेंगे और इतनी जल्दी नहीं करेंगे। सबको न्याय मिल सके इसके लिये जरूरी है कि आप कृपा करके एक महीने के लिये इसे परिचालित करें।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, पहली सवाल तो यह था कि आज भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर करीब 250 टीचर्स ऐसे हैं जो दस साल से टेम्प्रेरी चल रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान में टीचर्स की पोस्ट की सेंक्शन्स होती हैं उन पर नियुक्ति के लिये दूसरे राज्य के लोगों को क्यों बुलाया जाता है ? श्रीमान, आप जानते है, राजस्थान के छात्र, राजस्थान के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं ? फिर भी हमारे विश्वविद्यालयों में बाहर के लोग एम्प्लायमेंट पा लेते हैं और हमारे खुद के लोग, राजस्थान के लोग एम्प्लायमेंट नहीं पा पाते। मैं यह नहीं चाहता कि आप एक्सपर्ट्स बुलायें। इसके लिये मेरा सुझाव था कि आप यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बैठा दें।

तीसरी बात यह है, आपके सैक्शन 5 और सैक्शन 10, यह दोनों जब कहते हैं,

"The Syndicate of the University...'

श्रीमान्, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं

"....may make rules for carrying out the purposes of this Act."

यानी आप खुद नियम बना सकते हैं। जिस कानून के अन्तर्गत काम करने की आपको शक्ति दी हुई है, उसी में नियम बनाने की पावर्स आपको दी हैं Powers to make rules for carrying out the purposes of the Act.

फिर आपका रिलेटिव सैक्शन 5 है, "The Syndicate of the University concerned shall prescribe, by rules the quorum required for the meeting of a selection committee required to be constituted under Section 4, which shall not be less than one half of the members of each selection committee." मेरी समझ में नहीं आता, हुकम, जब आपके इस कानून का सैक्शन खुद कहता है

(श्री मूलचन्द डागा)

जो 1974 पास हुआ है, कि सैक्शन 10 और सैक्शन 5 के अन्तर्गत आप रूल्स बना सकते हैं, फिर भी आपका छोटा सा अमेंडमेंट यह है कि इसका कोरम यह होगा। आपके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में है:

"The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Special Conditions of Service) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) contains minor lacunas in the compositions of Selection Committees, The quorum is not specified and a Selection Committee can proceed with the selections even without experts being present."

मैंने यह अर्ज की कि मेहरबानी करके देखिये उसके अन्दर आपको पावर्स डेलिगेटेड हैं। रूल्स के अन्दर आप यह प्रावधान कर सकते हैं कि किस तरह का कोरम हो। एक्जीक्यूटिव ने आपका इस ओर ध्यान दिलाया या नहीं, मैं समझ नहीं सका।

मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी के अन्दर राजस्थान के एक्सपर्ट्स बैठने चाहिये। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कई बार जो सलेक्ट कमेटी के लिये बुलाते हैं उनको आने जाने का खर्चा नहीं देते हैं। कई बार विद्यार्थी दूर-दूर से आते हैं। आने-जाने में विद्यार्थियों को काफी खर्चा करना पड़ता है। फिर कई बार आप डेट भी पोस्टपोन कर देते हैं।

इस प्रकार जो संशोधन लाना चाहते हैं, मैं सुझाव देता हूं कि आप संशोधन विधेयक बनावें, उसके पहले अपनी पार्टी की एक कमेटी बना दें, आपकी पार्टी में बड़े-बड़े आदमी आ गये हैं। पार्टी की कमेटी बनाकर तमाम पहेलुओं को एक्जामिन करा लें। सभापति जैसे योग्य व्यक्तियों को आप उस कमेटी में लें। आपने तो एक सत्र में इतने कानून पास करवा दिये। इसलिये मेरा कहना है कि इस कानून को सलेक्ट कमेटी में भेजिये। कानून को पहले सलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, या आपकी पार्टी की कमेटी बना दीजिये, उसमें विचार कर लें और फिर आ जायें।

[श्री मूलचन्द डागा का संशोधन प्रस्ताव : "राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन सितम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।"]

श्री सभापति : श्री वृद्धिचंद्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादासजी।

(अनुपस्थित)

माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति जी, बहुत छोटे से लेकूना के कारण जो बहुत बड़ी गड़बड़ी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हुई है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए यह संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा पाली से आये हुये माननीय सदस्य ने कहा, यह बात सच है कि सिन्डीकेट रूल्स फ्रेम कर सकती थी किन्तु यह कठिनाई प्रस्तुत हुई, पिछले दो सालों में, उनके हाथ में छोड़ने के बाद किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब इस प्रकार की सारी बातें हो गई और किसी ने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति महोदय को पूछा तो बताया गया कि सिन्डीकेट सब करती है। इस कारण से इस बिल के अन्दर इस संशोधन को लाने की बहुत अधिक आवश्यकता हुई। इसमें दो बातें निश्चित रूप से कही गई हैं एक तो कोरम के विषय में, जो तय करने वाली बात है, और दूसरी जो सलेक्शन कमेटी बने उसमें एक्सपर्ट निश्चित रूप से उपस्थित रहें। बड़ी कठिनाई हुई पिछले दिनों, एक्सपर्ट्स आये नहीं या किसी तरह बुलाये नहीं गये और सारे काम हो गये। इसलिए छोटी सी बात को लेकर यह संशोधन बिल सदन के समक्ष रखा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक महीने देर करने वाली बात है, जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कही उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आज सचमुच 250 टेम्प्रेरी आदमी वहां हैं। हम चाहते हैं, ठीक सलेक्शन कमेटी बने और सलेक्शन कमेटी बन कर तुरन्त सलेक्शन कमेटी बैठे, साक्षात्कार के लिये बैठे और तुरन्त उनको परमानेन्ट किया जाय। इस सीमित उद्देश्य को लेकर छोटा सा, लेकिन रह गया था उसी को दूर करने के लिये इस बिल को प्रस्तुत किया गया है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : सभापति महोदय, मैंने दो-तीन प्रश्न उठाये थे। कृपया जवाब दें, उनको भी अपने उत्तर में समावेश कर लें। इनके सर्विस रूल्स में भेद क्यों किया है? छात्रों को स्थान नहीं मिलता है, उसके लिये क्या सोचा आपने?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाये हैं उनका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी उपस्थित हो गया था। सेवा की विशेष शर्तें राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी के लिये हैं। जो 134 महाविद्यालय हैं वे गवर्नमेंट से सम्बन्धित हैं, उनकी सेवा की शर्तों पर असर नहीं पड़ता है। यू. जी. सी. के स्केल की अलग बात है, लेकिन सेवा की शर्तें अवश्य हैं। जो यह विधेयक उपस्थित किया गया है यह राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी के लिये है। जो 134 महाविद्यालय हैं, उनकी पे-स्केल्स के रिवीजन व यू. जी. सी. के आधार पर देने का काम राज्य सरकार का है और वह विचाराधीन है। मैंने आश्वासन दिया है कि आगामी अगस्त तक उस सम्बन्ध में निर्णय लेकर कुछ न कुछ किया जायगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशो-

(श्री सभापति)

बन) विधेयक, 1977 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : अभी तो मैं वापस लेने के लिये निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दे दिया है कि अगस्त तक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के पे-स्केल्स के बारे में निर्णय ले लिया जायगा, ऐसी स्थिति में जो मैंने संशोधन पेश किया है, उसको वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाही है, वह प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्री मनोहर सिंह मेहता : वापस लेता हूं।

श्री सभापति : दूसरा सलेक्ट कमेटी वाला संशोधन है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

अब खण्डश: विचार होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय; राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 के खण्ड (2) में प्रतिस्थापन हेतु धारा 5 की उप-धारा (1) के प्रस्तावित प्रावधान के अन्त में उद्धरण चिन्ह (") विलोपित किया जायेगा व निम्नलिखित अभिव्यक्ति, जिसके अन्त में उद्धरण (") होगा, जोड़ी जायगी "अशैक्षणिक पदों के चयन हेतु चयन-समिति की बैठक के लिये अपेक्षित गणपूर्ति प्रत्येक चयन समिति की सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होगी जिनमें से कम से कम एक विशेषज्ञ होगा।"

माननीय सभापति महोदय, कोरम के लिये प्रावधान इस संशोधन में किया गया है और जो अशैक्षणिक सारे लोग हैं उनके लिये एक छोटा सा संशोधन जोड़ने की प्रार्थना की है।

श्री सभापति : इसमें और कोई प्रावधान है नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : सलेक्शन कमेटी में कुल सदस्य कितने हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 9 भी हैं, 7 भी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अलग-अलग ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में संशोधन है। श्री बजरंग लाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा : आपकी पार्टी के लोग ही नहीं रहते हैं।

श्री सभापति : श्री भंवर लाल शर्मा !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1; अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

माननीय प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6-10 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई)